समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली

(लुप्तप्राय परियोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

की

प्रबन्ध योजना

(वर्ष 2010–11 से 2019–20 तक)

भाग– 1 एवं 2

श्री बी0के0 पटनायक, भा0व0से0

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

के मार्ग निर्देशन में

श्रीमती ईवा शर्मा, भा0व0से0

वन संरक्षक,

लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ

द्वारा संकलित

वन्य जीव परिरक्षण संगठन

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रस्तावना

समसपुर पक्षी विहार हेतु 10 वर्षीय प्रबन्ध योजना वर्ष 2000–01 से 2009–10 तक प्रथम बार बनाई गई थी। पक्षी विहार की प्रबन्धात्मक आवश्यकताओं तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों को समाहित करते हुए वर्ष 2010–11 से 2019–20 तक के लिये पुनः प्रबन्ध योजना बनाई जा रही है। यह पक्षी विहार उ0प्र0 के हृदयस्थ भू–भाग में, रायबरेली जनपद के सलोन तहसील में सलोन कस्बे के निकट स्थित है। यहाँ पर काफी संख्या में स्थानीय पक्षी वर्ष भर रहते हैं। इसके अतिरिक्त शीतकालीन प्रवास हेतु लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी भी तिब्बत, चीन, यूरोप तथा साइबेरिया से प्रति वर्ष आते रहते हैं।

इस पक्षी विहार की जैव–विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रबन्ध योजना का पुनरीक्षण वर्ष 2010–11 से 2019–20 के लिये किया जा रहा है। इसमें पक्षी विहार के सर्वांगीण विकास हेतु रणनीतियों के साथ–साथ पारिस्थितिकी पर्यटन एवं आस–पास के पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम पर भी ध्यान दिया गया है।

इस प्रबन्ध योजना के पुनरीक्षण में श्री बी0के0 पटनायक, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0 द्वारा मार्ग–दर्शन प्रदान किया गया, जिसके लिये मैं उनकी हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ।

इस प्रबन्ध योजना के पुनरीक्षण में श्री के0के0 झा, मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास, उ0प्र0 द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, जिसके लिये मैं आभार व्यक्त करती हूँ।

इस प्रबन्ध योजना के सृजन में श्री अतुल अस्थाना, वन्य जीव प्रतिपालक, श्री विक्रम सिंह सचान, क्षेत्रीय वनाधिकारी, श्री पूरन गिरी गोस्वामी, मानचित्रकार एवं श्री रूपेश, वनविद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिये मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

(ईवा शर्मा)
वन संरक्षक,
लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0,
लखनऊ।

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
	भाग–1	
	संरक्षित क्षेत्र की वर्तमान स्थिति	
अध्याय–1	**संरक्षित क्षेत्र का परिचय**	**1-2**
1.1	नाम, स्थिति, गठन एवं विस्तार	2
1.2	सम्पर्क एवं पहुँच	2
1.3	क्षेत्र का महत्व	2
अध्याय–2	**सूचनाएं एवं विशेषताएं**	**3-12**
2.1	सीमायें	3
2.1.1	वैधानिक सीमायें	3
2.1.1.1	बन्दोबस्ती की स्थिति	4
2.1.2	पारिस्थितकी सीमायें	4
2.2	भू–विज्ञान, शैल एवं मृदा	5
2.3	भू–प्रदेश की जलीय स्थिति	5
2.4	जलवायु	6
2.5	प्राकृतिक एवं जलीय संसाधनों का विस्तार	7
2.6	वन्य जन्तुओं का विस्तार, स्थिति, वितरण एवं प्राकृतिक आवास	8
2.6.1	वनस्पतियाँ	8
2.6.1.1	जैव भौगोलिक वर्गीकरण	9
2.6.1.2	वन प्रकार एवं वन्य जीवों का भोजन	10
2.6.1.3	घास का मैदान	10
2.6.1.4	वृक्ष समुदाय का वर्गीकरण	10
2.6.1.5	दुर्लभ प्रजाति की सूची	10
2.6.1.6	खर पतवार एवं हानिकारक वनस्पतियाँ	10
2.6.1.7	संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियाँ	11
2.6.2	पशु जगत	11
2.6.2.1	कशेरूकी एवं अकशेरूकी जीव	11
2.6.2.2	सीमान्त कारक	12
अध्याय–3	**प्रबन्ध का इतिहास एवं वर्तमान प्रक्रियायें**	**13-12**
3.1	संरक्षण का इतिहास	13
3.2	प्राकृतिक आवास का प्रबन्धन	13
3.3	संरक्षा एवं अभिसूचना संकलन	15
3.4	पर्यटन एवं व्याख्यान	16
3.5	शोध एवं पर्यवेक्षण	16
3.6	ग्रामों की पुनर्स्थापना	19
3.7	प्रशासन एवं संगठन	19
3.8	पट्‌टा (लीज)	19
3.9	वन अग्नि	19

3.10	कीटों का आक्रमण एवं रोग विज्ञान सम्बन्धी समस्यायें	20
3.11	वन्य जन्तुओं के संरक्षण की रणनीति एवं मूल्यांकन	20
3.12	संचार	20
3.13	अन्तर एजेन्सी कार्यक्रम एवं समस्यायें	21
3.14	वन्य जन्तुओं पर आसन्न संकट का सारांश	22
अध्याय–4	**संरक्षित क्षेत्र एवं उसके भू–उपयोग की स्थिति**	**24-26**
4.1	प्रभाव की स्थिति	24
4.2	भू–उपयोग का वर्गीकरण	24
4.3	ग्रामों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति	26
4.4	ग्रामों का प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता	26
4.5	प्रभाव क्षेत्र में उत्पादन	26
4.6	मानव–वन्य जन्तु संघर्ष	26
4.7	कार्यदायी संस्थाओं का मूल्यांकन	26
4.8	समस्याओं का सारांश	26
	भाग–2	
अध्याय–5	**संरक्षित क्षेत्र एवं उसके भू–उपयोग की स्थिति**	**28-30**
5.1	संकल्पना	28
5.2	प्रबन्ध का उद्देश्य	28
5.3	उद्देश्य की प्राप्ति में समस्यायें	28
5.4	एस0डब्लू0ओ0टी0 विश्लेषण	29
अध्याय–6	**रणनीतियां**	**31-48**
6.1	सीमायें	31
6.2	जोनेशन	32
6.2.1	आन्तरिक जोन	33
6.2.2	प्रभाव जोन	33
6.2.3	पारिस्थितकीय पर्यटन जोन	34
6.3	जोन से सम्बन्धित योजनायें	34
6.3.1	आन्तरिक जोन	34
6.3.2	प्रभाव जोन	36
6.4	थीम योजनायें	37
6.4.1	सुरक्षा योजना	38
6.4.2	वन अग्नि नियंत्रण योजना	39
6.4.3	प्राकृतिक आवास प्रबन्धन योजना	41
6.4.3.1	नम भूमि प्रबन्धन योजना	41
6.4.3.2	खर पतवार प्रबन्धन योजना	44
6.4.3.3	विशेष एवं अद्वितीय प्राकृतिकवास के प्रबन्धन की योजना	45
6.4.4	पक्षियों के रोगों का पर्यावलोकन एवं पशुओं के प्रतिरोधक क्षमता के विकास की योजना	47
6.4.5	मानव संसाधन विकास की योजना	48
अध्याय–7	**पारिस्थितिकीय पर्यटन, व्याखान एवं संरक्षण शिक्षा**	**49-54**
7.1	प्रस्तावना	49
7.1.1	लक्ष्य	49

7.2	उद्देश्य	49
7.3	पर्यटन जोन	49
7.4	व्याख्यान कार्यक्रम	50
7.5	संगठन एवं प्रबन्धन	50
7.6	समस्याएं	51
7.7	वांछित पर्यटन की रणनीतियां एवं प्राप्ति हेतु उठाये गये कदम	51
7.7.1	पर्यटन गतिविधियों की विविधता	52
7.7.2	इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मानव संसाधन का विकास	52
7.7.3	सड़कों की व्यवस्था	53
7.7.4	स्थानीय समुदाय की भागीदारी	53
7.7.5	संरक्षण शिक्षा का कार्यक्रम	53
7.7.6	नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन	53
अध्याय–8	**पारिस्थितिकीय विकास**	**55-58**
8.1	प्रस्तावना	55
8.1.1	उद्देश्य	55
8.2	नीतियां एवं संस्थागत संरचना	56
8.3	वृहद रणनीतियां	56
8.4	ग्राम स्तरीय स्थल विशेष रणनीतियां	56
8.5	ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एकीकरण	57
8.6	क्रियान्यवयन एवं रणनीतियां	57
8.7	कोष सृजन की रणनीतियां	58
8.8	पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन	58
अध्याय–9	**शोध, पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण**	**59-63**
9.1	महत्व	59
9.2	उद्देश्य	60
9.3	शोध की प्राथमिकता	60
9.4	अनुश्रवण	62
9.5	प्रशिक्षण	62
अध्याय–10	**संगठन एवं प्रशासन**	**64-65**
10.1	संरचना एवं उत्तरदायित्व	64
10.2	संरक्षित क्षेत्र में कर्मचारियों की स्थिति एवं उपलब्ध सुविधायें	65
अध्याय–11	**वार्षिक कार्ययोजना 2010–11 से 2019–20 तक**	**66-**
11.1	बजट	
अध्याय–12	**अभियान एवं विविध नियंत्रण**	
12.1	अनुसूची	
12.2	विचलन अभिलेख एवं क्रियान्वित लक्ष्य	
12.3	रोजगार सृजनता का अभिलेख	
12.4	नियंत्रण प्रपत्र	
12.5	कक्ष इतिहास का रख–रखाव	
12.6	योजनाओं के क्रियान्यवयन कर्ताओं के द्वारा पाकेट फील्ड गाईड का उपयोग	

भाग—1

संरक्षित क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

अध्याय–1

संरक्षित क्षेत्र का परिचय

1.1 नाम स्थिति, गठन एवं विस्तार– समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद की सलोन तहसील जिसका नामकरण समसपुर झील के नाम से किया गया, में स्थित है। यह 25^0 49" से 26^0 36" उत्तरी अक्षांश एवं 80^0 41" से 81^0 34" पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत असाधारण गजट प्रकाशन विज्ञप्ति संख्या–2720/14–3–126/1986 टी.सी. दिनांक 10.08.1987 के द्वारा वन भूमि, ग्राम समाज एवं निजी भूमि का 799371 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित कर, समसपुर पक्षी विहार का गठन किया। ''समसपुर पक्षी विहार'' की मुख्य झील, पॉच छोटी आकार की प्राकृतिक झीलों क्रमशः समसपुर, ममुनी, गोड़वा–हसनपुर, हाकगंज, रोहनिया से मिलकर अंग्रेजी के ''एस'' अक्षर के आकार की है। छठी विषैया झील भी मुख्य झील के समीप स्थित है परन्तु मुख्य झील से जुड़ी नहीं है, 01 कि0मी0 के अन्तराल पर स्थित है।

पक्षी विहार का प्रशासनिक नियंत्रण पूर्व में उप वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ के अधीन था तथा उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–1 के पत्र संख्या–577(1)/14–1–2008–30(11)/2006 दिनांक 26 फरवरी, 2008 के द्वारा वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0 कार्यालय का सृजन किया गया।

1.2 सम्पर्क एवं पहुँच– समसपुर पक्षी विहार, लखनऊ से 122 कि0मी0 और रायबरेली से 40 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। यहाँ से सलोन जो लखनऊ वाराणसी मार्ग पर रायबरेली से 30 कि0मी0 की दूरी पर है, होते हुये पहुँचा जा सकता है। सलोन से समसपुर पक्षी विहार, सलोन ऊँचाहार मार्ग पर लगभग 09 कि0मी0 दूरी पर तथा भोलागंज बाजाद से पक्षी विहार 04 कि0मी की दूरी पर स्थित, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है।

1.3 क्षेत्र का महत्व– उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ अनेक प्राकृतिक खूबसूरत झीलें हैं, जो शीतकाल में अनेक स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों का प्राकृतवास है। व्यापक सर्वेक्षण के उपरान्त कुछ विस्तृत आकार की महत्वपूर्ण झीलें चिन्हित की गयी, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पक्षी विहार घोषित किया। वर्तमान में 12 पक्षी विहार घोषित किये जा चुके हैः– नवाबगंज (उन्नाव), समसपुर (रायबरेली), साण्डी (हरदोई), समान (मैनपुरी), पार्वती आरंगा (गोण्डा), विजय सागर (हमीरपुर), लाख बहोसी (कन्नौज), बखीरा (बस्ती), ओखला (गाजियाबाद), पटना (एटा), सुरहा ताल (बलिया), सूर–सरोवर (आगरा) आदि हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने में पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियाँ पायी जाती है। इनमें से लगभग 300 प्रजातियों के पक्षियों का तिब्बत, चीन, यूरोप तथा साईबेरिया से हिमालय वर्तत पार कर हमारे प्रदेश में शीतकालीन प्रवास हेतु आगमन होता है। इनमें से कुछ पक्षी 5000 कि0मी0 की दूरी से तथा 8500 मीटर की उँचाई तक उड़ कर हमारे प्रदेश में आते हैं। समसपुर पक्षी विहार प्रदेश की समृद्ध जैव पक्षी–वैविध्य का अनूठा उदाहरण है। समसपुर पक्षी विहार, वन्य जीवों विशेष रूप से पक्षियों और उनके पर्यावरण के संरक्षण, सम्बर्धन और विकास के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पारिस्थितिक प्राणी–जगत, वनस्पतीय, भू–आकृतित्व और प्राणीतत्वीय महत्व का है।

अध्याय–2

सूचनाएं एवं विशेषताएं

2.1 सीमायें– ''समसपुर पक्षी विहार'' की उत्तरी सीमा–विषैया ग्राम, करेमुवा ग्राम और ममुनी ग्राम पूर्वी सीमा–ममुनी ग्राम और समसपुर ग्राम, पक्सरावाँ ग्राम, दक्षिणी सीमा पर रोहनिया ग्राम व गोड़वा–हसनपुर ग्राम तथा पश्चिमी सीमा–हरि किशनपुर, टिकरा ग्राम हैं। सीमाओं का विवरण सरकारी गजट की विज्ञप्ति संख्या–2720/14–3–126/1986 टी.सी. दिनांक 10.08.1987 में उल्लिखित है, जो संलग्नक क्रमांक–1 में संकलित है।

2.1.1 वैधानिक सीमायें– समसपुर पक्षी विहार की सीमा चारो ओर कृषि भूमि से घिरी है, सीमा किसी स्थाई भू–आकृति से स्पष्ट नहीं है। उ0प्र0 शासन के गजट नोटीफिकेशन संख्या–2720/14–3–126/1986 टी.सी. दिनांक 10.08.1987 वन अनुभाग–3 में सीमाओं को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। इसके अनुसार संरक्षित क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैंः–

<u>उत्तर</u>– ग्राम विषैया के खसरा गाटा संख्या 761, 759, 758, 746, 743, 742, 477, 476, 475, 841, 842, 843, 884, 861, 891, 890, 939, 937, 935, 934, 948, 949, 950, 952, 919, 918, 960, 961, 962, 973, 975, 974, 1198, 1164, 1205, 1210, 1211, 1212, 1213, 1220, 1254, 1231, 1235, 1283, 1284, 1279, 1369, 1325, 1372, 1352, 1351, 1344, 1333, 1340, 1268, 1267, 1262, 2230, 2229, 2283, 2284 के बाहरी मोड़ों से होता हुआ ग्राम गोड़वा–हसनपुर के खसरा गाटा संख्या 2222 के मोड़ से मिलता हुआ खसरा गाटा संख्या 24, 3, 7, 8 के बाहरी मेड़ों से होता हुआ ग्राम करमुआ के खसरा गाटा संख्या–533 के बाहरी मोड़ से मिलता हुआ खसरा गाटा संख्या 470, 509, 480, 479, 477, 421, 420, 419, 418, 417, 412 के बाहरी मेड़ों से होता हुआ ग्राम ममुनी के खसरा गाटा संख्या 1969 के बाहरी मेड़ से मिलता हुआ खसरा गाटा संख्या 1968, 1967, 1964, 1999, 2005, 2006, 2007, 2014 के दोहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम ममुनी के वन ब्लाक के खसरा गाट संख्या 2015 से मिलता हुआ वन ब्लाक के खसरा गाटा संख्या 2016, 2014, 1634 के बाहरी मेड़ से होता हुआ।

<u>पूर्व</u>– ग्राम ममुनी के वन ब्लाक खसरा गाटा संख्या 1634, 2248 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम ममुनी के गाटा संख्या 2251 से मिलता हुआ गाटा संख्या 2252, 2253, 2255 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम ममुनी के वन ब्लाक के खसरा गाटा संख्या 2263 के बाहरी मेड़ से मिलता हुआ वन ब्लाक के खसरा गाटा संख्या 2267, 2656 के बाहरी मेड़ से मिलता हुआ ग्राम ममुनी के गाटा संख्या 2651, 2650, 2642, 2663 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम ममुनी के वन ब्लाक के खसरा गाटा संख्या 2662 के बाहरी मेड़ से मिलता हुआ वन ब्लाक के गाटा संख्या 2668, 2760, 2773, 2775 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम ममुनी के गाटा संख्या 2749, 2781, 2788, 2793, 2748, 2744, 2742, 2738, 2734, 2718, 2717, 2716, 2715, 2711, 2709 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम समसपुर के खसरा गाटा संख्या 404 से मिलता हुआ गाटा संख्या 404, 405, 406, 412, 413, 394, 392, 367, 356, 474, 473, 477, 460, 461, 447, 264, 724 के बाहरी मेड़ों से होता हुआ।

दक्षिण– ग्राम पक्सरावाँ में खसरा गाटा संख्या 261, 262, 263, 270 के बाहरी मेड़ों से होते हुये ग्राम रोहनिया के वन ब्लाक के खसरा गाटा संख्या 3025, 3019, 3024, 3010, 2217, 2227 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम रोहनिया के खसरा गाटा संख्या 2820, 2818, 2832, 2833, 2834, 2811, 2812 के बारही मेड़ से होता हुआ।

पश्चिम– ग्राम हाकगंज के खसरा गाटा संख्या 323 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम रोहनिया के खसरा गाटा संख्या 2804, 2805, 2806, 2808 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम हाकगंज के खसरा गाटा संख्या 119 के मेड़ से मिलता हुआ तथा खसरा गाटा संख्या 118, 117, 116, 231, 394, 636, 15, 70, 73, 72, 58, 46, 47, 50, 39, 38, 37, 11, 10, 5, 4, 3 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम पट्टी पीटन के खसरा गाटा संख्या 47 से मिलता हुआ तथा पट्टी पीटन के खसरा गाटा संख्या 43, 42 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम गोड़वा हसनपुर के खसरा गाटा संख्या 1073, 1022, 1025, 1026, 1005, 1007, 1003, 954, 1001, 1000, 999, 989, 987, 986, 985, 998, 981, 984, 698, 689 के बाहरी मेड़ से होता हुआ गोड़वा–हसनपुर के वन ब्लाक के गाटा संख्या 688 के दोहरी मेड़ से मिलता हुआ वन ब्लाक के गाटा संख्या 681, 680, 109, 202, 209, 205 के बारी मेड़ से होता हुआ ग्राम विषैया के खसरा गाटा संख्या 808 के बाहरी मेड़ से मिलता हुआ गाटा संख्या 814, 816, 821, 818, 789, 792, 794, 783, 778 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम सैदपुर के खसरा गाटा संख्या 489 के बाहरी मेड़ से मिलता हुआ ग्राम सैदपुर के गाटा संख्या 623, 622, 621, 629, 617, 628, 634, 635 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम विषैया के खसरा गाटा संख्या 241 के बाहरी मेड़ से मिलता हुआ ग्राम टिरा के गाटा संख्या 237, 217, 213, 216 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम विषैया के खसरा गाटा संख्या 11 के बाहरी मेड़ पर मिलता है।

<u>क्षेत्र का सारांश</u>–

निजी भूमि	271.564 हे0
ग्राम समाज भूमि	96.202 हे0
वन भूमि	431.605 हे0
कुल क्षेत्रफल	**799.371 हे0**

2.1.1.1 बन्दोबस्ती की स्थिति– उ0प्र0 सरकार वन अनुभाग–3 की विज्ञप्ति सं0–2720/14–3–126/1986 टी.सी. दिनांक 10.08.1987 के द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम सं0–53 सन् 1972) की धारा–18 के समसपुर पक्षी विहार जिला–रायबरेली की उद्घोषणा की गई। जिलाधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्या 235/एस.टी./वन/97–98 दिनांक 10.09.1997 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–21 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई।

2.1.2 पारिस्थितिकीय सीमायें– पारिस्थितिकीय सीमायें का सर्वे व निर्धारण नहीं किया गया है। विशेषज्ञों के माध्यम से विस्तृत अध्ययन के उपरान्त निर्धारण किया जायेगा।

2.2 भू–विज्ञान, शैल एंव मृदा–

भूमि का स्वरूप– सामाजिक वानिकी वन प्रभाग का वन क्षेत्र में नहर, रेल, सड़क पटरियों की वृक्षावली तथा वन खण्डों एवं ग्रामवनों का क्षेत्र समाहित है। इस क्षेत्र में गंगा, सई, लोन आदि नदियों के ऊपरी खादर की भूमियां सम्मिलित हैं।

<u>भौमिकी, शैल एवं मृदा</u>— भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण 1993 में चतुर्थ कल्पी, भू–वैज्ञानिक एवं भू–आकृतिक के अनुसार यह क्षेत्र उच्चवर्ती गंगा–घाघरा दोआब के अन्तर्गत स्थित है, जो दो भागों में बँटा हैः–

<u>अ. उच्च स्तरीय भू–भाग (भाँगर)</u>— इसमें वाराणसी पुरातन जलोढ़, मैदान, जिसकी समुद्र सतह से ऊँचाई 90 मीटर से 160 मीटर तक है, का क्षेत्र है। जिसमें पूर्व काल में स्थित अब अलोप जल प्रवाहक पन्त्र, पुरा जल प्रवाहक तन्त्र, पुरा विसर्पी विच्छेद, ताल अर्धचन्द्राकार झील (आक्सीटोनिक) तथा वर्षा में जल भराव वाले क्षेत्र आते हैं। गंगा, सई, गोमती, लोन, नदियों के किनारे की कटाव के कारण उत्खात भूमि (वेटलैण्ड), कई किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैली है।

<u>ब. निम्न स्तरीय भू–भाग</u>— इसके अन्तर्गत नदियों के बाढ़कृत मैदान सम्मिलित हैंः–

<u>(1) प्रचीन बाढ़कृत मैदान</u>— वाराणसी पुरातन जलोढ़ से 1 से 12 मीटर कम ऊँचाई वाले क्षेत्र हैं।

<u>(2) तटीय बाढ़कृत मैदान</u>— प्रचीन बाढ़कृत (खादर) नदियों से आसन्न 200 मीटर से 18 कि0मी0 चौड़ी विछिन्न मछराकार (लेन्टीकुलर) भू–पट्टियों के रूप में पाया जाता है। जिनका विस्तृत ढाल नदी की तरफ है, कहीं–कहीं परित्यक्त जल प्रवाहक मौजूद हैं।

1. शैल— लण्डस्कोप क्षेत्र बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट वर्ग/विन्ध्य शैल समूहों द्वारा निर्मित आधारशिलाओं के उपरिशमी चतुर्थ कल्पीय जलोढ़ अवसादों की मोटी तह से बना है, क्षेत्र में कहीं भी शैल दृष्टिगोचर नहीं है। इसमें आश्मिक स्तरिकी (लिथेस्ट्रैटीग्राफिक) शैल हैं, जो दो भागों में विभक्त हैंः–

1. वाराणसी पुरातन जलोढ़क– इसमें ऊपरी भाग आते हैं।
2. नवीन जलोढ़क– लहर निर्माण।

2. मृदा— भू–दृश्य क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न मृदायें पायी जाती हैंः–

1. बलुई मृदा (ऊपरी पर्त नुकीली बालू)
2. स्थिर मृदा (स्टैबिलाइज्ड सैण्ड)
3. बलुई व सार (सिल्ट)
4. बलुई दोमट
5. चिकनी दोमट (ऊपरी पर्त चिकनी दोमट)
6. लवणीय/क्षारीय मृदायें

2.3 भू–प्रदेश एवं जलीय स्थिति— पक्षी विहार का उत्तर दिशा में हल्का ढाल है, जिससे जल निकास गंगा की सहायक नदी ''सई'' में हो जाता है। सई नदी के उत्तर में स्थित प्राचीन सई नदी के अवशेष का प्रतिनिधित्व करती है, जो भू–वैज्ञानिक काल में भी विद्यमान थी। झील में सदैव जल सहता है। जल का मुख्य जल स्रोत विभिन्न नालों, का झील में अन्त है, जो समीपवर्ती जल ग्रहण क्षेत्र से एकत्रित वर्षा लल मुख्य झील में पहुँचाते हैं, इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग की अल्पिकायें यथाः–

क्रमांक	नाम	जल ग्रहण
1	पहाड़गंज अल्पिका	3 घन मी0/से0
2	गोपालगंज अल्पिका	17 घन मी0/से0
3	रोहनिया अल्पिका	2 घन मी0/से0
4	घमौली अल्पिका	6 घन मी0/से0

5	उमरपुर अल्पिका	5 घन मी0 / से0
6	रेवली अल्पिका	13 घन मी0 / से0
7	करेमुआ अल्पिका	1.2 घन मी0 / से0
8	ममुनी अल्पिका	4 घन मी0 / से0
9	समसपुर अल्पिका	5 घन मी0 / से0
10	भगवानपुर अल्पिका	3 घन मी0 / से0

जल प्रवाह क्षमता की मुख्य झील में समाहित होती है। इसके अतिरिक्त पक्षी विहार के झीलों में विभिन्न ड्रेनों द्वारा भी दूरस्थ गॉव से वर्षा का जल आता है:–

क्रमांक	नाम	जल ग्रहण
1	भगवानपुर ड्रेन	17.5 घन मी0 / से0
2	पूरे अमेठियन ड्रेन	17.0 घन मी0 / से0
3	टिकरिया ड्रेन	36.0 घन मी0 / से0
4	सैदपुर ड्रेन	15.4 घन मी0 / से0
5	रोहनिया ड्रेन	20.0 घन मी0 / से0
6	दरियापुर ड्रेन	3.0 घन मी0 / से0

वर्षा ऋतु मं जब वर्षा का पानी अत्यधिक हो जाता है, तो ममुनी ड्रेन 31.05 घन मी0 / से0 तथा बकुलिया ड्रेन 150 घन मी0 / से0 वर्षा का जल बाहर निकल जाता है। ममुनी ड्रेन द्वारा जल सई नदी में तथा बकुलिहा ड्रेन का जल आगे बकुलिहा नदी में परिवर्तित होकर गंगा में (प्रतापगढ़ जिल में) मिल जाता है। झील में सामान्य रूप से 1 मीटर से 5 मीटर तक की गइराई का जल उपलब्ध रहता है। ग्रीष्म ऋतु में झील का स्तर 1 मीटर से 1.50 मीटर तक कम हो जाता है और जल क्षेत्र भी सीमित हो जाता है, परन्तु झील में पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है। सामान्यतया झील में जल विस्तार लगभग 401.00 हेक्टेयर जल क्षेत्र में है। मई–जून, 1987 में झील में जल उपलब्धता कर सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार 40 हेक्टेयर क्षेत्र में दलदली झील (जल उपलब्धता 0–30 सेन्टीमीटर तक), 150 हेक्टेयर क्षेत्र में छिछले जल स्तर की झील (जल उपलब्धता 30–90 सेन्टीमीटर तक), 90 हेक्टेयर क्षेत्र में गहरे जल स्तर की झील (जल उपलब्धता 90–120 सेन्टीमीटर तक) और 121 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक गहरे जल स्तर की झील (जल उपलब्धता 120 सेन्टीमीटर से अधिक) पाई गयी। स्थानीय जानकारी के अनुसार झील कभी पूर्ण रूप से सूखती नहीं है। वर्ष 2001 तथा 2005 में भषणतम गर्मी से भी झील पानी युक्त रही। झील के जल का परीक्षण कराया गया। जल पूर्णतया प्रदूषण मुक्त है। घुलनशील आक्सीजन एवं जीव रासायनिक आक्सीजन की मॉंग निर्धारित सीमा के अन्तर्गत क्रमशः 6.06 से 7.47 मिती ग्राम प्रति लीटर और 4.64 से 8.68 मिली ग्राम प्रति लीटर पाई गयी। सामान्य पी0एच0 मान 8.61 पाया गया। जल कम क्षारीय गुण का है जो मछलियों और जलीय जीवन वनस्पतियों की वृद्धि के लिये स्वास्थ्यवर्द्धक परिस्थिति उत्पन्न करती है, समीपवर्ती क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर 5 मीटर से 25 मीटर तक रहता है। ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में भूमिगत जलस्तर क्रमशः 1 मीटर कम और 1 मीटर अधिक हो जाता है। कैचमेन्ट एरिया 8000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसमें नहर एवं लगभग 10 ग्राम सभा सम्मिलित हैं।

2.4 जलवायु– समसपुर पक्षी विहार जलवायु गांगेय मैदान की तरह है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 48^0 सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम 4^0 सेल्सियस रहता है। पिछले 5 वर्षों की औसत वर्षा 178.9 मिली मीटर प्रति वर्ष है। अधिकतम वर्ष अगस्त माह से होती है। दिसम्बर, जनवरी, फरवरी माह में सामान्यतयाः पाला पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में गरम हवायें ''लू'' अधिक चलती है।

वर्षा– आँचलिक मौसम विज्ञान केन्द्र, सलोन, रायबरेली से प्राप्त विगत 5 वर्षों के माहवार वर्षों के आंकड़े संलग्नक क्रमांक परिशिष्ट–7 में संकलित हैं। औसत वर्षा 178.9 कि0मी0 प्रति वर्ष है। अधिकतम वर्षा अगस्त माह में होती है।

तापमान– ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 48^0 सेल्सियस तथा शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान 4^0 सेल्सियस तक हो जाता है।

पाला– माह दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी महीनों में सामान्यतः पाला पड़ता है।

पवन– ग्रीष्म ऋतु में लू (गरम हवायें) चलना सामान्य घटना है। सामान्य रूप से यह क्षेत्र वृक्ष विहीन है। अतः हवा का दबाव समीपवर्ती क्ष्क्षेत्र की तुलमा में अधिक है। वृक्षारोपण द्वारा वृक्ष तैयार किये जा रहे हैं।

बाढ़ एवं सूखे की स्थिति– झील में सदैव जल रहता है। जल का मुख्य स्रोत विभिन्न नालों का झील में अन्त है, जो समीपवर्ती जल ग्रहण क्षेत्र से एकत्रित वर्षा जल मुख्य झील में पहुँचाते हैं।

2.5 प्राकृतिक एवं जलीय संसाधनों का वर्गीकरण–

वनस्पतियाँ– समसपुर पक्षी विहार के पादप जगत का सर्वेक्षण कार्य वनाधिकारियों के द्वारा किया गया। वर्तमान में पुनः सर्वेक्षण के उपरान्त चिन्हित पादप प्रजातियों का वर्गीकरण के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है। पादप जगत की विस्तृत सूची परिशिष्ट में संलग्नक क्रमांक (16) में संकलित है। पादप–जगत की प्रमुख प्रजातियां– ''**बीज रहित अपुष्पीय पादप जलीय शैवाल**''– एनाबीना, एर्थोरोस्पिरा, माइक्रोसाइस्टिस, ओसिलाटोरिया, फोरमीडियम, क्लोरोला, कोरोकोकस, हाइड्रोडिक्टयान, निटिला, पेडियस्ट्रम, सिनेडिसमस, स्पाइरोगायरा, जाइगनेमा, साइक्लोटेला, साइमवेला, नाविकुला, निटजकिना, सिनेड्रा, ''**जलीय कवक**''– एकलिया, एफनोमाइसिस, पाइथियम, एफानिर्डीमेटम, स्प्रैलिजनिया, एस्परजिलियस, फलावोयस, एस्परजिलियस, प्यूमिगेटम, एस्परजिलियस नाइजर, म्यूकोर, फ्यूसारियम, ''**जलीय टेरिडोफाइटा**''– मारसीलिया, क्वाड्रिफोलिएटा, एजोला पिन्नाटा, ''**आवृत बीजी पादप– जलीय एवं दलदली पादप**''– लिमनोफाइटान ओबटूसिफोलियम, सीट्रोफाइलम डीमरसम, आईपोमिया एक्यूटिका, आईपोमिया फिस्टुलोसा, साजेटारिया, साइप्रस क्रोरिम्बोसस स्राइपस निवकस, साइप्रस प्लेटाइसटालिस, साइप्रस प्रोसेरस, स्क्रिपस आर्टीक्यूलेटस, निम्फोइडिस इन्डिकस इऐग्रोस्टेस जैपोनिका, हागोराइजा एरिस्टाटा, डैक्टाइलोस्टेनियम डस्मोस्टकेस, सूडोराफिस स्पाइनोसस, हाइड्रिला वर्टिसेलाटावैलिसनेरिया स्पिरेलिस, नेप्टयुनिया ओलिरेसीय, लेमना पावसिकोस्टाटा, स्पिरोडिला पालीराइड एस्फौडिलिस टेन्यूफोलियस, निल्यूमबो न्यूसिफेरा, निमफीय स्टेलाटा, ज्यूसिया रिपेन्स, पोलीगोनस ग्लैब्रम, टाइफा, एनगुस्टाटा, स्थलीय पापद–अरूसा, करौंदा, मदार, कनकौआ चामिरा, दूब मूंज, कांस, बबूल, ढाक, कठीली बबूल, नींम, अर्जुन, जामुन, पीपल, खजूर, पीली कटीली, बेर, महुआ आदि हैं।

जल स्रोत– झील में सदैव जल सहता है। जल का मुख्य जल स्रोत विभिन्न नालों का झील में अन्त है, जो समीपवर्ती जल ग्रहण क्षेत्र से एकत्रित वर्षा लल मुख्य झील में पहुँचाते हैं, इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग की अल्पिकायें यथाः–

क्रमांक	नाम	जल ग्रहण
1	पहाड़गंज अल्पिका	3 घन मी0 / से0
2	गोपालगंज अल्पिका	17 घन मी0 / से0
3	रोहनिया अल्पिका	2 घन मी0 / से0
4	घमौली अल्पिका	6 घन मी0 / से0
5	उमरपुर अल्पिका	5 घन मी0 / से0
6	रेवली अल्पिका	13 घन मी0 / से0
7	करेमुआ अल्पिका	1.2 घन मी0 / से0
8	ममुनी अल्पिका	4 घन मी0 / से0
9	समसपुर अल्पिका	5 घन मी0 / से0
10	भगवानपुर अल्पिका	3 घन मी0 / से0

जल प्रवाह क्षमता की मुख्य झील में समाहित होती है। इसके अतिरिक्त पक्षी विहार के झीलों में विभिन्न ड्रेनों द्वारा भी दूरस्थ गॉव से वर्षा का जल आता हैः–

क्रमांक	नाम	जल ग्रहण
1	भगवानपुर ड्रेन	17.5 घन मी0 / से0
2	पूरे अमेठियन ड्रेन	17.0 घन मी0 / से0
3	टिकरिया ड्रेन	36.0 घन मी0 / से0
4	सैदपुर ड्रेन	15.4 घन मी0 / से0
5	रोहनिया ड्रेन	20.0 घन मी0 / से0
6	दरियापुर ड्रेन	3.0 घन मी0 / से0

2.6 वन्य जन्तुओं का विस्तार, स्थिति, वितरण एवं प्राकृतिक आवास–

2.6.1 वनस्पतियाँ– समसपुर पक्षी विहार के पादप जगत का सर्वेक्षण कार्य वनाधिकारियों के द्वारा किया गया। वर्तमान में पुनः सर्वेक्षण के उपरान्त चिन्हित पादप प्रजातियों का वर्गीकरण के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है। पादप जगत की विस्तृत सूची परिशिष्ट में संलग्नक क्रमांक (16) में संकलित है। पादप–जगत की प्रमुख प्रजातियां– **''बीज रहित अपुष्पीय पादप जलीय शैवाल''–** एनाबीना, एर्थोरोस्पिरा, माइक्रोसाइस्टिस, ओसिलाटोरिया, फोरमीडियम, क्लोरोला, कोरोकोकस, हाइड्रोडिक्टयान, निटिला, पेडियस्ट्रम, सिनेडिसमस, स्पाइरोगायरा, जाइगनेमा, साइक्लोटेला, साइमवेला, नाविकुला, निटजकिना, सिनेड्रा, **''जलीय कवक''–** एकलिया, एफनोमाइसिस, पाइथियम, एफानिर्डीमेटम, स्प्रैलिजनिया, एस्परजिलियस, फलावोयस, एस्परजिलियस, प्यूमिगेटम, एस्परजिलियस नाइजर, म्यूकोर, फ्यूसारियम, **''जलीय टेरिडोफाइटा''–** मारसीलिया, क्वाड्रिफोलिएटा, एजोला पिन्नाटा, **''आवृत बीजी पादप– जलीय एवं दलदली पादप''–** लिमनोफाइटान ओबटूसिफोलियम, सीट्रोफाइलम डीमरसम, आईपोमिया एक्यूटिका, आईपोमिया फिस्टुलोसा, साजेटारिया, साइप्रस क्रोरिम्बोसस स्राइपस निवकस, साइप्रस प्लेटाइसटालिस, साइप्रस प्रोसेरस, स्क्रिपस आर्टीक्यूलेटस, निम्फोइडिस इन्डिकस इऐग्रोस्टेस जैपोनिका, हागोराइजा एरिस्टाटा, डैक्टाइलोस्टेनियम डस्मोस्टकेस, सूडोराफिस स्पाइनोसस, हाइड्रिला वर्टिसेलाटावैलिसनेरिया स्पिरेलिस, नेप्टयुनिया ओलिरेसीय, लेमना

पावसिकोस्टाटा, स्पिरोडिला पालीराइड एस्फौडिलिस टेन्यूफोलियस, निल्यूमबो न्यूसिफेरा, निमफीय स्टेलाटा, ज्यूसिया रिपेन्स, पोलीगोनस ग्लैब्रम, टाइफा, एनगुस्टाटा, स्थलीय पापद–अरूसा, करौंदा, मदार, कनकौआ चामिरा, दूब मूंज, कांस, बबूल, ढाक, कठीली बबूल, नींम, अर्जुन, जामुन, पीपल, खजूर, पीली कटीली, बेर, महुआ आदि हैं।

2.6.1.1 जीव भौगोलिक वर्गीकरण– पादप जगत– समसपुर पक्षी विहार के पादप जगत का सर्वेक्षण कार्य वनाधिकारियों के द्वारा किया गया। वर्तमान में पुनः सर्वेक्षण के उपरान्त चिन्हित पादप प्रजातियों का वर्गीकरण के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है। पादप जगत की विस्तृत सूची परिशिष्ट में संलग्नक क्रमांक (16) में संकलित है। पादप–जगत की प्रमुख प्रजातियां– ''**बीज रहित अपुष्पीय पादप जलीय शैवाल**''– एनाबीना, एर्थोरोस्पिरा, माइक्रोसाइस्टिस, ओसिलाटोरिया, फोरमीडियम, क्लोरोला, कोरोकोकस, हाइड्रोडिक्टयान, निटिला, पेडियस्ट्रम, सिनेडिसमस, स्पाइरोगायरा, जाइगनेमा, साइक्लोटेला, साइमवेला, नाविकुला, निटजकिना, सिनेड्रा, ''**जलीय कवक**''– एकलिया, एफनोमाइसिस, पाइथियम, एफानिर्डीमेटम, स्प्रैलिजनिया, एस्परजिलियस, फलावोयस, एस्परजिलियस, प्यूमिगेटम, एस्परजिलियस नाइजर, म्यूकोर, फ्यूसारियम, ''**जलीय टेरिडोफाइटा**''– मारसीलिया, क्वाड्रिफोलिएटा, एजोला पिन्नाटा, ''**आवृत बीजी पादप– जलीय एवं दलदली पादप**''– लिमनोफाइटान ओबटूसिफोलियम, सीट्रोफाइलम डीमरसम, आईपोमिया एक्यूटिका, आईपोमिया फिस्टुलोसा, साजेटारिया, साइप्रस क्रोरिम्बोसस स्राइपस निवकस, साइप्रस प्लेटाइसटालिस, साइप्रस प्रोसेरस, स्क्रिपस आर्टीक्यूलेटस, निम्फोइडिस इन्डिकस इऐग्रोस्टेस जैपोनिका, हागोराइजा एरिस्टाटा, डैक्टाइलोस्टेनियम डस्मोस्टकेस, सूडोराफिस स्पाइनोसस, हाइड्रिला वर्टिसेलाटावैलिसनेरिया स्पिरेलिस, नेप्टयुनिया ओलिरेसीय, लेमना पावसिकोस्टाटा, स्पिरोडिला पालीराइड एस्फौडिलिस टेन्यूफोलियस, निल्यूमबो न्यूसिफेरा, निमफीय स्टेलाटा, ज्यूसिया रिपेन्स, पोलीगोनस ग्लैब्रम, टाइफा, एनगुस्टाटा, स्थलीय पापद–अरूसा, करौंदा, मदार, कनकौआ चामिरा, दूब मूंज, कांस, बबूल, ढाक, कठीली बबूल, नींम, अर्जुन, जामुन, पीपल, खजूर, पीली कटीली, बेर, महुआ आदि हैं।

प्राणी जगत– समसपुर पक्षी विहार के प्राणी–जगत का सर्वेक्षण स्थानीय वनाधिकारियों द्वारा किया गया। वर्तमान में पुनः सर्वेक्षण के उपरान्त चिन्हित कर प्राणी–जगत की प्रजातियों को वर्गीकरण के अनुसार सूचीबद्ध किया गया। विस्तृत सूची परिशिष्ट संलग्नक क्रमांक में संकलित है। प्राणी–जगत की प्रमुख प्रजातियां ''**अकेशरूकी जीव**''– कोलपिडियम, यूग्लेना, पैरामीसियम, वार्टिसेल्ला, एनुरिया, फिलिनिया, रोटिफरनेप्यूरिवस, रंबडोलेइमस, हिल्डेनेरिया (जोंक), फेरेटिया (केंचुआ) ट्यूबिफैक्स, एनोन्फिलिस (मच्छर), ऐपिस इन्डिका (मधुमक्खी), केन्सर (केकड़ा), साइक्लोप्स, साइप्रिस, डैल्फनिया, ड्रेगन फ्लाईज, यूटरमेस (दीमक), कैक्रोब्रानकियम, लैयारी (झीगा), नेपा रोबस्टस (बिच्छू), एनोडोन्टा, भाइरूल्स, हिलिक्स, लाइमनिया, मेलेनाइड्स, प्लैनोरबिस, पाइला (घोंघा), विविपेरा बैंगालेन्सिस, विविपेराक्रैंसा, ''**मत्स्य वर्ग**''– चनना पंकटैट्स (सौर), चेला (डीडला), सिंहृनस मृगाला (नैन), क्लैरियस (भांगुर), क्यूड्सिया (सूया), हेटेरोन्फूस्टस (सिंधी), लैबियो कलवासु (करांच), लैबियो रोहिटा (रोहू) मैस्टसर्नेबिलंस अर्मेटस (बाम), मिस्टस सीधांला (टेंगर), नैटीप्टैरस (पतरा), शंकर चील, ओकाब, कलजंगा, मछारंग, गिद्ध, सफेद गिद्ध, कुतर, तीतर, मयूर, सारस, डाइक, जलमुरगी, पुन्टियस टिक्का (सिंधरी), वलागो अट्टू (परहन)– ''**अभयचरीवर्ग**''– बूफो मैलेनोटिकट्स (टोड), रानाटिम्नोवारी, राना टिग्रिना, ''**सरीसृप वर्ग**''– लिसेमिस पंकटाटा (कछुआ) कैमा, कबुतर, टैक्टम (कछुआ), एस्पिडेरिटिस गैन्जेटिक्स, एस्पिडेरिटिस हृयूरम, वारानस वैंगालेन्सस (गोह), केनोटिस वर्सिकलर (गिरगिट),

हैमिडैक्टिलस प्लैविरिडिस (छिपकली), पाइथन मोलुरस (अजगर), बंगेरस सैरूलियस (करैत), टाइस म्यूकोसस (धामन), नाजा नाजा (कोबरा), वाइपेरा रसेलि (वाइपर), एरिक्स जानी (दोमुँही), जैनोक्रोपिस पिस्केटर (पन्हिया सांप) एम्फिएसमा स्टोलाटा (घास का सांप), आरगईरोजेना फैसियोलेटस, **"स्तनधारी वर्ग"**— नीलगाय, वन विलाव, नेवला, भेंड़िया, बिज्जू, चीतल, काला हिरन, गिलहरी, चूहा, मूस, सेही, खरगोश चमगादड़।

पक्षी वर्ग— पनडुब्बी, डुबडुबी, जलकौआ, वानवर, अंजन बगुला, नरी बगुला, अंधा बगुला, गाय बगुला, छोटा बगुला, करछिया बगुला, जांघिल, घोंघिल, लगलग, लोहा सारंग, सफेद बाजा, काला बाजा, चमला, सवन, सिलकही, सुरखाब, सीखपर, छोटी मुर्गाबी, नीलसर, गुगराल, छोटा लालसर, चैता, तिदारी, लालसर, अबलक, गिर्री, चील, ओकाब, कलजंगा, मछारा, गिद्ध, सफेद गिद्ध, कुल्ट तीतर, मयूर, सारस, डाइक, जलमुर्गी, कैमा, टिकरी, जल मखानी, जलमोर, करवानक, चहा, टिटिहरी, सुरया, बयन, छुपका, पनकौआ, बगदाद, कबूतर, घोरफाख्ता, सिरोती, फाख्ता, चितरोखा, फाख्ता, हरियल, लाइबर तोता, तोता, हीरामन तोता, चातक, कोयल, महोका, घुग्घु, चुगद, उल्लू, छपका, किकिला, टोटा किकिला, कोडिल्ला, पतिरंगा, नीलकंठ हुदहुद, कठफोरवा, अगिन, अबाबील, मस्जिद अबाबील, लटोरा, तिलयर मैना, ब्राहमनी मैना, तिलयर, अबलक, देशी मैना, पहाड़ी मैना, कौआ, डोम कौआ, भुजंगा, भृंगराज, पीलक, महालक, सहेली, बंलालचश्म, बुलबुल, गुलदम बुलबुल, सतबहनी, गौगाई, पोदेना, सियार, कलचूरी, मुसारीची, गौरैया, बया, पिलकिया, धोवन पीनचकनी, खंजन, शकरखोरा, फूलचुकी, फूलसुंघी कुररी है।

2.1.1.2 वन प्रकार एवं वन्य जीवों का भोजन— चैम्पियन एवं सेठ के वर्गीकरण के अनुसार पक्षी विहार में पाये जाने वाले वनों का प्रकार निम्नवत् हैः—

उत्तरी ऊष्ण देशीय शुष्क पर्णपाती वन

लवणय क्षारीय बबूल पर्ण स्थलीय वन— 5/ई 8 ए 799.37 हेक्टेयर।

पक्षी विहार में प्राकृतिक रूप से देशी और विदेशी पक्षियों की आहार श्रंखलाएं मौजूद हैं।

2.6.1.3 घास का मैदान— पक्षी विहार क्षेत्र में मुख्य वन्य जीव पक्षी तथा जलीय जीव है परन्तु आस—पास के खुले क्षेत्रों से वन्य जीव नील गाय, चीतल तथा अन्य शाकाहारी जीव कभी—कभी इस क्षेत्र में आते रहते हैं और संरक्षित क्षेत्र के जल क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र का उपयोग चराई हेतु करते रहते हैं।

2.6.1.4 वृक्ष समुदाय का वर्गीकरण— परिशिष्ट में संलग्न है।

2.6.1.5 दुर्लभ प्रजातियों की सूची— वृक्ष एवं घास की दुर्लभ प्रजातियां रिक्त हैं।

2.6.1.6 खर—पतवार एवं हानिकारक वनस्पतियां— आईपोमिया, जलकुम्भी, नागरमोथा, टाइफा, जंगली घान इत्यादि। इनको मानचित्र में अंकित करते हुए परिशिष्ट में उल्लेख किया जा रहा है।

2.6.1.7 संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियां— पोलापोली, कमल, रजालू, फासई घास (जंगली चावल), कौलौच, शंखपुष्पी इत्यादि।

2.6.2 पशु जगत–

2.6.2.1 कशेरूकीय (Vertebrates) स्थिति, वर्गीकरण एवं प्राकृतिक आवास– कोलपिडियम, यूग्लेना, पैरामीसियम, वार्टिसेल्ला, एनुरिया, फिलिनिया, रोटिफरनेप्यूरिवस, रंबडोलेइमस, हिल्डेनेरिया (जोंक), फेरेटिया (केंचुआ) ट्यूबिफैक्स, एनोन्फिलिस (मच्छर), ऐपिस इन्डिका (मधुमक्खी), केन्सर (केकड़ा), साइक्लोप्स, साइप्रिस, डैल्फनिया, ड्रेगन फ्लाईज, यूटरमेस (दीमक), कैक्रोब्रानकियम, लैयारी (झीगा), नेपा रोबस्टस (बिच्छू), एनोडोन्टा, भाइरूल्स, हिलिक्स, लाइमनिया, मेलेनाइड्स, प्लैनोरबिस, पाइला (घोंघा), विविपेरा बैंगालेन्सिस, विविपेराक्रैंसा, **''मत्स्य वर्ग''–** चनना पंकटैट्स (सौर), चेला (डीडला), सिंहृनस मृगाला (नैन), क्लैरियस (भांगुर), क्यूड्सिया (सूया), हेटेरोन्फ्रूस्टस (सिंधी), लैबियो कलवासु (करांच), लैबियो रोहिटा (रोहू) मैस्टसर्नेबिलंस अर्मेटस (बाम), मिस्टस सीधांला (टेंगर), नैटीप्टैरस (पतरा), शंकर चील, ओकाब, कलजंगा, मछारंग, गिद्ध, सफेद गिद्ध, कुतर, तीतर, मयूर, सारस, डाइक, जलमुरगी, पुन्टियस टिक्का (सिंधरी), वलागो अट्टू (परहन)– **''अभयचरीवर्ग''–** बूफो मैलेनोटिकट्स (टोड), रानाटिम्नोवारी, राना टिग्रिना, **''सरीसृप वर्ग''–** लिसेमिस पंकटाटा (कछुआ) कैमा, कबुतर, टैक्टम (कछुआ), एस्पिडेरिटिस गैन्जेटिक्स, एस्पिडेरिटिस हृयूरम, वारानस वैंगालेन्सस (गोह), केनोटिस वर्सिकलर (गिरगिट), हैमिडैक्टिलस प्लैविरिडिस (छिपकली), पाइथन मोलुरस (अजगर), बंगेरस सैरूलियस (करैत), टाइस म्यूकोसस (धामन), नाजा नाजा (कोबरा), वाइपेरा रसेलि (वाइपर), एरिक्स जानी (दोमुॅही), जैनोक्रोपिस पिस्केटर (पन्हिया सांप) एम्फिएसमा स्टोलाटा (घास का सांप), आरगईरोजेना फैसियोलेटस, **''स्तनधारी वर्ग''–** वन विलाव, नेवला, भेंड़िया, बिज्जू, चीतल, काला हिरन, गिलहरी, चूहा, मूस, सेही, खरगोश चमगादड़, नीलगाय, **''पक्षी वर्ग''–** पनडुब्बी, डुबडुबी, जलकौआ, बानवर, अंजन बगुला, नरी बगुला, अंधा बगुला, गाय बगुला, छोटा बगुला, करछिया बगुला, जांघिल, घोंघिल, लगलग, लोहा सारंग, सफेद बाजा, काला बाजा, चमचा, सवन, सिलहरी, सुरखाब, सीखपर, छोटी मुर्गाबी, नीलसर, गुगराल, छोटा लालसर, चैता, तिदारी, लालसर, गिर्री, चील, शंकर चील, ओकाब, कलजंगा, मछारा, कुतर, तीतर, मयूर, सारस, डाइक, जलमुर्गी, कैमा, टिकरी, जल मखानी, जलमोर, कखनक, चहा, टिटिहरी, सुरया, बयन, छुपका, पनकौआ, बगदाद कबूतर, घोरफाख्ता, सिरोती फाख्ता, चितरोखा फाख्ता, हरियल, लाइबर तोता, तोता, हीरामन तोता, चातक, कोयल महोका, घुग्घु, चुगद, उल्लू, छपका, किकिला, छोटा किकिला, काडिल्ला, पंतिरंगा, नीलकंठ, हुदहुद, कठफोरवा, अगिन, अबाबील, मस्जिद अबाबील, लटोरा, तिलयर मैना, ब्राहमनी मैना, तिलयर, अबलक, देशी मैना, पहाड़ी मैना, कौआ, जंगली कौआ, भुजंगा, भृंगराज, पीलक, महालक, सहेली, बंलालचश्म, बुलबुल, गुलदम बुलबुल, वन बुलबुल, सतबहनी, गौगाई, पोदेना सियार, कलचूरी, मुसारीचीं, गौरैया, बया, पिलकिया, धोबन पीनचकनी, खंजन, शकरखोरा, फूलचुकी, फूलसुंधी कुररी है।

''अकशेरूकी जीव (Non Vertebrates)''– कोलपिडियम, यूग्लेना, पैरामीसियम, वार्टिसेल्ला, एनुरिया, फिलिनिया, रोटिफरनेप्यूरिवस, रंबडोलेइमस, हिल्डेनेरिया (जोंक), फेरेटिया (केंचुआ) ट्यूबिफैक्स, एनोन्फिलिस (मच्छर), ऐपिस इन्डिका (मधुमक्खी), केन्सर (केकड़ा), साइक्लोप्स, साइप्रिस, डैल्फनिया, ड्रेगन फ्लाईज, यूटरमेस (दीमक), कैक्रोब्रानकियम, लैयारी (झीगा), नेपा रोबस्टस (बिच्छू), एनोडोन्टा, भाइरूल्स, हिलिक्स, लाइमनिया, मेलेनाइड्स, प्लैनोरबिस, पाइला (घोंघा), विविपेरा बैंगालेन्सिस, विविपेराक्रैंसा।

2.6.2.2 सीमान्त कारक– वन्य जीवों को क्षति पहुंचाने के लिये विभिन्न कारक उत्तरदायी हैं। महत्वपूर्ण कारकों का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. मनुष्य– मनुष्य की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रहीं है, फलस्वरूप पेट भरने के लिये कृषि क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि की जा रही है परिणामवश वन्य जीवों का प्राकृतिक वास उसी अनुपात में कम हो रहा है एवं वन्य जीवों का विनाश भी हो रहा है।

2. पालतू पशु– पालतू पशुओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, जिसका असर वन्य जीवों के प्राकृतिक वास के विनास के रूप में हो रहा है। पालतू पशुओं की चराई से नीड़न पक्षियों के लिये गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है।

पालतू पशुओं से वन्य जीवों में रोगों के संक्रमण की सम्भावना बढ़ जाती है। पालतू पशु वन्य जीवों के बहुत बड़े क्षति कारक हैं।

3. बढ़ता प्रदूषण– घरेलू उपमार्जकों के नदियों एवं झीलों के जल में मिल जाने से ये रसायन विद्यटित होकर खाद्य श्रृंखलाओं में चले जाते हैं, जो जल के पारिस्थितकीय तन्त्र को तरह–तरह से हानि पहुँचाते हैं। जल में विषैले पदार्थों के कण धरातल पर रहने वाले शैवाल तथा अन्य पौधों को नष्ट कर देते हैं, जिससे वन्य जीवों की आहार श्रृंखला कुप्रभावित होती है।

4. जलवायु– संरक्षित क्षेत्र में कम वर्षा के कारण खर–पतवारों की मात्रा बढ़ जाती हैं तथा जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं तथा भोज्य पदार्थों में कमी आ जाती है। अन्ततः पक्षियों की संख्या में कमी आ जाती है।

5. भू–क्षरण– आस–पास के क्षेत्रों से वर्षा के पानी के साथ मृदा बहकर झील में आती है, फलस्वरूप झील की जल धारण क्षमता में कमी आती है। पादप अनुक्रम परिवर्तित होने लगता है, जो सीधे–सीधे पक्षियों की संख्या/प्रवास प्रभावित होता है।

अध्याय–3

प्रबन्ध का इतिहास एवं वर्तमान प्रक्रियायें

3.1 संरक्षण का इतिहास– समसपुर और विषैया झील का उल्लेख रायबरेली जनपद के गजेटियर में जनपद के दक्षिणी भाग में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय नरपतगंज, जलसैन, विषैया, समसपुर हैं, के रूप में लिखित है।

वर्तमान में समसपुर पक्षी विहार की अनेक झीलें मूल रूप से जमींदारों और राजाओं की सम्पत्ति थी, जिनका मुख्य उपयोग जमींदारों, राजाओं और अंग्रेजों द्वारा ''शिकारगाह'' के रूप में किया जाता था। शीतकाल में पक्षियों का शिकार एवं उन्हें पकड़ना सामान्य घटना थी। स्थानीय मांग के कारण ग्रामवासियों द्वारा मछलियों का व्यापारिक दोहन किया जाता था। सन् 1972 में वन्य जीव एवं जीवों के संरक्षण अधिनियम लागू होने पर पक्षियों का शिकार और मछली पकड़ने पर नियन्त्रण प्रारम्भ हुआ। इस अधिनियम को सन् 1934 में संशोधित कर पक्षियों के लिए बन्दी–काल निर्धारण हुआ और पक्षियों के विशिष्ट प्रजातियों का बन्दी–काल में शिकार प्रतिबन्धित किया गया। सन् 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश संख्या– 1917/पप/1–ए– 734/60 दिनांक 19.04.1969 के द्वारा इस झील में पक्षियों की विशिष्ट प्रजातियों का बंदीकाल घोषित किया गया। मुख्य संरक्षित पक्षी प्रजातियां नकटा (काम्बडक), गिर्री (काटन टील), गुलाब सर (पिंक हेडेड डक), गुगराल (स्पाट बिल), सिलकही (व्हिस्लिंग टील), चूहा (पन्टेड स्नाइप), काला तीतर (ब्लैक पैट्रिज) जल मुर्गी (मरहन), टिकरी (कूट), सवन (वारहेडेड गृह), लालसर (पोचार्ड), नीलसर (मलार्ड), छोटा लालसर विजन (सुरगाबी) टील, मैल (गाडवाल), जाघिल (स्टार्क) आदि थी। सातवें दशक में शिकार से पक्षियों को संरक्षित करने हेतु कुछ प्रहरी रखे गये। सन् 1972 में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 लागू होने पर इनका संरक्षण इस अधिनियम के अनुसार किया जाने लगा। सन् 1987 में समसपुर पक्षी विहार का गठन किया गया। रायबरेली वन प्रभाग ने सन् 1993 तक वन्य जीवा संरक्षण कार्य किया। सन् 1993 से समसपुर पक्षी विहार का वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्धन कार्य वन्य जीव परिरक्षण संगठन उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में समसपुर पक्षी विहार का वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्धन कार्य वार्षिक योजनाओं के अनुसार किया जा रहा है।

3.2 प्राकृतिक आवास प्रबन्धन– विभिन्न वन्य जीवों के सम्मिश्रण, पर्यावरण विकास और अनुकूलन के बिना किसी प्रजाति विशेष की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सामान्यतः जीवधारियों का प्राकृतिक वरण व अनुकूलन पर्यावरणीय परिस्थितियों/गुणों पर निर्भर करता है। प्राकृतवास में रहने वाली प्रत्येक प्रजाति पर्यावरणीय संतुलन का एक भाग होती है, जो हजारों वर्ष पूर्व से विकास, अनुकूलन और सुधार हेतु, प्राकृतिक तन्त्रों और प्राकृतिक सिद्धान्तों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। मानव की स्वार्थी मानसिकता के कारण धीरे–धीरे प्राकृतिक, पर्यावरण प्रदूषण, सिमटते प्राकृतवास के कारण बहुत से वन्य प्राणियों के लिये संकट उत्पन्न हो गया है और उनकी संख्या में भारी गिरावट आ गयी है।

शरण स्थल प्रबन्ध का मुख्य ध्येय/दृष्टिकोण पक्षि जीवों की समष्टि के सुधार/बढ़ोत्तरी करना है। पक्षी जाति का शरण स्थली विकास निम्न उद्देश्यों/भावनाओं पर आधारित हैः–

1. नीड़न क्षेत्र का विस्तार तथा विगत दशक में नीड़न में परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन।
2. पक्षी समष्टि की वास्तविक संख्या और सामान्य विकास क्रम।

3. पारिस्थितिक एवं स्वभावगत संवेदनशीलता (मुख्यतः विशिष्ट जैव प्रकृति पर निर्भरता अथवा विशेष प्रकार के भोजन, सामाजिक जीवन की सुरक्षा, अनुकूलन क्षमताएं)।
4. जीवितिता (सामान्यतः प्रजनन और प्राकृतिक मरण की दर)।
5. प्रत्यक्ष संकट (आखेट या अन्य ऐसी गतिविधियां, कीटनाशक का अतिक्रमण)।
6. अप्रत्यक्ष संकट (जैविक प्राकृतवास और भोजन संसाधनों का नष्ट होना या बदलाव)।

वर्तमान में पक्षी विहार में स्थानीय जल पक्षियों (इग्रेट, हेरान, स्पून बिल, डार्टर और आइविस) के नीड़न हेतु कोई भी वृक्ष न होने के कारण वे यहां प्रजनन नहीं करते हैं। यदि उचित और पर्याप्त संख्या में नीड़न योग्य वृक्ष प्रजातियों को पुनः उपलब्ध करा दिया जाये, तो यह पक्षी विहार इस क्षेत्र में पुनः प्रजनन तथा नीड़न करने लगेंगे। स्पून विल, कार्मोरेन्ट, डार्टर, सभी प्रकार के इग्रेट, पेन्टेड स्टार्क, ओपेन विल्ड स्टार्क और व्हाइट आइविस आदि झुण्डों में नीड़न करने वाले पक्षी हैं। स्पाट विल वृक्षों व भूमि में बने छिद्रों (खोखलों) को प्रजनन हेतु अधिक पसन्द हेतु अधिक पसन्द करते हैं। काटनटील और जकाना पानी पर तैरती घासों की गद्दी अथवा झील के किनारों पर प्रजनन करती हैं। स्थानीय पक्षियों के साथ–साथ प्रवासी पक्षियों की समष्टि में विकास हेतु आइलैण्ड निर्माण, वृक्ष पट्टिकाओं, झाड़ी व घास वाली भूमि, बैठने एवं पंख सुखाने के अड्डे, पक्षियों के पारिस्थितिक तन्त्र के संरक्षण तथा हानिकारक खरपतवार नियंत्रण आदि कार्य किये जायेंगे।

आईलैण्डों का विकास– स्थानीय पक्षियों के रात्रि विश्राम, नीड़न और प्रजनन हेतु पूर्व में निर्मित आइलैण्ड का रख–रखाव किया जायेगा। कुछ आईलैण्डों के ऊपर किनारे–किनारे आवश्यकतानुसार बबूल के वृक्ष रोपित किये जायेंगे। दो बबूल के वृक्षों के मध्य एक कंजी तथा मध्य में कदम्ब या फाइकस प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। कुछ आईलैण्डों पर अधिक दूरी पर बबूल के पौधों का रोपण किया जायेगा।

माउण्डों का विकास– पूरे पक्षी विहार क्षेत्र में माउण्ड निर्मित हैं, जो अनुमानित 5–7 मीटर व्यास वाले हैं। इन माउण्डों पर बबूल प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

वृक्ष पट्टिका का विकास– जल क्षेत्र के चारों ओर की भूमि पर स्थानीय पक्षियों के विश्राम, नीड़न एवं प्रजनन हेतु माउण्ड बनाकर पक्षियों की प्रिय पौध प्रजातियों का रोपण किया जायेगा तथा यह ध्यान रखा जायेगा कि पक्षियों के उड़ने व उतरने के स्थल प्रभावित न हों तथा जिससे क्षेत्रीय पारिस्थितिकी बाधित न हो। सामान्यतः इस प्रयोजन की पूर्ति हेतु निम्न गतिविधियां/रणनीतियां अपनाई जायेंगीः–

झील के उत्तर–पश्चिम दिशा में स्थान खाली रखा जायेगा, क्योंकि इसी दिशा में अधिकांश प्रवासी पक्षी समूह झील में आते हैं। इस दिशा में रोपण कर देने से पक्षियों के देखने का पथ व उड़ान पथ बाधित हो जाता है।

तोता प्रजाति, ग्रीन पीजन, बाब्रेट, हार्नबिल जैसी प्रजातियों के पक्षी फाइकस प्रजाति को अधिक पसन्द करते हैं। ईगल और स्टार्क, महुआ, कदम्ब, बबूल वृक्षों पर सामान्यतः प्रजनन व विश्राम करते हैं। अधिकांश पक्षियों द्वारा नीड़न व प्रजनन बबूल प्रजाति के वृक्षों पर ही किया जाता है। पक्षियों की प्रिय वृक्षा प्रजाति हैं– इमली, जामुन, कदम्ब, वहेड़ा, पाकड़, गूलर, बेल, नीम आदि। इन वृक्ष प्रजातियों के रोपण को प्राथमिकता दी जायेगी।

प्राकृतिक पक्षि पारिस्थतिकी के समकक्ष प्राकृतवास विकास करते समय कुछ स्थान बीच–बीच में खाली छोड़ते हुये वृक्ष पट्टिकायें तैयार की जायेंगी।

पौधों का रोपण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

क्षेत्र के जलमग्न/अधिकांश समय जलमग्न रहने के कारण शीतकालीन रोपण किया जायेगा, परन्तु अग्रिम मृदाकार्य अप्रैल से जून के मध्य किया जायेगा। मुख्यतः 90 से0मी0 ऊँचे माउण्ड पर रोपण कार्य किया जायेगा।

अन्य गतिविधियां विभागीय निर्देशों के अनुसार की जायेंगी। स्थानीय निवासियों/कृषकों का उनके निजी खेतों की मेढ़ों पर वृक्ष लगाने हेतु उपयुक्त प्रजातियों के पौधों का क्रय करके मुफ्त वितरण किया जायेगा।

झाड़ियों वाले क्षेत्र का विकास– संरक्षित क्षेत्र में कोई भी झाड़ियां नहीं है केवल ढैया व बेहया की झाड़ियां हैं। इन झाड़ियों में पर्पिल मूरहेन, वाटर मूरहेन, वाटर काक, मैना, बया, गौरैया, चिलचिल प्रजाति के पक्षी रात्रि विश्राम करते हैं तथा दिन में भी बैठते हैं। अतः बेहया व ढैया को नियंत्रित रूप क्षेत्र में बनाये रखा जायेगा। झील का पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र पूर्णतयः रिक्त है। इस क्षेत्र में रोपण पट्टिका का विकास प्रस्तावित किया जा रहा है। दो पट्टिकाओं क मध्य झाड़ी प्रजाति के पौधों को रोपण कर विकसित किया जायेगा, और इनके प्राकृतवास का भली प्रकार अध्ययन कर झाड़ी प्रजातियों का चयन किया जायेगा। मुख्यतः करौन्दा, मकोइया, झड़वेरी, अडूसा आदि प्रजाति के पौधों को रोपित किया जायेगा।

पक्षियों के लिये जल मध्य विश्राम सुविधा का विकास– बांस के 03×03 मी0 साइज के तैरने वाले रैफ्टर तैयार कर गहरे 11–जलक्षेत्रों में बारबलर, वैवलर, फ्लाईकैचर, मैना तथा अन्य जल पक्षियों के विश्राम हेतु दो–दो की संख्या में डाले जायेंगे।

3.3 संरक्षा एवं अभिसूचना संकलन– क्षेत्रीय वन्य जीव रीजनों की समाप्ति हो जाने के उपरान्त वन्य जीव संरक्षण से सम्बन्धित समस्त स्टाफ को संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात कर दिया गया है और उनका उत्तरदायित्व संरक्षित क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत सीमित हो गया है। संरक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त बाहरी क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण का कार्य वन विभाग के क्षेत्रीय स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है। परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 10 कि0मी0 की परिधि के क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र के स्टाफ द्वारा संरक्षण/प्रबन्ध हेतु सम्मिलित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के निवासियों के समस्त आग्नेयास्त्रों के लाइसेंसों का पंजीकरण किया जायेगा और अवैध आखेट करने वाले व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी के माध्यम से पंजीकरण न कराने वाले पुराने लाइसेंसों का नवीनीकरण तथा नये लाइसेंसों को जारी करने से पूर्व विभाग/संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धक की अनापत्ति शासनादेशों के अनुसार आवश्यक है, के अनुपालन का प्रयास किया जायेगा। उक्त परिधि के क्षेत्र में वन्य जीवों के अवैध आखेट/अवैध वन्य जीव व्यापार रोकथाम, अभिसूचना बढ़ाकर पेट्रोलिंग व कानूनी कार्यवाही कर दी जायेगी। उक्त उद्देश्य की पूर्ति निम्न गतिविधियाँ की जायेंगीः–

वन्य जीव संरक्षण में लगे वन्य जीव कर्मचारियों को आग्नेयास्त्र एमुनेशन, वायरलेस हैडसेट, वाइनाकुलर तथा अन्य सहायक सामग्री से लैस किया जायेगा।

प्रभावी नियंत्रण हेतु सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान हेतु एक स्थाई वायरलेस स्टेशन की स्थापना वन क्षेत्र मुख्यालय पर, रिपीटर लगाकर सूचना नेटवर्क की जायेगी, जिसमें सत्पक्र मीटर लगाकर प्रभागीय मुख्यालय से जोड़ा जायेगा।

प्रभावी गस्त हेतु नाव, मोटर साइकिल, साइकिल, ट्रैक्टर, जीप आदि वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे।

पेट्रोलिंग कैम्प, एन्टीपोचिंग व इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं का विकास/विस्तार किया जायेगा।

स्थानीय अभिसूचना बढ़ाने के उपाय किये जायेंगे, मुखबिरों को पुरूस्कृत किया जायेगा।

संरक्षण में संलग्न स्टाफ की अच्छे उत्कृष्ट कार्यों हेतु मानदेय भी दिया जायेगा और उनकी सराहना की जायेगी।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सतत् अनुश्रवण किया जायेगा।

3.4 पर्यटन एवं व्याख्यान– समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस आदि बड़े शहरों से सड़क मार्ग से सीधा जुड़ा होने के कारण यहां पर्यटन विकास हेतु पर्याप्त क्षमता व सम्भावनायें मौजूद हैं। जाड़े के मौसम में यहां लाखों प्रवासी पक्षी ठण्डे प्रदेशों, साइबेरिया, चीन, यूरोप, तिब्बत आदि से आते हैं और ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ होते ही अपने देशों को पुनः वापस चले जाते हैं। इसके साथ ही साथ स्थानीय पक्षी वर्ष भर अपना डेरा इस क्षेत्र में जमाये रहते हैं। दिसम्बर, जनवरी के माह में पक्षी विहार अपने सौन्दर्य के चरम पर रहता है। प्रवासी पक्षियों के आ जाने से यहां उत्सवी माहौल बन जाता है। इस अवधि में इन विदेशी मेहमानों का नजारा देखने योग्य होता है। इसी आकर्षण के कारण यहां पर्यटन बराबर आते रहते हैं।

जैव–विविधता संरक्षण की महत्ता, विभिन्न वन्य जीवों के सम्बन्ध में तथा संरक्षित क्षेत्र से सम्बन्धित जानकारी पर्यटकों को उपलब्ध कराने हेतु एक आकर्षक प्रदर्शन/व्याख्या केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इस केन्द्र में पक्षी विहार में उपस्थित वन्य जीवों तथा वनस्पतियों से सम्बन्धित जानकारी आकर्षक, प्रभावी ढंग से, चित्रों, चार्टों तथा अन्य विभिन्न ढ़ंगों से प्रदर्शित की जायेंगी। वन्य जीवों से सम्बन्धित फिल्मों, स्लाइडों के प्रदर्शन की व्यवस्था की जायेगी। इस तरह से इस केन्द्र को नवीनतम प्रचार–प्रसार उपकरणों से सुसज्जित कर प्रकृति व्याख्या/अध्ययन केन्द के रूप में विकसित किया जायेगा। व्याख्या केन्द्र हेतु जनरेटर की सुविधा भी रखी जायेगी।

3.5 शोध एवं पर्यवेक्षण– नम भूमि (Wetlands) क्षेत्रों में शोध कार्य कभी प्राथमिकता में नहीं रहे, परन्तु विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण निकाय, नम भूमियों व जल पक्षियों के संरक्षण में रूचि ले रहे हैं। इसी क्रम में बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा भारत में नम भूमियों (Wetlands) को सूचीबद्ध करने में सहयोग किया जा रहा है। पहली जनवरी, 1987 में ''नेशनल वाटर फाउल एण्ड वेटलैण्ड सर्वे'' इस सोसाइटी द्वारा किया गया और शीघ्र ही 1998 में दूसरा सर्वेक्षण किया गया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में वन विभाग द्वारा 15 वेटलैण्ड चिन्हित किये गये और उन्हें पक्षी अभ्यारण्यों के रूप में गठित किया गया। अब तक 13 पक्षी अभ्यारय गठित हो चुके हैं। नवाबगंज पक्षी विहार का गठन भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। वन्य जीव प्रबन्ध में शोध और अनुश्रवण बहुत कम क्षेत्र में हुआ, नाम मात्र की प्रगति इस दिशा में हुई, जिसका मुख्य कारण नीति, स्पष्ट उद्‌देश्यों, प्राथमिकताओं का अभाव तथा अपर्याप्त कोष सहायता। शोध कार्य केवल जैविक क्षेत्र

में ही नहीं वरन सामाजिक तथा प्रबन्ध क्षेत्र में भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। शोध से बेहतर प्रबन्धन में सहयोग प्राप्त होगा।

इसके लिये आधारभूत आंकड़े एकत्र कर भविष्य में प्रबन्ध हेतु गाइड लाइन तैयार की जायेगी। क्षेत्र का संरक्षण होने के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिनका प्रभाव पक्षी वर्ग की संख्या तथा उनकी संख्या संरचना पर पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त वनस्पतियों के क्रम में भी परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में शोध कार्य एवं उसका मूल्यांकन आवश्यक है।

प्रबन्ध योजना के शोध सम्बन्धी मुख्य उद्‌देश्य–

1. वनस्पतियों, प्राणियों, झील के जल चक्र के अर्न्तसम्बन्धों का आंकलन करना।
2. संरक्षित क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न वनस्पतियों और जीवों की सूची तैयार करना।
3. संरक्षित क्षेत्र के महत्वपूर्ण वनस्पतियों एवं जीवों के प्राकृत इतिहास का अध्ययन।
4. संरक्षित क्षेत्र में कुछ पक्षियों के प्रजनन सफलता, प्रजाति संरचना पर प्राकृतवास संरक्षण के प्रभाव का अध्ययन।
5. प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र के विकास हेतु प्रबन्ध योजना को संशोधित करना।
6. भविष्य के अन्य जल क्षेत्रों के पक्षी अभ्यारण्य में विकास हेतु संरक्षित क्षेत्र को प्रतिदर्श रूप में तैयार करना।

प्रस्तावित शोध कार्य– शोध हेतु महत्वपूर्ण निम्न विषयों को अध्ययन में सम्मिलित किया जायेगाः–

अ. पर्यावरण–

1. जल विज्ञान
2. मौसम विज्ञान
3. जल के भौतिक, रासायनिक गुण

ब. वनस्पति–

I. प्लैक्टन

1. प्राथमिक उत्पादकता
2. जैव वनस्पति प्लैंक्टनों की जैव मात्रा व समुदाय में ऋत्विक तथा वार्षिक परिवर्तन।

II. जलीय वनस्पति

1. जलीय पौधों की जैव मात्रा में ऋत्विक और वार्षिक विभिन्नतायें।
2. जलीय वनस्पति की प्रजाति वैविध्य और परिवर्तन।
3. जलकुम्भी, पटेरा, मोथा, बेहया और कार्निया के उन्मूलन का पक्षी समष्टि पर प्रभाव।

स. स्थलीय जीव–

मत्स्य जीव

1. मछलियों की सघनता और उनके वार्षिक तथा ऋत्विक उतार–चढ़ाव का अनुश्रवण।
2. मछलियों में समष्टि को प्रभावित करने वाले कारक।
3. मत्स्य समष्टि के उतार उढ़ाव का मत्स्य भोजी पक्षियों पर प्रभाव।

सरीसृप

1. कछुओं की समष्टि सघनता।
2. संरक्षित क्षेत्र के निश्चित स्थानों पर पर्यटकों के आकर्षण हेतु अजगर का पुर्नवासन।

द. पक्षी वर्ग–

1. जलीय पक्षियों क समष्टि का अनुश्रवण।
2. कुछ स्थानीय पक्षियों को सफल करने वाले कारकों का पता लगाना।
3. उपनिवेशीय पक्षी प्रजातियों (स्पून विल, इगरेट, आइविस, स्टार्क, कार्मोरेन्ट इत्यादि) के उपनिवेशन की दर।
4. कुछ महत्वपूर्ण, बत्तख, स्टार्क और सारस प्रजातियों द्वारा प्राकृतवास का उपयोग।
5. शिकारी पक्षियों पलाश, फिलिस ईगल, ग्रेटर स्पाटेड ईगल और मार्श हैरियर का सामान्य पारिस्थितिक स्तर।

रिसर्च स्टाफ–

शोध कार्यों को संचालित करने हेतु तीन शोध वैज्ञानिकों की आवश्यकता होगी।

1. पक्षी वैज्ञानिक
2. सरोवर वैज्ञानिक
3. पादप पारिस्थितिकी वैज्ञानिक

शोध स्टाफ कुछ माह का प्रशिक्षण केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर तथा वन्य जीव संस्थान, देहरादून में प्राप्त करने के उपरान्त क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करेंगे।

उपकरण–

अ. प्रयोगशाला उपकरण–

भरतपुर में बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की एक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला है, जिसमें महत्वपूर्ण उपकरण जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रोटोम, हेमोजेनाइजर, सेन्ट्रीफ्यूग, मफिल फर्नेश, स्पेक्ट्रोमीटर, फ्लैमो फोटोमीटर, इनक्यूवेटर आदि मौजूद हैं। संरक्षित क्षेत्र में प्रयोगशाला हेतु दिन प्रतिदिन प्रतिदर्शों के विश्लेषण हेतु आधारभूत निम्न उपकरणों की आवश्यकता होगी–

क्रमांक	मद / उपकरण
1–	कम्पाउण्ड माइक्रोस्कोप
2–	इनवर्टेड माइक्रोस्कोप
3–	डिसेक्शन माइक्रोस्कोप
4–	कन्डक्टिविटी मीटर
5–	pH मीटर
6–	ऑक्सीजन एनालाइजर
7–	खालढाल एपेरेटस
8–	बी0ओ0डी0 इनक्यूवेटर
9–	रेफरीजरेटर
10–	ग्लासवेयर तथा केमिकल

ब. फील्ड उपकरण–

1– टेलिस्कोप

2– वाइनाकुलर

3– जूम व टेलिलेन्स सहित कैमरा

4– वीडियो कैमरा

5– वेधशाला सम्बन्धी उपकरण, वर्षामापी, तापमापी, वायुदाबमापी, आद्रतामापी, वायुगति एवं दिशामापी आदि।

भवन– संरक्षित क्षेत्र की झील के निकट एक शोध प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी।

वाहन– शोध अधिकारियों के लिये मोटर साइकिल तथा शोध सहायकों हेतु साइकिल तथा नावें उपलब्ध कराई जायेंगी।

प्रतिफल–

अन्तरिम रिपोर्ट– प्रत्येक छः माह में अन्तरिम रिपोर्ट वन विभाग को भेजी जायेगी।

अन्तिम रिपोर्ट– परियोजना के पूर्ण होने पर विस्तृत अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

पी0एच0डी0 थीसिस– अभ्यर्थियों की अभिरूचि के अनुसार संरक्षिण क्षेत्र के पारिस्थितिकी से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर पी0एच0डी0 हेतु अनुमति दी जायेगी, उनके द्वारा शोध पत्र की एक प्रति वन विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

प्रशिक्षण– संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धित स्टाफ भली प्रकार प्रशिक्षित नहीं है। वर्तमान समय में तीन तरह के प्रशिक्षण कोर्स उपलब्ध हैः–

1. भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा आई0एफ0एस0 एवं पी0एफ0एस0 के लिये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स।
2. भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स–फारेस्ट रेंजर के लिये।
3. उ0प्र0 वन विभाग द्वारा वन्य जीव रक्षक/वन रक्षक के लिये वन्य जीव ट्रेनिंग कोर्स।

वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र में तैनात अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी उपरोक्त कोर्स में प्रशिक्षित नहीं हैं, उनको प्रशिक्षित किया जायेगा।

3.6 ग्रामों की पुनर्स्थापना– पक्षी विहार क्षेत्र में ग्रामों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

3.7 प्रशासन एवं संगठन– समसपुर पक्षी विहार का प्रबन्धन वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ के अधीन किया जाता है, इस पक्षी विहार का प्रशासनिक ढ़ाँचा निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	पदनाम	कार्यरत	अतिरिक्त आवश्यकता	कुल योग
1.	क्षेत्रीय वन अधिकारी	1	–	1
2.	उप वन रेंजर/वन दरोगा	1	1	2
3.	वन रक्षक/वन्य जीव रक्षक	2	4	6
4.	चौकीदार/कम अटेन्डेट	0	4	4
5.	नाविक	1	1	2
6.	क्षेत्र सहायक	2	0	2

* चौकीदार के अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति आउटसोर्सिंग द्वारा की जायेगी।

3.8 पट्टा (Lease) – रिक्त।

3.9 वन अग्नि– समसपुर पक्षी विहार जल प्लावित क्षेत्र है जहाँ वन अग्नि की दुर्घटना उसके बफर जोन से सम्भावित है, परन्तु विगत वर्षों में कोई वन अग्नि की घटना नहीं घटित हुई है।

3.10 कीटों का आक्रमण एवं रोग विज्ञान सम्बन्धी समस्यायें– जलीय क्षेत्र में पानी की कमी होने पर विभिन्न प्रकार के जल जनित बैक्टीरिया क्रियाशील हो जाते हैं, जो पक्षियों एवं अन्य जीवों को प्रभावित करते हैं।

3.11 वन्य जन्तु संरक्षण की रणनीति एवं मूल्यांकन– वन्य जीवों को व्यापक संरक्षण प्रदान करने के लिए संसद ने 1972 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 पारित किया। यह अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण, आखेट, वनों के अन्दर तथा बाहर संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण, वन्य उत्पादों के व्यापार के विनियमन आदि को शासित करता है।

हालांकि इस अधिनियम द्वारा वन्य पशुओं का शिकार प्रतिबन्धित हो गया किन्तु व्यवहार में चोरी छिपे शिकार भारी पैमाने पर होता रहा क्योंकि जीव जन्तु ट्राफियों और वस्तुओं का व्यापार पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित नहीं था।

अन्ततः 1976 में भारत में वन्य जीवों को संविधान में उचित स्थान और मान्यता मिली। संसद ने संविधान (बयालिसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 पारित किया और भाग–4 में (03.01.1977) से अनुच्छेद 48–क अन्तः स्थापित किया जिसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त अन्तर्निहित है। ''राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा''। 1976 में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, भारत ने 20 जुलाई, 1976 को वन्य प्राणिजगत और वनस्पति जगत की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेन्शन जिसको ''साइटिस'' के नाम से जाना जाता है, की अनुसमर्थन के दस्तावेज जमा करवायें। 1986 में संशोधन द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 में एक नया अध्याय 5–क जोड़ा गया और अनुसूचित जीव–जन्तुओं के व्युत्पन्न ट्राफियों, जीव–जन्तु, वस्तुओं इत्यादि के व्यापार अथवा वाणिज्य पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया। वर्ष 1991 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 को 02 अक्टूबर, 1991 से 1991 के संशोधन अधिनियम संख्या–44 के द्वारा पुनः संशोधित किया गया। यह एक ऐतिहासिक संशोधन था। इसमें अनुसूची–6 जोड़ी गई। संरक्षित क्षेत्र नवाबगंज पक्षी विहार के विभिन्न संरक्षण कार्य सामाजिक वानिकी प्रभाग, उन्नाव द्वारा किये जा रहे थे। वर्ष 1991 से यह क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण संगठन के अधीन आ गया तब से इनका प्रबन्ध इस संगठन द्वारा किया जाने लगा।

पादप जगत का सर्वेक्षण कर वनाधिकारियों एवं ग्रामीणों के सहयोग से पादप जगत की वर्गीकृत सूची तैयार की गई है। इसी तरह प्राणी जगत का सर्वेक्षण कर वनाधिकारियों एवं बॉम्बे नेचुरह हिस्ट्री सोसाइटी के पक्षी वैज्ञानिक के सहयोग से संरक्षण हेतु प्राणी जगत की वर्गीकृत सूची तैयार की गई है।

3.12 संचार– समसपुर पक्षी विहार लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी सहित प्रदेश के लगभग सभी शहरों से स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है। रेल एवं सड़क मार्ग से सुगमता पूर्वक यहाँ पहुँचा जा सकता है। पक्षी विहार की सुरक्षा गश्त हेतु दो फाइबर बोट उपलबध हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई संचार साधन उपलब्ध नहीं है।

3.13 अन्तर एजेन्सी कार्यक्रम एवं समस्यायें–

1. गांगेय मैदान की पारिस्थितिकीय तंत्र एवं जैव विविधता का संरक्षण तथा संवर्धन।
2. संरक्षित क्षेत्र की जैव विविधता के सजीव संग्रहालय अथवा जीन बैंक के रूप में पोषित एवं विकसित करना।
3. वन्य जीवों एवं प्रवासी/स्थानीय पक्षियों का संरक्षण एवं संवर्धन के साथ इनके लिये सुरक्षित नीड़न स्थलों एवं भोजन पदार्थों में वृद्धि करना।
4. प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र को विशिष्ट रूप से विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करना।
5. जन साधारण को क्षेत्रीय वनस्पतियों एवं वन्य जीवों के विषय में व्याख्यात्मक अध्ययन का अवसर प्रदान करना।
6. संरक्षित क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय क्षेत्र के निवासियों की सहभागिता से संरक्षण कार्य करना।
7. पर्यावरण चेतना आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना एवं संरक्षित क्षेत्रों को प्राकृतिक पारिस्थितिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।
8. संरक्षित क्षेत्र के अन्दर एवं आस–पास के क्षेत्र में पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय शोध, अध्ययन को बढ़ावा देना।

प्रबन्ध उद्देश्यों की प्राप्ति में विभिन्न समस्याएं निम्न प्रकार हैः–

स्थानीय समस्यायेंः– समसपुर पक्षी विहार कृषि भूमि के मध्य में स्थित है तथा इसके चारों ओर कई गांव बसे हुये हैं। गॉववासियों की निर्भरता पक्षी विहार के संसाधनों पर रहती है। पक्षी विहार के निकटवर्ती गॉव में औसत जोत काफी कम है तथा इन गॉवों में चारागाह भी नहीं है, जिससे इन गॉवों के मवेशियों द्वारा इस क्षेत्र का उपयोग चराई हेतु किया जाता है इस प्रकार जैविक दबाव के कारण प्राकृतवास को काफी क्षति पहुँचती है।

1. आस–पास के गॉववासियों की आर्थिक दशा काफी खराब है। जीवन–यापन हेतु ये लोग इस क्षेत्र के संसाधनों की प्राप्ति हेतु पक्षी विहार क्षेत्र में मदली पकड़ना, सिंघाड़ा, कमलगट्टा तथा अन्य व्यावसायिक वन उपज का विदोहन करने का प्रयास भी कभी–कभी करते हैं।
2. पक्षी विहार की सीमा से संलग्न आस–पास के ग्रामीणों की कृषि भूमि स्थित है। जिसमें खेती का काम होता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु रासायनिक उवर्रक एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। वर्षा ऋतु में आस–पास का पानी बहकर झील में एकत्र होता है, जिसके साथ रासायनिक पदार्थ घुलकर झील क्षेत्र में जमा हो रहे हैं। इनका कुप्रभाव जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है। इसके साथ–साथ आस–पास के गॉवों में लोगों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले डिटरजेन्ट एवं अन्य पदार्थ भी बहकर वर्षा ऋतु में झील में आ जाते हैं।

प्रशासनिक समस्यायें–

1. पक्षी विहार में वर्तमान में तैनात कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से काफी कम है तथा इन लोगों के लिये आवश्यक संसाधन भी नाममात्र के ही उपलब्ध है।
2. संरक्षण एवं विकास कार्य लागू करने के लिये संशाधनों का अभाव है। प्रदेश की विभिन्न शासकीय विकास संस्थाओं से समन्वय एवं उनके सहयोग में भी काफी कमी है। इस वजह से विकास कार्यों का सीमित प्रभाव होता है।

3. स्थानीय लोगों में इस क्षेत्र की महत्ता से सम्बन्धित जानकारी का भी अभाव है, जिसके कारण ये लोग पारिस्थितिकीय संतुलन की आवश्यकताओं को महत्व नहीं दे पाते हैं। अतः संरक्षण में उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है।

3.14 वन्य जन्तुओं पर आसन्न संकट का सारांश– पर्यावरण में विभिन्न प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है। कल कारखानों, यातायात के साधनों, ईंधन जलाने आदि के कार्यों से वातावरण में Co_2 (कार्बन डाई ऑक्साइड) की मात्रा बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त So_2 (सल्फर डाईऑक्साइड), CO (कार्बन मोनोऑक्साइड), क्लोरीन, नाइट्रोजन आक्साइड, P2O2 (पोटेशियम पेन्टा आक्साइड), NH_3 (आमोनिया) आदि गैसें वातावरण में बह रही हैं। इस सभी से वन्य पशुओं में भी फेफड़ों की बीमारियों CO से दम घुट जाता है। क्लोरीन घास के पहुंच कर अस्थियां कमजोर कर देता है। वायुमण्डल में प्रदूषकों की परत के कारण सूर्य प्रकाश पौधों तक पहुंचना कम हो जाने से प्रकाश संश्लेषण में कमी से पत्तियां पूर्ण अथवा आंशिक रूप से झुलस जाती हैं। वन्य जीवों का प्राकृतवास प्रभावित होता है। घरेलू उपमार्जकों के प्रयोग, छोटे जीवों को नष्ट करने वाले पदार्थ, साबुन, सोडा, पेट्रोलियम उत्पाद, फैरीअम्ल, डी0डी0टी0 गैमेक्सीन, फिनायल आदि के प्रयोग करने के बाद नालियों द्वारा नदियों तथा झीलों के जल में मिल जाता है। यह पदार्थ विघटित नहीं होते तथा खाद्य श्रृंखलाओं में चले जाते हैं। इसी तरह शैम्पू, मिट्टी का तेल, विषैली दवाओं आदि से विघटन होकर फीनाल, कोपेट क्लोरीन अमोनिया, साइनाइड्स आदि उत्पन्न हो जाते हैं जो जल की पारिस्थितिक को तरह–तरह से हानि पहुंचाते हैं। प्रदूषण से जल में रहने वाले जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है जिससे वे नष्ट हो जाते हैं तथा उनमें तरह–तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जल में विषैले पदार्थों के कण नीचे बैठ जाते हैं और धरातल पर रहने वाले शैवाल तथा अन्य पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। इससे परिस्थिक तंत्र असंतुलित हो जाता है।

कृषि फसलों की सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ, डी0डी0टी0, मीथाक्सी, क्लोरीन, फीनाल, पोटेशियम परमैग्नेट चूना, गन्धक चूर्ण, क्लोरीन, फार्मेल्डीहाइड, कपूर, टाक्साफेन, हेप्टाक्लोर एवं विभिन्न प्रकार के अपतृण नाशी, कवक नाशी आदि प्रयोग में लाये जाते हैं। ये पदार्थ अवांछित रूप से भूमि, जलवायु में एकत्रित होकर भोजन के साथ जीवों के शरीर में पहुंच जाते हैं। भूमि के ह्यूमस बनाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। भूमि की उर्वरता में कमी आने से वनस्पतियों की वृद्धि प्रभावित होती है, जिससे खाद्य श्रृंखला पर कुप्रभाव पड़ता है।

रेडियोधर्मी पदार्थ परमाणु विस्फाटों से वातावरण में पहुंच कर पौधों, जीवों, जन्तुओं के शरीर में पहुँच जाते हैं जिससे जीन्स में उत्परिवर्तन हो जाने से संततिया नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। संरक्षित क्षेत्रों के आस–पास सड़कों पर आवागमन के कारण ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ये ध्वनि तरंगे जीवों की विभिन्न उपाचयी क्रियाओं को प्रभावित करती हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, जिससे जैव अपघटन क्रिया बुरी तरह प्रभावित होती है।

जलवायु कारक– संरक्षित क्षेत्र में कम वर्षा के कारण अवांछनीय खरपतवारों की मात्रा बढ़ जाती है तथा जलीय जीव नष्ट हो जाने से भोज्य पदार्थों में कमी आ जाती है, जिससे पक्षियों के भोजन एवं गोताखोरी क्षेत्र में कमी एवं पक्षियों की संख्या में कमी कर देता है। जब अत्याधिक वर्षा हो जाती है तब आस–पास के क्षेत्रों से अत्यधिक हानिकारक जलकुम्भी बह कर झील में आ जाती है, जो प्राकृतवास को ढक लेती है और किसी अन्य वनस्पति को ऊपर आने नहीं देती है।

भू–क्षरण– आस–पास के क्षेत्रों से वर्षा के पानी के साथ मृदा बहकर झील में आती है और उसकी तली को भरने लगती है जिससे झील की जलधारण क्षमता में कमी हो जाती है तथा कृषि क्षेत्रों के खर–पतवार झील में उगने लगते हैं। पादप अनुक्रम परिवर्तित होने लगता है। भविष्य में झील के पूर्णतया सूख जाने से सपाट स्थल में परिवर्तित हो जाने की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं, जो सीधे–सीधे वन्य जीवों की संख्या/प्रवास को प्रभावित करेंगी।

कैचमेन्ट क्षेत्र का ह्रास।
कर्मचारियों की संख्या में कमी।
अन्तर विभागीय समन्जस्य न होना।
बन्दोबस्ती प्रक्रिया में अन्य विभागों से सहयोग न मिलना।
पालतू पशुओं द्वारा चराई की समस्या।
अवैध शिकार की समस्या।
आधुनिक संसाधनों की कमी।

अध्याय–4

संरक्षित क्षेत्र एवं उसके भू–उपयोग की स्थिति

4.1 प्रभाव क्षेत्र की स्थिति– समसपुर पक्षी विहार गंगा के मैदानी पारिस्थितिकी तन्त्र का छोटा सा भाग है। इस संरक्षित क्षेत्र का लैण्डस्केप पूरे सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, रायबरेली (जनपद रायबरेली) का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र समाहित करता है। यह क्षेत्र 25^0 49" से 26^0 36" उत्तरी अक्षांश एवं 80^0 41" से 81^0 34" पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में बाराबंकी, पूरब–उत्तर में सुल्तानपुर, दक्षिण–पूर्व में प्रतापगढ़ तथा उत्तर–पश्चिम में लखनऊ व पश्चिम में उन्नाव जनपद एवं दक्षिण में जनपद सीमा से बहती हुई गंगा नदी व फतेहपुर जनपद स्थित है। लैण्डस्केप क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सूचनायें निम्न प्रकार हैः–

1. कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	–	4527.31 वर्ग कि0मी0
अ. ग्रामीण क्षेत्र	–	98.86%
ब. शहरी क्षेत्र	–	1.14%
2. जनसंख्या (2001 जनगणना के अनुसार)	–	28,72,335
अ. गॉवों में रहने वाले	–	88%
ब. शहरों में रहने वाले	–	12%
3. औसत जनसंख्या प्रति कि0मी0^2	–	635

4.2 भू–उपयोग का वर्गीकरण– सामाजिक वानिकी वन प्रभाग वन क्षेत्र में नहर, रेल, सड़क पटरियों की वृक्षावली तथा वन खण्डों एवं ग्रामवनों का क्षेत्र समाहित है। इस क्षेत्र में गंगा, सई, लोन आदि नदियों के ऊपरी खादर की भूमियां सम्मिलित हैं।

भौमिकी, शैल एवं मृदा– भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, 1993 में चतुर्थ कल्पी, भू–वैज्ञानिक एवं भू–आकृतिक क अनुसार यह क्षेत्र उच्चवर्ती गंगा–घाघरा दोआब के अन्तर्गत स्थित है, जो दो भागों में बँटा हैः–

अ. उच्च स्तरीय भू–भाग (भाँगर)– इसमें वाराणसी पुरातन जलोढ़ मैदान, जिसकी समुद्र सतह से ऊँचाई 90 मीटर से 160 मीटर तक है, का क्षेत्र है। जिसमें पूर्व काल में स्थित अब अलोप जल प्रवाहक तन्त्र, पुरा ज प्रवाहक तन्त्र, पुरा विसर्पी विच्छेद, ताल अर्धचन्द्राकार झील (आक्सीटोनिक) तथा वर्ष में जल भराव वाले क्षेत्र आते हैं। गंगा, सई, गोमती, लोन, नदियों के किनारे की कटाव के कारण उत्खात भूमि (वैडलैण्ड), कई किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैली है।

ब. निम्न स्तरीय भू–भाग– इसके अन्तर्गत नदियों के बाढ़कृत मैदान सम्मिलित हैंः–

(1) प्राचीन बाढ़कृत मैदान– वाराणसी पुरातन जलोढ़ से 1 से 12 मीटर कम ऊँचाई वाले क्षेत्र हैं।
(2) तटीय बाढ़कृत मैदान– प्राचीन बाढ़कृत (खादर) नदियों से आसन्न 200 मीटर से 18 कि0मी0 चौड़ी विछिन्न मछराकार (लेन्टीकुलर) भू–पट्टियों के रूप में पाया जाता है। जिनका विस्तृत ढाल नदी की तरफ है, कहीं–कहीं परित्यक्त जल प्रवाहक मौजूद है।

3– संरक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त झील/तालाब– लैण्डस्केप क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र का भाग 0.28 भू–भाग ही वनाच्छादित है। लैण्डस्केप क्षेत्र के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त बहुत से झील/तालाब व अन्य पक्षी/वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र निम्न प्रकार हैः–

क्रम सं0	नाम	विकास खण्ड/रेन्ज	स्वामित्व	क्षेत्रफल (हे0 में)	अन्य विवरण
1.	पक्सरावाँ झील	सलोन	ग्राम सभा	20 हे0	जाड़े के दिनों में स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों का आवागमन होता है।
2.	उमरन झील	रोहनिया (डलमऊ)	ग्राम समाज	15 हे0	————''————
3.	धोवहा ताल	ऊँचाहार (उलमऊ)	ग्राम समाज	5 हे0	————''————
4.	पाकर गॉव झील	तिलोई	राजस्व विभाग	10 हे0	————''————
5.	मगदहा झील	तिलोई	राजस्व विभाग	5 हे0	————''————
6.	शचमर झील	तिलोई	राजस्व विभाग	10 हे0	————''————
7.	समौधा झील	बछरावाँ	ग्राम समाज	13 हे0	————''————
8.	नीम टोकर झील	बछरावाँ	ग्राम समाज एवं काश्तकार भूमि	25 हे0	————''————
9.	बंकागढ़ झील	बछरावाँ	ग्राम समाज एवं काश्तकार भूमि	68 हे0	————''————
10.	बेड़ारू झील	बछरावाँ	ग्राम समाज एवं काश्तकार भूमि	42 हे0	————''————
11.	मूँगताल झील	बछरावाँ	ग्राम समाज एवं काश्तकार भूमि	20 हे0	————''————
12.	जनई	बछरावाँ	ग्राम समाज एवं काश्तकार भूमि	30 हे0	————''————
13.	बड़ैला झील	लालगंज	ग्राम समाज भूमि	13 हे0	————''————

उपरोक्त के अतिरिक्त बड़े–बड़े वन खण्डों में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों की उपस्थिति देखी गयी है।

1. शैल– उक्त स्केप क्षेत्र बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट वर्ग/विन्ध्य शैल समूहों द्वारा निर्मित आधारशिलाओं के उपरिशमी चतुर्थ कल्पीय जलोढ़ अवसादों की मोटी तह से बना है, क्षेत्र में कहीं भी शैल दृष्टिगोचर नहीं है। इसमें आश्मिक स्तरिकी (लिथेस्ट्रैटीग्राफिक) शैल हैं जो दो भागों में विभक्त हैः–

1. वाराणसी पुरातन जलोढ़क – इसमें ऊपरी भाग आते हैं।
2. नवीन जलोढ़क – लहर निर्माण

2. मृदा– भू–दृश्य क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न मृदायें पायी जाती हैः–

1. बलुई मृदा (ऊपरी पर्त नुकीली बालू)
2. स्थिर मृदा (स्टैबिलाइज्ड सैण्ड)
3. बलुई व सार (सिल्ट)
4. बलुई दोमट
5. चिकनी दोमट (ऊपरी पर्त चिकनी दोमट)
6. लवणीय/क्षारीय मृदायें

3. खनिज– लैण्डस्केप क्षेत्र में गौण खनिज कंकड़, शोरा व रेह बहुतायत से पाया जाता है।

4.3 ग्रामों की सामाजिक/आर्थिक स्थिति– संरक्षित क्षेत्र के परिधि में स्थित सभी ग्रामों के आर्थिक स्थित अत्यन्त खराब है, अधिकांश लोग पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशु पालन है।

4.4 ग्रामीणों का प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता– पक्षी विहार घोषित होने के पूर्व वे लोग झीलों से मछलियां, पक्षियों का शिकार एवं कमलगट्टों की जड़ों, फूलों आदि का व्यवसाय किया करते थे तथा पालतू पशुओं को चराते थे, जो वर्तमान में पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

4.5 प्रभाव क्षेत्र में उत्पादन– संरक्षित क्षेत्र की सीमा में कृषि, पशु पालन एवं मछली पालन निषेध है। प्राकृतिक रूप से प्रभाव क्षेत्र में मछली एवं जलीय पौधे पाये जाते हैं, जो क्षेत्र में आने वाले प्रवासी/स्थानीय पक्षियों के भोज्य के काम आते हैं। पक्षियों के वास को बढ़ाने की दृष्टि से वानिकी कार्य समय–समय पर कराये जाते हैं। पक्षी विहार में आने वाले पर्यटकों से प्रति व्यक्ति रू0 30/– प्रवेश शुल्क लिया जाता है।

4.6 मानव वन्य जन्तु संघर्ष– मुनष्य की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, फलस्वरूप खाद्य आवश्यकता बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि की जा रही है। परिणामवश वन्य जीवों का प्राकृतिक वास उसी अनुपात में कम हो रहा है एवं वन्य जीवों का विनाश भी हो रहा है। संरक्षित क्षेत्र की सीमायें मौके पर स्पष्ट न होने एवं पालतू पशुओं की चराई पर प्रतिबन्ध होने से स्थानीय ग्रामीणों एवं वन कर्मचारियों के मध्य अन्र्तद्वन्द्व व्याप्त रहता है। यदपि पक्षियों (प्रवासी एवं अप्रवासी) एवं स्थानीय ग्रामीणों के मध्य अन्र्तद्वन्द्व की घटनायें प्रकाश में नहीं आई हैं, फिर भी पक्षियों के शिकार का अंदेशा बना रहता है। अतः पक्षी विहार में निम्न रणनीति अपनाई जायेगीः–

1. पारिस्थितकी विकास कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
2. जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रम चलायें जायेंगे।
3. कोर जोन एवं बफर जोन के मध्य सीमा पर बन्ध के किनारे चैन लिंक फेंसिंग की जायेगी।
4. सीमा पर सुरक्षा खाई खोदी जायेगी।
5. ग्रामीणों के लाभार्थ कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

4.7 कार्यदायी संस्थाओं का मूल्यांकन– संरक्षित क्षेत्र में वन विभाग कार्यदायी संस्था है। जिसका मूल्यांकन वनाधिकारियों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी आवश्यकतानुसार मूल्यांकन कार्य कराया जाता है।

4.8 समस्याओं का सारांश– कैचमेन्ट क्षेत्र का ह्रास, कर्मचारियों की संख्या में कमी, अन्तर विभागीय समन्जस्य न होना, बन्दोबस्ती प्रक्रिया में अन्य विभागों से सहयोग न मिलना, पालतू पशुओं द्वारा चराई की समस्या, अवैध शिकार की समस्या, आधुनिक संसाधनों की कमी आदि।

पक्षी विहार में समुचित पर्यटन सुविधा का नितान्त अभाव है, पक्षी विहार के पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रचार–प्रसार की कमी है, स्थानीय लोगों की पर्यटन सम्बन्धी व्यवसाय से सहभागिता का न होना, पर्यटन विकास से सम्बन्धित विभिन्न शासकीय विभागों से आपसी समन्वय का होना, प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति की धनराशि का अधिक होने से पर्यटकों के आगमन में कमी।

भाग–2

प्रस्तावित प्रबन्ध योजना

अध्याय–5

संरक्षित क्षेत्र एवं उसके भू–उपयोग की स्थिति

5.1 संकल्पना– जैव विविधता में अभिवृद्धि ही हमारी मूल संकल्पना है।

5.2 प्रबन्ध का उद्‌देश्य– पक्षी वन्य जीव विहार प्रबन्ध के प्रमुख उद्‌देश्य निम्नलिखित हैः–

1. गांगेय मैदान की पारिस्थितिकीय तंत्र एवं जैव विविधता का संरक्षण तथा संवर्धन।
2. संरक्षित क्षेत्र की जैव विविधता के सजीव संग्रहालय अथवा जीन बैंक के रूप में पोषित एवं विकसित करना।
3. वन्य जीवों एवं प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों का संरक्षण एवं संवर्धन के साथ इनके लिये सुरक्षित नीड़न स्थलों एवं भोजन पदार्थों में वृद्धि करना।
4. प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र को विशिष्ट रूप से विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करना।
5. जन साधारण को क्षेत्रीय वनस्पतियों एवं वन्य जीवों के विषय में व्याख्यात्मक अध्ययन का अवसर प्रदान करना।
6. संरक्षित क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय क्षेत्र के निवासियों की सहभागिता से संरक्षण कार्य करना।
7. पर्यावरण चेतना आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना एवं संरक्षित क्षेत्रों को प्राकृतिक पारिस्थितिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।
8. संरक्षित क्षेत्र के अन्दर एवं आस–पास के क्षेत्र में पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय शोध के अन्तर्गत पक्षियों के प्राकृतवास एवं संख्या के निर्धारण के अध्ययन को वरीयता दिया जायेगा।

5.3 उद्‌देश्य प्राप्ति में समस्यायें– प्रबन्ध उद्‌देश्यों की प्राप्ति में विभिन्न समस्यायें निम्न प्रकार हैः–

स्थानीय समस्यायेंः–

1. समसपुर पक्षी विहार कृषि भूमि के मध्य में स्थित है तथा इसके चारों ओर कई गांव बसे हुये हैं। गॉववासियों की निर्भरता पक्षी विहार के संसाधनों पर रहती है। पक्षी विहार के निकटवर्ती गॉव में औसत जोत काफी कम है तथा इन गॉवों में चारागाह भी नहीं हैं, जिससे इन गॉवों के मवेशियों द्वारा इस क्षेत्र का उपयोग चराई हेतु किया जाता है। इस प्रकार जैविक दबाव के कारण प्राकृतवास को काफी क्षति पहुँचती है।

2. आस–पास के ग्रामवासियों की आर्थिक दशा काफी खराब है। जीवन यापन हेतु ये लोग इस क्षेत्र के संसाधनों की प्राप्ति हेतु पक्षी विहार क्षेत्र में मछली पकड़ना, सिंघाड़ा, कमलगट्टा तथा अन्य व्यावसायिक वन उपज का विदोहन करने का प्रयास भी कभी कभी करते हैं।

3. पक्षी विहार की सीमा से संलग्न आस–पास के ग्रमीणों की कृषि भूमि स्थित है, जिसमें खेती का काम होता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। वर्षा ऋतु में आस पास का पानी बहकर झील में एकत्र होता है, जिसके साथ रासायनिक पदार्थ घुलकर झील क्षेत्र में जमा हो रहे हैं। इनका कुप्रभाव जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है। इसके साथ–साथ आस पास के गॉवों में लोगों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले डिटरजेन्ट एवं अन्य पदार्थ भी बहकर वर्षा ऋतु में झील में आ जाते हैं।

4. झील में जल की अधिकता होने के कारण ऊथले पानी में रहने वाले पक्षी प्रवास नहीं कर पाते हैं।
5. संरक्षित क्षेत्र का बन्दोबस्ती कार्य धारा–26(क) के अन्तर्गत अन्तिम उद्घोषणा न होने के कारण ग्रामीणों को मुआवजे की धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी है। जिसके लिये ग्रामीणों में असन्तोष व्याप्त है।

प्रशासनिक समस्यायें–

1. पक्षी विहार में वर्तमान में तैनात कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से काफी कम है तथा इन लोगों के लिये आवश्यक संसाधन भी नाममात्र के ही उपलब्ध हैं।
2. संरक्षण एवं विकास कार्य लागू करने के लिये संसाधनों का अभाव है।
3. स्थानीय लोगों में इस क्षेत्र की महत्ता से सम्बन्धित जानकारी का भी प्रभाव है, जिसके कारण ये लोग पारिस्थितिकीय संतुलन की आवश्यकताओं को महत्व नहीं दे पाते हैं एवं संरक्षण में उनका समुचित सहयोग नहीं मिल पा रहा है।
4. कैचमेन्ट क्षेत्र का ह्रास।
5. शिकार– मछलियों का शिकार एवं यदा–कदा पक्षियों का शिकार।

5.4 एस0डब्लू0ओ0टी0 विश्लेषण– पक्षी विहार के अन्तर्गत एस0डब्लू0ओ0टी0 का विश्लेषण निम्न प्रकार हैः–

शक्तियाँ (STRENGTH) -
अ– प्रशिक्षित कर्मचारियों की टीम।
ब– प्रबन्धन एवं सुरक्षा के लिये प्रभावी वन्य जीव अधिनियम।
स– पक्षियों के लिये उत्तम प्राकृतवास।
द– जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र।

कमियाँ (WEAKNESS) -
अ– गश्त हेतु वाहनों/संसाधनों की कमी।
ब– प्रबन्धन हेतु वित्तीय संसाधनों की कमी।
स– गुप्तचर सूचना तन्त्र का अभाव।
द– त्वरित संचार तन्त्र का अभाव।
य– फील्ड कर्मचारियों की कमी।
र– नई तकनीकों एवं विधिक प्रणालियों के सम्बन्ध में स्टाफ का सतत् प्रशिक्षण कार्यक्रम।

अवसर (OPPORTUNITY) -
अ– स्थानीय छात्र–छात्राओं को पक्षियों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक करना।
ब– पक्षी विहार के निकटवर्ती ग्रामवासियों से वन्य जीव संरक्षण में सकारात्मक सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके मध्य स्वास्थ्य कैम्प, पशु टीकाकरण कार्यक्रम, अन्य रोजगार परक कार्यक्रम का चलाया जाना। जिससे कि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।
स– पक्षी विहार को एक आदर्श जैव विविधता केन्द्र के रूप में विकसित करना।
द– ईको टूरिज्म का बढ़ावा।

चुनौतियाँ / बाधाएं (THREATS) -

अ– पक्षी विहार के निकटवर्ती ग्रामीणों द्वारा रासायनिक कीटनाशकों एवं रायासनिक खाद्यों के प्रयोग करने के कारण जलीय प्रदूषण का बढ़ना।

ब– मछलियों आदि का शिकार।

स– अतिक्रमण की समस्या।

द– ग्रीष्म काल में जल संशाधन की कमी।

अध्याय–6

रणनीतियां

6.1 सीमायें– समसपुर पक्षी विहार की सीमा चारों ओर कृषि भूमि से घिरी है, सीमा किसी स्थाई भू–आकृति से स्पष्ट नहीं है। उ0प्र0 शासन के गजट नोटीफिकेशन संख्या–2720/14–3–126/1986 टी0सी0 दिनांक 10.08.1987 वन अनुभाग–3 में सीमाओं को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। इसके अनुसार संरक्षित क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं।

उत्तर– ग्राम विषैया के खसरा गाटा संख्या 761, 759, 758, 746, 743, 742, 477, 476, 475, 841, 842, 843, 884, 861, 891, 890, 939, 937, 935, 934, 948, 949, 950, 952, 919, 918, 960, 961, 962, 973, 975, 974, 1198, 1164, 1205, 1210, 1211, 1212, 1213, 1220, 1254, 1231, 1235, 1283, 1284, 1279, 1369, 1325, 1372, 1352, 1351, 1344, 1333, 1340, 1268, 1267, 1262, 2230, 2229, 2283, 2284 के बाहरी मोड़ों से होता हुआ ग्राम गोड़वा–हसनपुर के खसरा गाटा संख्या 2222 के मोड़ से मिलता हुआ खसरा गाटा संख्या 24, 3, 7, 8 के बाहरी मेड़ों से होता हुआ ग्राम करमुआ के खसरा गाटा संख्या–533 के बाहरी मोड़ से मिलता हुआ खसरा गाटा संख्या 470, 509, 480, 479, 477, 421, 420, 419, 418, 417, 412 के बाहरी मेड़ों से होता हुआ ग्राम ममुनी के खसरा गाटा संख्या 1969 के बाहरी मेड़ से मिलता हुआ खसरा गाटा संख्या 1968, 1967, 1964, 1999, 2005, 2006, 2007, 2014 के दोहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम ममुनी के वन ब्लाक के खसरा गाट संख्या 2015 से मिलता हुआ वन ब्लाक के खसरा गाटा संख्या 2016, 2014, 1634 के बाहरी मेड़ से होता हुआ।

पूर्व– ग्राम ममुनी के वन ब्लाक खसरा गाटा संख्या 1634, 2248 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम ममुनी के गाटा संख्या 2251 से मिलता हुआ गाटा संख्या 2252, 2253, 2255 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम ममुनी के वन ब्लाक के खसरा गाटा संख्या 2263 के बाहरी मेड़ से मिलता हुआ वन ब्लाक के खसरा गाटा संख्या 2267, 2656 के बाहरी मेड़ से मिलता हुआ ग्राम ममुनी के गाटा संख्या 2651, 2650, 2642, 2663 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम ममुनी के वन ब्लाक के खसरा गाटा संख्या 2662 के बाहरी मेड़ से मिलता हुआ वन ब्लाक के गाटा संख्या 2668, 2760, 2773, 2775 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम ममुनी के गाटा संख्या 2749, 2781, 2788, 2793, 2748, 2744, 2742, 2738, 2734, 2718, 2717, 2716, 2715, 2711, 2709 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम समसपुर के खसरा गाटा संख्या 404 से मिलता हुआ गाटा संख्या 404, 405, 406, 412, 413, 394, 392, 367, 356, 474, 473, 477, 460, 461, 447, 264, 724 के बाहरी मेड़ों से होता हुआ।

दक्षिण– ग्राम पक्सरावाँ में खसरा गाटा संख्या 261, 262, 263, 270 के बाहरी मेड़ों से होते हुये ग्राम रोहनिया के वन ब्लाक के खसरा गाटा संख्या 3025, 3019, 3024, 3010, 2217, 2227 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम रोहनिया के खसरा गाटा संख्या 2820, 2818, 2832, 2833, 2834, 2811, 2812 के बारही मेड़ से होता हुआ।

पश्चिम– ग्राम हाकगंज के खसरा गाटा संख्या 323 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम रोहनिया के खसरा गाटा संख्या 2804, 2805, 2806, 2808 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम हाकगंज के खसरा गाटा संख्या 119 के मेड़ से मिलता हुआ तथा खसरा गाटा संख्या 118, 117, 116, 231, 394, 636,

15, 70, 73, 72, 58, 46, 47, 50, 39, 38, 37, 11, 10, 5, 4, 3 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम पट्टी पीटन के खसरा गाटा संख्या 47 से मिलता हुआ तथा पट्टी पीटन के खसरा गाटा संख्या 43, 42 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम गोड़वा हसनपुर के खसरा गाटा संख्या 1073, 1022, 1025, 1026, 1005, 1007, 1003, 954, 1001, 1000, 999, 989, 987, 986, 985, 998, 981, 984, 698, 689 के बाहरी मेड़ से होता हुआ गोड़वा–हसनपुर के वन ब्लाक के गाटा संख्या 688 के दोहरी मेड़ से मिलता हुआ वन ब्लाक के गाटा संख्या 681, 680, 109, 202, 209, 205 के बारी मेड़ से होता हुआ ग्राम विषैया के खसरा गाटा संख्या 808 के बाहरी मेड़ से मिलता हुआ गाटा संख्या 814, 816, 821, 818, 789, 792, 794, 783, 778 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम सैदपुर के खसरा गाटा संख्या 489 के बाहरी मेड़ से मिलता हुआ ग्राम सैदपुर के गाटा संख्या 623, 622, 621, 629, 617, 628, 634, 635 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम विषैया के खसरा गाटा संख्या 241 के बाहरी मेड़ से मिलता हुआ ग्राम टिरा के गाटा संख्या 237, 217, 213, 216 के बाहरी मेड़ से होता हुआ ग्राम विषैया के खसरा गाटा संख्या 11 के बाहरी मेड़ पर मिलता है।

क्षेत्र का सारांश–

निजी भूमि	271.564 हे0
ग्राम समाज भूमि	96.202 हे0
वन भूमि	431.605 हे0
कुल क्षेत्रफल	**799.371 हे0**

बन्दोबस्ती की स्थिति– उ0प्र0 सरकार वन अनुभाग–3 की विज्ञप्ति सं0–2720 / 14–3–126 / 1986 टी.सी. दिनांक 10.08.1987 के द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम सं0–53 सन् 1972) की धारा–18 के समसपुर पक्षी विहार जिला–रायबरेली की उद्घोषणा की गई। जिलाधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्या 235 / एस.टी. / वन / 97–98 दिनांक 10.09.1997 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–21 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई।

6.2 जोनेशन–

समसपुर पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र की जैविक समुदाय को नियंत्रण करने की क्षमता उसके क्षेत्रफल से सीधे सम्बन्धित होती है, इसके अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्र की शुचिता को बनाये रखने के लिये आवश्यक प्रबन्धकीय क्षमता भी उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। समसपुर पक्षी विहार को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये जानों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक जोन की सीमायें परिशिष्ट में संलग्न मानचित्र में अंकित की गई हैं। सभी प्रस्तावित जोन अलग–अलग हैं।

1. आन्तरिक जोन (Core zone)
2. प्रभाव जोन (Zone of Influence)
3. पर्यटन जोन (Tourism one)

6.2.1 आन्तिरक जोन (Core zone)– यह पक्षी विहार का मुख्य जल संग्रहणीय क्षेत्र है। इस जोन का कुल क्षेत्रफल 377.462 हेक्टेयर है। इस जोन का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्षेत्र का विवरण	ग्राम	क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रबन्ध श्रेणी
नम भूमि क्षेत्र	ममुनी	45.760	पक्षी विहार
	गोड़वा हसनपुर	106.580	पक्षी विहार
	हॉकगंज	58.125	पक्षी विहार
	विषैया	104.00	पक्षी विहार
	रोहनिया	18.663	पक्षी विहार
	समसपुर खालसा	44.334	पक्षी विहार
	योग	**377.462**	

यह समस्त क्षेत्र समसपुर पक्षी विहार की सीमा के अन्तर्गत धारा–21 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचित है। यह क्षेत्र प्राकृतवास, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय प्रक्रिया की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र है। यह क्षेत्र विभिन्न कतिपय लुप्तप्राय पक्षियों के लिये भी महत्वपूर्ण है। विगत प्रबन्ध योजना काल में सुरक्षा के अतिरिक्त इस क्षेत्र में प्रमुख पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने हेतु खर पतवार एवं जलकुम्भी आदि की नियंत्रित सफाई, बन्धे/आईलैण्ड का निर्माण एवं अनुश्रवण कार्य किया गया जिससे कि नम भूमि के पारिस्थितिकीय तन्त्र का संतुलन बनाए रखा गया है। परिणामस्वरूप प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों की संख्या एवं प्रजाति में काफी अभिवृद्धि हुई है।

6.2.2 प्रभाव जोन (Zone of Influence)– यह जोन पक्षी विहार के अन्तर्गत आन्तरिक जोन से सटा हुआ ग्राम समाज एवं निजी स्वामित्व वाली अधिसूचित भूमि को सम्मिलित कर बनाया गया है। इस जोन का कुल क्षेत्रफल 7528.904 हे0। इस जोन का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्षेत्र का विवरण	**ग्राम**	**क्षेत्रफल (हे0 में)**	**प्रबन्ध श्रेणी**
शुष्क एवं वृक्षादित भूमि क्षेत्र	ममुनी	88.491	पक्षी विहार
	गोड़वा हसनपुर	110.952	पक्षी विहार
	हॉकगंज	44.599	पक्षी विहार
	विषैया	62.311	पक्षी विहार
	रोहनिया	24.536	पक्षी विहार
	समसपुर खालसा	30.744	पक्षी विहार
	टिकरा	10.170	पक्षी विहार
	पक्सरावां	14.160	पक्षी विहार
	सैदपुर	3.577	पक्षी विहार
	करेमुआ	8.568	पक्षी विहार
	पट्टीपीठन	1.892	पक्षी विहार
	योग	**400.00**	

झील के मुख्य भाग से संलग्न क्षेत्र को प्रवासी पक्षियों एवं अन्य पशुओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है तथा इस जोन में सम्मिलित किया गया है। यह प्रायः समतल एवं यदा–कदा ऊबड़ क्षेत्र है, जहां–तहां इसमें खुला क्षेत्र भी है। इसमें मिश्रित वनस्वतियों के साथ–साथ विशुद्ध रूप से एकल वनस्पति प्रजाति भी पाई जाती है। इस जोन का निर्माण मुख्यताः संरक्षित क्षेत्र के मूल्यों को संरक्षित

करने तथा उसकी शुचिता को एक उपग्रह नम भूमि की तरह सहयोग देने के लिये किया जायेगा। इस जोन में जहां प्राकृतवास प्रबन्धन आवश्यक होगा उसे सम्पादित किया जायेगा।

6.2.3 पारिस्थितिकीय पर्यटन जोन (Eco-Tourism zone)– इस जोन का कुल क्षेत्रफल 21.909 हे0 है। क्षेत्र में पर्यटन सम्बन्धी कुल आधारभूत संरचनाएं मौजूद हैं। इनमें शासकीय क्षेत्र जहां कार्यालय, आवासीय परिसर एवं अन्य सुविधायें सम्मिलित हैं। इस जोन का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्षेत्र का विवरण	ग्राम	क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रबन्ध श्रेणी
पर्यटन हेतु आधारभूत संरचना क्षेत्र	ममुनी	21.909	पक्षी विहार
	योग	**21.909**	

पक्षी विहार क्षेत्र पारम्परिक रूप से नवीबी काल एवं ब्रिटिश राज के समस से ही अवध क्षेत्र के लोगों के लिये प्राकृतिक पर्यटन का एक आकर्षक केन्द्र रहा है। यहां रायबरेली, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर एवं हरदोई जनपदों के पक्षी प्रेमियों के लिये पर्यटन का प्रमुख केन्द्र रहा है। इस जोन के प्रस्तावित क्षेत्र में नेचर ट्रेल, ईको पार्क, बर्ड कन्जरवेशन थीम पार्क, पक्षी व्याख्या केन्द्र का रख–रखाव, पार्किंग स्थल, वॉच टावर, व्यू–शेड, कर्मचारी आवास, कार्यालय, स्टोर, चौकी आदि अन्य लघु सिविल कार्य सम्मिलित हैं।

इस पक्षी विहार का एक प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र में ईको पर्यटन को बढ़ावा देना एवं उसका प्रबन्धन करना है। इस प्रकार इस जोन का ध्येय पर्यटन कार्यक्रमों के विकास के साथ ही अवस्थापना सुविधाओं का एकीकृत विकास प्रबन्धकीय क्षमता से करना है। समस्त पर्यटन सम्बन्धी कार्य इसी जोन में केन्द्रित होंगे। पारिस्थितिकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य उचित प्रबन्धन करके पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक एवं शिक्षित करने के साथ ही उन्हें जैव विविधता के महत्वपूर्ण पक्ष को आत्मसात कराना है। पर्यटन से सीधे आर्थिक रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण लाभान्वित होंगे। इस प्रकार संरक्षित क्षेत्र के निकटवर्ती ग्रामीणजन जो पक्षी विहार के स्टेक होल्डर भी हैं, की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी। पारिस्थितिकीय पर्यटन के प्रबन्धन से निःसन्देह उर्पयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। विस्तृत योजना अध्याय–7 में वर्णित हैं।

6.3 जोन से सम्बन्धित योजनायें– विभिन्न क्षेत्रों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये प्रत्येक जोन का अलग–अलग प्लान प्रस्तावित किया जा रहा है। पर्यटन जोन का जोन प्लान अध्याय–8 में दर्शाया गया है।

6.3.1 आन्तरिक जोन (Core zone)–

उद्देश्य–

1. जैव विविधता को संरक्षित करना।
2. क्षेत्र को अद्वितीय जैव विविधता एवं जीन पूल के पारिस्थितिकीय प्रतिनिधि के रूप में संरक्षित करना।
3. विस्तृत पक्षी समाज (Avi-Fauna) के सतत् सहयोग के लिये वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्य सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय मूल्यों का सहयोग सुनिश्चित करना।

4. पक्षी विहार के पारिस्थितिकीय तन्त्र के समस्त पारिस्थितिकीय प्रणाली एवं कार्यों को सुव्यवस्थित एवं संरक्षित करना।
5. समस्त विलुप्तप्राय एवं संकटग्रस्त वनस्पतियों एवं जन्तु जगत के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा एवं देख–रेख करना।
6. विज्ञान की प्रगति एवं प्रबन्धकीय क्षमता की अभिवृद्धि के लिये शोध के अवसर उपलब्ध कराना।
7. पारिस्थितीय प्रणाली एवं कार्यों के सन्दर्भ केन्द्र के रूप में विकसित करना।

रणनीतियाँ–

1. क्षेत्र को विधिक रूप से सुदृढ़ करना।
2. कोर जोन को पूर्णतः अक्षत/अनुलंघित बनाए रखना। कोई भी मानवीय कृत्य निषिद्ध रहेगा। क्षेत्र पूर्णतः व्यवधान रहित रहेगा।
3. क्षेत्र के पुर्ननवीकरण कदमों को उठाकर उसके पारिस्थितिकीय तन्त्र में हो रहे परिवर्तनों को निष्क्रिय करना एवं प्राकृतिक वास के घटकों की अभिवृद्धि करना। मृदा एवं जल संरक्षण तथा हानिकारक खर–पतवार को निस्तारित करने की कार्यवाही क्षेत्र में सम्पादित कराना।
4. कोर जोन से सटे भू–क्षेत्र का ऐसा भू–प्रयोग करना जिससे क्षेत्र का संरक्षण उद्देश्य पूर्ण हो।
5. संसाधनों की उपलब्धता में अभिवृद्धि करना, जिससे उनकी कमी के कारण क्षेत्र के संरक्षण का उद्देश्य बाधित न हो।
6. चिन्हित क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा।
7. अन्तर विभागीय समंन्जस्य के लिये अच्छा तन्त्र विकसित करना।

गतिविधियाँ–

1. **अभ्यारण्य की अन्तिम सूचना– वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के प्राविधानों के घारा–21 की अधिसूचना हो चुकी है तथा धारा–26(क) की जारी करने का लक्ष्य इस योजना अवधि में प्राप्त करने हेतु कदम उठाये जायेंगे।
2. **सुरक्षात्मक सुधार उपाय–** क्षेत्र को सभी प्रकार के मानव/जैविक दबाव से मुक्त करना होगा। अवैध शिकार, अवैध पातन, ईंधन एकत्रीकरण, अवैध मत्स्य शिकार, पशु चरान तथा पशुओं द्वारा झील के पानी पीने प्रोटेक्शन थीम प्लान में प्रस्तुत है, नियंत्रण करने हेतु विशेष ध्यान देना होगा।
3. **जल की उपलब्धता–** झील में प्रवासी पक्षियों एवं स्थानीय पक्षियों की आवश्यकतानुसार विभिन्न गहराई को सुनिश्चित करना एवं इनलेट व आउटलेट नालों द्वारा जल का वैज्ञानिक प्रबन्ध करना।
4. **डिसिल्टेशन–** झील में डिसिल्टेशन एक अनवरत प्रक्रिया है। अतः डिसिल्टिंग कार्य भी अनवरत आधार पर किया जाना है। विवरण वेटलैण्ड मैनेजमेन्ट के थीम प्लान में दिया गया है।
5. **खर–पतवार उन्मूलन–** झील में आक्रमणकारी खर–पतवार प्रजातियों का विस्तार होना एक अनवरत खतरा बना हुआ है। झील क्षेत्र में पैदा हो रहे खर–पतवार का अनुश्रवण किया

जाना है और तद्नुसार प्रत्येक वर्ष इसके उन्मूलन हेतु प्रबन्धकीय कदम उठाने होंगे। विवरण थीम प्लान में दिया गया है।

6. **डाइक/बन्ध का निर्माण व मरम्मत कार्य–** पक्षियों के विभिन्न वर्गीकरण यथा तैरने वाले, डुबी मारकर विचरण करने वाले, पानी मं टांगों से चलने वाले पक्षियों हेतु अलग–अलग पारिस्थितिकीय निवास स्थल के विकास हेतु बने पुराने बन्धों की मरम्मत का कार्य किया जायेगा। यदि भविष्य में आवश्यकता हुई तो सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जायेगा।
7. निकट के क्षेत्र के ग्रामीणों को पारिस्थितिकीय, पोषणीय कृषि कार्य जैसे– जैव उर्वरक, कीटनाशकों के उपयोग करने हेतु उन्हें जागरूक किया जायेगा।
8. **फण्ड का संग्रहण–** केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा अन्य दाता कम्पनियों को पर्याप्त व ससमय फण्ड के अवमुक्त कराने हेतु सम्पर्क किया जायेगा।
9. **अनुसंधान–** अनुसंधान कार्य में संलग्न संस्थाओं यथा– आई0बी0सी0एन0 व बी0एन0एच0एस0 से सम्पर्क कर अनुसंधान कार्य की प्रकृति व क्षेत्र को चिन्हित किया जायेगा। विवरण चैप्टर–9 में अंकित है।

निषिध कार्यः– टार मार्ग का निर्माण, मनोरंजन हेतु बोटिंग, पर्यटक हेतु बड़े सिविल कार्य, लघु वन उपज एकत्रीकरण कार्य, चराई आदि।

अनुश्रवण–

1. वेटलैण्ड के पुनरोदारित क्षेत्र को पक्षी विहार के संघटन खर–पतवार, मृदा निक्षेप का सघन अनुश्रवण कार्य।
2. खर–पतवार उन्मूलन क्षेत्र का प्रायः दौरा करके उनके पुर्नगमन का अनुश्रवण कार्य।
3. एस0एम0सी0 कार्य का अभिलेखों का रख–रखाव व उसके प्रभाव का अध्ययन व निक्षेप स्तर का मापन कार्य करना।

6.3.2 प्रभाव जोन (Zone of Influence) –

उद्देश्य–

1. कोर क्षेत्र के साथ आस–पास के प्राकृतवास की connectivity को अनुरक्षित करना।
2. वन्य जीवों के उनकी जैविक आवश्यकतानुरूप पर्याप्त प्राकृतवास सुधार कार्य करना।
3. क्षेत्र के वन्य जीव उपयोग को सुगम करना तथा आस–पास के विचरण वाले स्थान को पक्षी प्राकृतवास के लिये अधिक विकसित करना।
4. कोर क्षेत्र के कैचमेन्ट व वॉटर शेड्स की सुरक्षा करना।
5. पक्षियों व अन्य विषयों पर अनुसंधान कार्य हेतु अवसरों का विकास करना।

रणनीतियाँ–

1. क्षेत्र का विधिक रूप से सुदृढ़ करना।
2. पूर्व में हुए ह्रास को पुनरोत्पादन करने का उपाय करना।
3. सन्निकट क्षेत्र का भूमि उपयोग का नियंत्रण इस तरह कि वह इस जोन के उद्देश्यों के अनुरूप हो जाए।

4. मृदा व आर्दता संरक्षण कार्य।
5. सुरक्षात्मक स्थिति के स्तर में वृद्धि करना।
6. वांछित क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना।

गतिविधियाँ–

1. वन्य जीव अधिनियम–1972 के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना इस योजना अविध में जारी करना। भूमि पर सीमांकन कार्य पूर्ण करना।
2. प्राकृतवास सुधार कार्य करना तथा इस क्षेत्र में जल उपलब्धता को सुनिश्चित करना। खर–पतवार निक्षेपण, विलायती बबूल व अन्य उपयोगी प्रजातियों को फलदार वृक्षों द्वारा स्थानापन्न आदि कार्य करना।
3. **सुरक्षात्मक सुधार उपाय–** क्षेत्र को सभी प्रकार के मानव/जैविक दबाव से मुक्त कराना होगा। अवैध शिकार, अवैध पातन, ईंधन एकत्रीकरण, अवैध मत्स्य शिकार, पशु चरान तथा पशुओं द्वारा झील के पानी पीने प्रोटेक्शन थीम प्लान में प्रस्तुत है, नियंत्रित करने हेतु विशेष ध्यान देना होगा।
4. **जल की उपलब्धता–** झील में प्रवासी पक्षियों एवं स्थानीय पक्षियों की आवश्यकतानुसार विभिन्न गहराई को सुनिश्चित करना एवं इनलेट व आउटलेट नालों द्वारा जल का वैज्ञानिक प्रबन्धन करना होगा।
5. सुरक्षा ढ़ाँचे का इस क्षेत्र हेतु सुदृढ़ीकरण कार्य।
6. सैम्पुल प्लाट्स बनाकर प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण कार्य कराना ताकि वनस्पतियाँ व वन्य जीवों का विगत संख्या का आकलन हो सके।

निषिद्ध कार्य– टार मार्ग का निर्माण, विदेशी प्रजातियों के वृक्षों का रोपण, पूर्व नियंत्रित अग्नि कार्य, लघु वन उपज एकत्रीकरण कार्य, चराई आदि।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन–

1. क्षेत्र से हानिकारक खर–पतवार हटाए जाने के आकड़ों का रख–रखाव किया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों की सीमाओं को मानचित्रों पर स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा। क्षेत्र में हानिकारक खर–पतवारों को चिन्हित करने हेतु नियमित रूप से सर्वे किया जायेगा।
2. एस0एम0सी0 (मृदा एवं जल संरक्षण कार्य) कार्य के अभिलेखों का रख–रखाव किया जायेगा एवं उसे क्षेत्र के मानचित्र पर चिन्हित किया जायेगा। क्षेत्र के सेडीमेन्ट लोड का अनुश्रवण किया जायेगा।
3. पादप एवं जीव जगत के सैम्पुल प्लाट बनाए जायेंगे एवं पादप विविधता का रिकार्ड रखा जायेगा।

6.4 थीम योजनायें–

कतिपय उद्देश्य एवं मुद्दे एक से अधिक जोनों में उभयनिष्ठ हैं, उनमें सम्बन्धित गतिविधियों को थीम योजना में समाहित किया गया है।

6.4.1 सुरक्षा योजना–

यह योजना अवैध गतिविधियों जैसे– मछली पकड़ने, शिकार करने, अवैध पातन, अतिक्रमण आदि से आच्छादित है। अग्नि से सुरक्षा को अलग थीम योजना में समाहित किया गया है।

उद्देश्य–

इस योजना का उद्देश्य सभी प्रकार के पादप जीव जगत एवं अजैविक कारकों जैसे– भूमि, जल, मृदा आदि जो कि पक्षी विहार की सीमा में पाई जाती हैं, को सुरक्षा प्रदान करना है।

पक्षी विहार के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियाँ निम्न प्रकार हैः–

1. नम भूमि क्षेत्र में मछली पकड़ना।
2. लघु वन उपजों जैसे– घास, जलौनी आदि का अवैध संग्रहण।
3. अतिक्रमण।
4. स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत वृक्षों का अवैध पातन।
5. चराई।
6. अवैध प्रवेश।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में आने वाली कठिनाईयाँ निम्न प्रकार हैं–

1. **मानव शक्ति सम्बन्धी–** पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित मानव बल।
2. **ढ़ांचागत सुविधा सम्बन्धी–** वाहन, रात्रि दृश्य उपकरण, आधुनिक संचार साधान (इण्टरनेट, मोबाइल, जी0पी0एस0, ट्रैप कैमरा आदि) जिससे कि कंट्रोल रूम में सीधे पूरे क्षेत्र में नियंत्रण रखा जा सके। रायफल एवं गोलियां आदि।
3. **सीमा सम्बन्धी–** मुख्य मार्ग के दोनों और रेंज कैम्पस एवं बी0आई0सी0 से सटे क्षेत्र की सीमा पर दीवार की आवश्यकता है।

रणनीतियाँ–

क्षेत्र के सुरक्षा स्तर पर उच्चीकरण करने के लिये यह सामान्य रणनीति आवश्यक है कि क्षेत्र की चुनौतियों से आच्छादित संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाए एवं स्थानीय वन प्रभाग तथा राजस्व एवं पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए अवैध कृत्यों के लिये निरोधात्मक उपाय किये जायें। प्रत्येक क्षण सुरक्षा कार्य हेतु अधिक मानव शक्ति को तैनात करने की आवश्यकता होगी। अति संवेदनशील काल (Critical season) में स्थानीय पक्षी बाजारों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने हेतु गुप्तचरों का सहयोग लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त सामान्यजस में वन एवं वन्य जीवों के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयास सतत् रूप से किये जायेंगे।

गतिविधियाँ–

1. **मानव बल की तैनाती–** बजट में सुरक्षा सम्बन्धी कार्य हेतु अतिरिक्त मानव बल को योजित करने का प्रस्ताव रखा जायेगा। व्यवसायिक सुरक्षा एजेंसियों की सेवायें उपलब्ध कराने की समभावनाओं पर भी विचार करते हुए उनका उपयोग किया जायेगा।
2. **शीतकालीन गस्त–** प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये दैनिक मजदूरी पर अतिरिक्त मानव बल माह अक्टूबर से माह मार्च तक तैनात किये जायेंगे।

3. **फील्ड स्तरीय कर्मचारियों के पदों में अभिवृद्धि–** अध्याय–10 में दर्शाए गये कर्मचारियों के स्वीकृत पदों को पुनः संशोधित कर उनकी संख्या में अभिवृद्धि करने के प्रयास किये जायेंगे।
4. **स्थानान्तरण के सम्बन्ध में–** संरक्षित क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों को कब तक स्थानान्तरण पर जाने हेतु अवमुक्त नहीं किया जायेगा जब तक उनके प्रतिस्थानी उनका स्थान ग्रहण नहीं कर लेते हैं।
5. **प्रशिक्षण–** विभिन्न स्तरों पर फील्ड स्टाफ के कार्य दक्षता हेतु नई तकनीकियों, विधि ज्ञान, आधुनिक अपराध अनुसंधान एवं प्रेरणा स्तर में अभिवृद्धि हेतु सतत् प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।
6. **वाहन, आयुध एवं गोलियां तथा अन्य उपकरण–** जैसे बायनाकुलर्स, टेलीस्कोप, नाइट विजन कैमरा, नाव, जी0पी0एस0, इण्टरनेट एवं 3 जी मोबाइल की सुविधा ताकि कर्मचारियों के गस्ती मार्ग का प्रतिदिन प्रवाभी रूप से अनुरक्षण किया जा सके, सुरक्षा के दृष्टिगत उपलब्ध कराई जायेगी। चौकियों, वॉच टावर, कार्यालय भवन, कर्मचारी आवास, सड़कों आदि का अनुरक्षण किया जायेगा। आवश्यकतानुसार नई चौकियां, वॉच टावर, व्यूशेड आदि का निर्माण सुरक्षा कार्य हेतु किया जायेगा।
7. **बन्दोबस्त कार्य का समापन तथा सीमा दीवार का निर्माण कार्य–** इसी योजना काल में बन्दोबस्ती कार्यवाहियों को पूर्ण कराने का प्रयास किया जायेगा। सीमा दीवार इस योजना के लिये महत्वपूर्ण है।

विविध गतिविधियाँ–

1. **पेशेवर अपराधियों का डाटाबेस बनाना–** ऐसे व्यक्तियों का जो कि पक्षियों, मछलियों, अवैध पातन एवं वन्य जीवों के शिकार आदि अपराधों में सतत् शामिल रहते हैं को चिन्हित कर विस्तृत डाटाबेस तैयार किया जायेगा। प्रत्येक माह उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार कराकर सम्बन्धित स्टाफ से मांगा जायेगा।
2. **सूचना तन्त्र–** मुखबिरों का एक सशक्त एवं प्रभावी तन्त्र विकसित किया जायेगा। इसमें मुख्यतः सेवानिवृत्त वन कर्मचारियों जो कि संरक्षित क्षेत्र के आस–पास रहते हों कि सेवायें ली जायेंगी। मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में एक मोबाइल नम्बर गुप्त सूचना संग्रहण हेतु प्रकाशित किया जायेगा। पुरस्कारों का भी एक प्रभावी तन्त्र विकसित किया जायेगा।
3. **जागरूकता अभियान–** विस्तृत जागरूकता अभियान प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, ब्रोशर, कलेण्डर, होर्डिंग, पम्पलेट्स, कार्यशालाओं, कैम्प, प्रशिक्षण, वॉल पेन्टिंग, टीकाकरण एवं आर्थिक स्तर उन्नयन कार्यक्रम आदि माध्यम से विद्यार्थियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीणों के मध्य चलाया जायेगा।

6.4.2 वन अग्नि नियन्त्रण योजना–

पक्षी विहार क्षेत्र आस–पास ग्रामीण आबादी से घिरा होने के कारण वन अग्नि घटनाओं के लिये अत्यधिक संवेदनशील है। कोई भी अग्नि दुर्घटना पक्षियों के प्रवास स्थल को कुप्रभावित करती हैं। अतः आवश्यक है कि थीम प्लान में अग्नि सुरक्षा के लिये एक अलग योजना बनाई जाए जिसका उद्देश्य निम्न प्रकार होगाः–

उद्देश्य–

1. अप्राकृतिक अग्नि की पूर्ण रोकथाम।
2. अग्नि का तत्काल पता लगाना।
3. अग्नि को तत्काल बुझाना।

अग्नि के कारण–

1. अग्नि ग्रामीणों/राहगीरों/चरवाहों के द्वारा बीड़ी, सिगरेट को अनजान में वन भूमि पर फेंकना। यह एक दुर्घटना जनित अग्नि है जो कि अन्जानेपन के कारण लगती है।
2. पक्षी विहार में सटे कृषि भूमि में मशीनों से फसल कटाई के बाद अवशेषों में अग्नि लगातार जलाने की प्रवृत्ति।

रणनीतियाँ–

1. सुरक्षात्मक रणनीति।
2. सुधारात्मक रणनीति।

गतिविधियाँ–

सुरक्षात्मक रणनीति की गतिविधियाँ–

1. फायर सीजन के प्रारम्भ होने से पूर्व समय से पक्षी विहार की सीमा पर 03 मी0 चौड़ा फार लाइन का बनाना।
2. दैनिक पर माह नवम्बर से जून तक वन सुरक्षा वाचरों को रखा जायेगा जो कि अस्थाई फायर स्टेशन पर तैनात रहेंगे।
3. अग्नि दुर्घटना से बचाने वाले उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण।
4. राज्य एवं केन्द्र सरकार से पर्याप्त मात्रा मं धन का समय से प्रबन्ध कराना।
5. क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा के लिये एक सघन जागरूकता अभियान चलाना।
6. पक्षी विहार क्षेत्र की सीमा पर स्थित समस्त ग्रामों के निवासियों की बैठक फायर सीजन प्रारम्भ होने से पूर्व एवं द्वितीय फायर सीजन के मध्य में आहूत करना।
7. पक्षी विहार क्षेत्र में पूर्व नियंत्रित फूकान नहीं किया जायेगा।

सुधारात्मक रणनीति की गतिविधियाँ–

1. अग्नि की पूर्व जानकारी : वॉच टॉवरों का प्रयोग अतिशीघ्र अग्नि की पहचान के लिये किया जायेगा।
2. अग्नि दुर्घटना की जानकारी होने पर समस्त स्टाफ दुर्घटना स्थल पर अतिशीघ्र पहुँचकर आग को फैलने से रोकने के उपाय करेगा तथा उसे बुझायेगा।
3. इस प्रयोजन हेतु वॉच टावरों का सीजन पूर्व ही अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अग्निकाल के दौरान निकटतम अग्नि शमन विभाग से सतत् सम्बन्ध स्थापित करते हुए सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

6.4.3 प्राकृतिक आवास प्रबन्धन योजना– विभिन्न वन्य जीवों के सम्मिश्रण, पर्यावरण विकास और अनुकूलन के बिना किसी प्रजाति विशेष की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सामान्तः जीवधारियों का प्राकृतिक वरण व अनुकूलन पर्यावरणीय परिस्थितियों/गुणों पर निर्भर करता है। प्राकृतवास में रहने वाली प्रत्येक प्रजाति पर्यावरणीय संतुलन का एक भाग होती है, जो हजारों वर्ष पूर्व से विकास, अनुकूलन और सुधार हेतु, प्राक्रतिक तन्त्रों और प्राकृतिक सिद्धान्तों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहीं हैं और भविष्य में भी करती रहेंगी। मानव की स्वार्थी मानसिकता के कारण धीरे–धीरे प्राकृतिक, पर्यावरण प्रदूषण, सिमटते प्राकृतवास के कारण बहुत से वन्य प्राणियों के लिये संकट उत्पन्न हो गया है और उनकी संख्या में भारी गिरावट आ गयी है।

उद्देश्य–

1. इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आवास के मुख्य कारकों का सुधारात्मक एवं सुरक्षात्मक उपाय करके उन्हें पुर्नस्थापित करना है।
2. यह योजना पक्षी विहार क्षेत्र में लागू समस्त जोनों (पर्यटन जोन को छोड़कर) में लागू होंगी।

रणनीतियाँ–

1. पक्षी विहार क्षेत्र में प्राकृतिक वास के क्षरण के कारकों एवं कारणों की पहचान करना जो अभी भी क्षरण कर रहें है। उनके सुधार हेतु उचित उपायों को प्रयोग में लाना।
2. इस योजना मं निम्न प्राकृतिक आवास जोनों के तथ्यों पर विचार किया जायेगाः–
   अ. नम भूमि प्रबन्धन, **ब.** खर–पतवार प्रबन्धन एवं **स.** अद्वितीय एवं विशेष प्राकृतवास।

6.4.3.1 नम भूमि प्रबन्धन योजना– झील के अन्दर आने वाला अधिकांश जल वर्षा के समय जल ग्रहण क्षेत्र से आता है, इसके अतिरिक्त निम्न नहरें झील की ओर आकर समाप्त होती हैः–

पहाड़गंज माईनर, गोपालगंज माईनर, रोहनिया माईनर, घमोली माईनर, उमरपुर माईनर, रेवली माईनर, करेमुआ माईनर, ममुनी माईनर, समसपुर माईनर, भगवानपुर माईनर।

<u>**झील के जल क्षेत्र का विवरण**</u>**–** एक मोटे अनुमान के अनुसार माह मई, जून में विभिन्न जल गहराई के क्षेत्रों का आंकलन निम्न प्रकार किया गया हैः–

नोटः– झील में नहरों का पानी लगातार आने से मिट्टी व बालू के सिल्टेशन में कैचमेन्ट एरिया बढ़ा कर रखी है।

क्रमांक	भूमि	क्षेत्रफल (लगभग) हेक्टेयर में
1.	दलदली भूमि का क्षेत्र (0 से 30 सेमी0)	35
2.	छिछले जल क्षेत्र (जल गहराई– 30 सेमी0 से 90 सेमी0 तक)	140
3.	गहरा जल क्षेत्र (जल गहराई– 90 सेमी0 से 120 सेमी0 तक)	90
4.	बहुत गहरा जल क्षेत्र (जल गहराई– 120 सेमी0 से अधिक)	113
	योग	**378**

उद्देश्य–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य झील के जल संग्रहण क्षेत्र में जलीय जीवन एवं पक्षियों के लिये आदर्श प्राकृतवास उपलब्ध कराना है।

उद्देश्य की प्राप्ति में समस्यायें–

1. संरक्षित क्षेत्र के बन्दोबस्ती कार्य का पूर्ण न होना।
2. झील में गाद का जमा होना।
3. विभिन्न नहरों से बाढ़ का पानी अत्यधिक मात्रा में आकर क्षेत्र का जल प्लावित करना।
4. ग्रीष्मकाल में झील के विभिन्न जल संग्रहण क्षेत्रों में निरन्तरता का अभाव।

रणनीतियाँ–

संरक्षित क्षेत्र का बन्दोबस्त कार्य शीघ्र पूर्ण करके झील क्षेत्र पर प्रभावी निरन्तर स्थापित करना मुख्य रणनीति होगी। यह संरक्षित क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स के मध्य अच्छा सामनजस्य स्थापित करेगा तथा साथ ही उन वाहय कारकों जो कि प्राकृतवास के क्षरण भूमिका निभाते हैं, को समाप्त करेगा। नम भूमि को विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के प्राकृतवास की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जायेगा।

गतिविधियाँ–

1. **विभिन्न विभागों से समन्वय–** नम भूमि के प्रबन्धन के लिये सिंचाई विभाग, राजस्व व पुलिस विभाग के साथ समन्वय करते हुए प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में बैठक का आयोजन किया जायेगा।
2. **बन्दोबस्ती कार्य का पूर्ण किया जाना–** इस योजना काल में पक्षी विहार के बन्दोबस्ती कार्य को पूर्ण करने के लिये ससमय उचित कदम उठाये जायेंगे।
3. **सिल्ट का हटाया जाना–** नम भूमि क्षेत्र के जल संग्रहण क्षमता वर्षा ऋतु में विभिन्न नलों के द्वारा लाये गये गादो के कारणय कम हो जाती है, जिसका दुष्प्रभाव जलीय पारिस्थितिकीय तन्त्र पर पड़ता है। अतः प्रत्येक वर्ष झील की आवश्यकतानुसार संग्रहण क्षमता को बनाये रखने के लिये नम भूमि नियमावली के प्राविधानों के अनुसार डिसिल्टिंग का कार्य कराया जायेगा।
4. **डाइक/बन्ध निर्माण–** कोर जोन की सीमा पर 2 मी0 ऊँचाई और ऊपरी चौड़ाई 3 से 4 मी0 साइज वाले बन्धे/डाइक का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है, जिससे अधिक मात्रा में जल एकत्र हो सकेगा। पूरे पक्षी विहार में कोर जोन को तीन भागों में विभक्त करने वाली मध्य डाइकें बनायी जायेंगी, जिसमें रेगुलेटर/स्लस गेट लगाये जायेंगे, जिससे विभिन्न प्रकार के जल स्तरों का नियंत्रण किया जायेगा। विशेषकर दलदली एवं छिछले जल क्षेत्रों का विस्तार किया जायेगा।
5. **संकट/सूखे के मौसम में जल आपूर्ति की व्यवस्था–** झील के जल की समुचित यात्रा बनाये रखने हेतु गहरे ट्यूबवेल एवं सोलर ट्यूबवेल स्थापित करके ज स्तर बनाये रखा जायेगा।
6. **विभिन्न गहरे जल क्षेत्रों को एकदूसरे से जोड़ना–** समसपुर पक्षी विहार के अन्तर्गत आने वाली पॉच झीलें क्रमशः ममुनी, समसपुर, रोहनिया, हॉकगंज, व गोड़वा–हसनपुर झीलें एक–दूसरे से मिलकर S आकार का जल क्षेत्र बनाती है। छठवीं विषैया झील लगभग 01

कि0मी0 की दूरी पर स्थित है तथा एक नाले द्वारा उपरोक्त S आकार के जल क्षेत्र से पूर्व में जुड़ती थी परन्तु नाले के पट जाने के कारण मुख्यतः जल क्षेत्र से अलग रहती है। जिसे 1–1/2 से 2 मी0 तक गहरा कर विषैया झील को मुख्य झील से जोड़ा जायेगा।

7. **जल–संग्राहक एवं जल संग्रहण क्षेत्रों से आने वाले नालों की सफाई–** समसपुर पक्षी विहार क्षेत्र में संग्रहण क्षेत्रों से जिन नालों द्वारा पानी आता है। उसकी सफाई प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु समाप्ति के पश्चात सूखे मौसम में करायी जायेगी।
8. **सिल्टेशन रोकने हेतु भूमि संरक्षण कार्य–** संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर ऊँचे उसरीली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं। इन भूमियों से सबसे अधिक मात्रा में रेत (सिल्ट) झील में वर्षा जल के साथ बहकर आता है और जमा हो जाता है। ऐसे स्थानों से संलग्न सीमा पर सिल्ट ट्रेपिंग बन्धे का निर्माण एवं झाड़ी रोपण/घास रोपण कार्य कराया जायेगा। इसके लिये जोन में भी भूमि एवं जल संरक्षण हेतु खेतों में मेड़ बन्दी, मेड़ों पर झाड़ आदि का रोपण, भू–क्षरण प्रतिरोधी कृषि फसलों को उगाने तथा भू–क्षरण प्रतिरोधी पौधों के रोपण के कार्य को प्रोत्साहित किया जायेगा। पक्षी विहार में छिछले क्षेत्र कम उपलब्ध हैं, जिससे छिछले क्षेत्र के पक्षियों के वासस्थल में कमी है, अतः जगह–जगह सैलो वाटर के क्षेत्र बढ़ाये जायेंगे।
9. **जल प्रदूषण से रोकथाम–** आस–पास के गॉवों के प्रदूषित जल को सीधे झील में न पहुँचने देने हेतु ट्रैपिंग पिटों का निर्माण कराया जायेगा। इसके साथ ही साथ इको जोन में ऐसे प्रदूषित जल का कृषि में उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
10. **आइलैण्डों का अनुरक्षण–** पक्षी विहार में प्रचुर मात्रा में आईलैण्डों का विकास किया जा चुका है। स्थानीय पक्षियों के रात्रि विश्राम, नीड़न और प्रजनन हेतु आईलैण्डों का प्रत्येक वर्ष अनुरक्षण किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार उनके किनारे–किनारे 10 मी0 × 10 मी0 की दूरी पर बबूल के वृक्ष रोपित किये जायेंगे।
11. **माउण्डों का अनुरक्षण–** पक्षी विहार में प्रचुर मात्रा में माउण्डों का विकास किया जा चुका है, जिनका प्रत्येक वर्ष अनुरक्षण किया जायेगा। स्थानीय पक्षियों के रात्रि विश्राम, नीड़न और प्रजनन हेतु उन पर बबूल जाति के पौधों का रोपण कराया जायेगा।
12. **वृक्ष पटि्टका का विकास–** जल क्षेत्र के चारों ओर भूमि पर स्थानीय पक्षियों के विश्राम, नीड़न एवं प्रजनन हेतु पक्षी विहार के संरक्षित क्षेत्र में पक्षियों के भोज्य एवं नीड़न के लिये बबूल, गूलर, जामुन, कदम्ब आदि वृक्षों का संवर्धन एवं रोपण कराया जायेगा तथा यह ध्यान रखा जायेगा कि पक्षियों के उड़ने व उतरने के स्थल प्रभावित न हों तथा जिससे क्षेत्रीय पारिस्थितिकी बाधित न हो। सामान्यतः इस प्रयोजन की पूर्ति हेतु निम्न गतिविधियां/ रणनीतियां अपनाई जायेंगीः–

    झील के उत्तर–पश्चिम दिशा में स्थान खाली रखा जायेगा, क्योंकि इसी दिशा में अधिकांश प्रवासी पक्षी समूह झील में आते हैं। इस दिशा में रोपण कर देने से पक्षियों के देखने का पथ व उड़ान पथ बाधित हो जाता है।

    तोता प्रजाति, ग्रीन पीजन, बाब्रेट, हार्नबिल जैसी प्रजातियों के पक्षी फाइकस प्रजाति को अधिक पसन्द करते हैं। ईगल और स्टार्क, महुआ, कदम्ब, बबूल वृक्षों पर सामान्यतः प्रजनन व विश्राम करते हैं। अधिकांश पक्षियों द्वारा नीड़न व प्रजनन बबूल प्रजाति के वृक्षों पर ही विश्राम किया जाता है। इमली, जामुन, कदम्ब, वहेड़ा कंजी आदि पक्षियों की प्रिय वृक्ष प्रजाति है। इन वृक्ष प्रजातियों के रोपण को प्राथमिकता दी जायेगी।

प्राकृतिक पक्षी पारिस्थितिकी के समकक्ष प्राकृतवास विकास करते समय कुछ स्थान बीच–बीच में खाली छोड़ते हुये वृक्ष पट्टिकायें तैयार की जायेंगी।

पौधों का रोपण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

क्षेत्र के जलमग्न/अधिकांश समय जलमग्न रहने के कारण शीतकालीन रोपण किया जायेगा, परन्तु अग्रिम मृदा कार्य अप्रैल से जून के मध्य किया जायेगा। मुख्यतः 90 से0मी0 ऊँचे माउण्ड पर रोपण कार्य किया जायेगा।

अन्य गतिविधियां विभागीय निर्देशों के अनुसार की जायेंगी। स्थानीय निवासियों/कृषकों को उनके निजी खेतों की मेढ़ों पर वृक्ष लगाने हेतु उपयुक्त प्रजातियों का वितरण किया जायेगा।

13. **<u>झाड़ियों वाले क्षेत्र का विकास</u>**– संरक्षित क्षेत्र में कोई भी झाड़ियां नहीं हैं। केवल ढैचा व बेहया की झाड़ियां हैं। इन झाड़ियों में पर्पिल मूरहेन, वाटर काक, मैना, बया, गौरैया, चिलचिल प्रजाति के पक्षी रात्रि विश्राम करते हैं तथा दिन में भी बैठते हैं। अतः बेहया व ढ़ैचा को नियंत्रित रूप से क्षेत्र में बनाये रखा जायेगा। झील का पश्चिमी–दक्षिणी क्षेत्र पूर्णतया रिक्त है। इस क्षेत्र में रोपण पट्टिका का विकास प्रस्तावित किया जा रहा है। दो पट्टिकाओं के मध्य झाड़ी प्रजाति के पौधों को रोपण कर विकसित किया जायेगा और इनके प्राकृतवास का भी प्रकार अध्ययन कर झाड़ी प्रजातियों का चयन किया जायेगा। मुख्यतः करौन्दा, मकोइया, झड़वेरी, अडूसा आदि प्रजाति के पौधों को प्राथमिकता दी जायेगी।
14. **<u>पक्षियों के लिये जल मध्य विश्राम सुविधा का विकास</u>**– बांस के 03 मी0 × 03 मी0 साइज के तैरने वाले रैफ्टर तैयार कर गहरे 11–जलक्षेत्रों में बारबलर, वैवलर, फ्लाईकैचर, मैना तथा अन्य जल पक्षियों के विश्राम हेतु दो–दो की संख्या में डाले जायेंगे।

<u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</u>–

जलीय क्षेत्र में प्रवास करने वाले क्षेत्रीय मछलियों की प्रजाति एवं उनकी संख्या का अनुश्रवण किया जायेगा, इसी प्रकार झील क्षेत्र की जैव विविधता का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। इसी प्रकार उपरोक्त गतिविधियों के कारण नम भूमि के जल स्तर एवं उसका पक्षियों की आबादी पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अनुश्रवण किया जायेगा। झील में गाद के जमा होने का वार्षिक आंकड़ा रखा जायेगा।

6.4.3.2 <u>खरपतवार के नियंत्रण के उपाय</u>– विश्व के विभिन्न भागों में जलीय खर–पतवार को नियंत्रित करने के बहुत से उपाय अपनायें जाते हैं, परन्तु इन सभी को मुख्यतः तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता हैः–

भौतिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण

इन विधियों में सामान्यतः प्रचलित विधियां निम्न प्रकार हैः–

1. भौतिक नियंत्रण–

इसमें भौतिक रूप से पौधों को उखाड़कर या प्राकृतवास की भौतिक दशाओं में परिवर्तन करके खर–पतवार की वृद्धि कम की जाती है, इसमें निम्न विधियां अपनाई जाती हैं–

हाथ से उखाड़ना

मैकेनिकल हार्वेस्टर द्वारा– इस विधि से बड़े क्षेत्रों में अपनाया जाता है, परन्तु इस विधि से घास/खर–पतवार के साथ–साथ जल पक्षियों को बाधा/क्षति, पारिस्थतिक तंत्र को क्षति, मछलियों और अकशेरूकी जीवों की भी क्षति हो जाती है। अतः यह विधि निषिद्ध रहेगी।

प्राकृतवास में परिवर्तन– इसके अन्तर्गत खर–पतवारों को हानि पहुंचाने वाले कार्य किये जाते हैं। प्राकृतवास परिचालन, जो प्रकाश क्षेत्र, पोषक तत्व क्षेत्र, जलक्षेत्र के परिचालन पर लक्षित पर होता है। किनारे पर अधिक कैनापी व छाया बढ़ाने से जलीय वनस्पतियों की संख्या एवं मात्रा कम हो जाती है। जल स्तर गहराई को बढ़ाने से स्वतः तैरने वाले जलीय पौधों को छोड़कर अन्य सभी जलीय पौध प्रजातियों की मात्रा को प्रभावित होती है। इसी तरह कम जल स्तर रख कर स्वतंत्र पौध प्रजातियां कम हो जाती है, चूँकि वेटलैण्ड की तली में जमा गाद में खर–पतवारों के कन्द, जड़ें मौजूद रहती हैं। अतः डिसिल्टिंग द्वारा भी इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। यह सब पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता से भली प्रकार समझ कर ही करना चाहिये।

समसपुर पक्षी विहार में योजना अवधि में भौतिक विधियों में हाथ उखाड़ने तथा प्राकृतवास में जल गहराई परिचालन की विधि अपनाई जायेगी। प्रत्येक वर्ष माह सितम्बर/अक्टूबर में खर–पतवार उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। बेहया के पौधों को किनारों तक या छोटे–छोटे टुकड़ों में नियंत्रित करने के प्रयास किये जायेंगे।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः हानिकारक खर–पतावार लैंटेना, बेहया, जलकुम्भी आदि के क्षेत्रों एवं उनके निस्तारण के फलस्वरूप जलीय जीवों के द्वारा क्षेत्र का प्रयोग करने का अनुश्रवण किया जायेगा। इन खर–पतवारों के उन्मूलन की विधि की सार्थकता का भी अनुश्रवण किया जायेगा।

निषिद्ध कार्य : उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये क्षेत्र में रासायनिक विधियाँ निषिद्ध रहेंगी। खर–पतवार प्रबन्धन में सूक्ष्म जीवी एवं अन्य जैविक विधियाँ निषिद्ध रहेंगी।

6.4.3.3 विशेष एवं अद्वितीय प्राकृतवास के प्रबन्धन की योजना–

विशेष प्राकृतवास जैविक प्रकृति के होते हैं, जबकि अद्वितीय प्राकृतिकवास भू–आकृति के मूल के होते हैं जो एक अलग तन्त्र को संचालित करते हैं, जो प्रायः विशष प्राकृतिक वास में प्राप्त नहीं होते हैं। गिरे एवं मृत पेड़ वन पारिस्थितकी तन्त्र के एक महत्वपूर्ण अंग है अपितु जैविक कारकों के विशाल भण्डार हैं और इस खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

उद्देश्य :

सभी विशेष एवं विशिष्ट प्राकृतवास स्थलों की पहचान करना एवं उन्हें संरक्षित करना।

गतिविधियाँ :

उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये निम्न प्रबन्धकीय योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी।

मत्स्य प्रबन्धन– पक्षी विहार में मत्स्य भोजी और कीटभक्षी जल पक्षी भी प्रवास करते हैं। विशेष तौर पर प्रजनन काल में मत्स्य भोजी पक्षियों के लिये अधिक मात्रा में मछली की आवश्यकता होती है। अतः ऐसी स्थिति में मछली की पर्याप्त मात्रा बनाये रखना आवश्यक हो जाता है। यह प्राकृतिक रूप से ही नियंत्रित की जायेगी, मछलियों का किसी प्रकार का दोहन निषिद्ध रहेगा।

स्तनधारियों, सरीसृपों एवं उभयचरों हेतु प्रबन्ध– काफी पूर्व में जल क्षेत्रों का प्रबन्ध केवल आर्थिक महत्व के लिये ही किया जाता था, कुछ समय पश्चात नम–भूमियों को पारिस्थितिक और आर्थिक दृष्टिकोण से प्रबन्ध की पद्धतियां अपनाये जाने की मान्यता दी गयी, परन्तु वर्तमान में जैव विविधता संरक्षण के परिपेक्ष्य में वेटलैण्ड की भूमिका और अधिक बढ़ गयी है। और इसलिये इस ओर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। वर्तामान में संरक्षित वेटलैण्ड का प्रबन्धन के अन्तर्गत जलीय प्राकृतवास

के प्रबन्धन के साथ–साथ, उन सभी सह नम भूमियों के प्राकृतवासों और क्रान्तिक प्राकृतवासों की अन्य जलीय प्रजातियों का प्रबन्ध व संरक्षण भी शामिल कर लिया गया है। क्षेत्र को क्रान्तिक (Critical) पारिस्थितिकीय और जैविक आवश्यकताओं के अनुसार प्रबन्धित किया जायेगा। संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्ध की सीमा प्रशासनिक सीमा की अपेक्षाकृत पारिस्थितिक सीमा अधिक महत्वपूर्ण है। वेटलैण्ड के प्राकृतवास अज्ञात/लुप्त प्राय/संकटापन्न और दुर्लभ वन्य जीवों की वृद्धि के लिये अत्यावश्यक क्षेत्र है। लगभग सभी उभयचरों, बहुत से सरीसृप (जैसे कछुए) और बहुत सी स्तनधारी प्रजातियां जलीय हैं। बहुत से स्तनधारी जलीय और थलीय क्षेत्र के संक्रमण स्थल को पसन्द करते हैं। इनका प्रबन्ध निम्न प्रकार किया जायेगा।

अ. उभयचर– उभयचरों (मेढ़कों) का जीवन चक्र जल व थल दोनों में पूरा होता है, परन्तु यह जलीय वास स्थल पर ज्यादा आश्रित रहते हैं। इनके अण्डे जलीय व थलीय किनारों पर दिये जाते हैं जबकि लार्वा व प्रौढ़ों को बहते पानी की आवश्यकता होती है। उच्च श्रेणी के वेटलैण्ड इनके जीवन यापन के लिये आवश्यक होते हैं। जिसमें सीजनल वर्षा से जल भराव होता है तथा वे अधिकांश वर्षों में गर्मियों में सूख जाते हैं। जल प्रदूषण बढ़ने से इनके लार्वा नष्ट हो जाते हैं। उभयचरों के प्रजनन व नर्सरी स्थलों को चिन्हित करके प्राकृतवास को संरक्षित किया जायेगा।

ब. सरीसृप– कछुओं में साफ्ट शैल टर्टिल, पाण्ड टर्टिल संरक्षित क्षेत्र में पाये जाते हैं। इनकी जैविक आवश्यकताओं में इनका थलीय स्थल के बाहर आना है, जिसमें वे अण्डे देते हैं साफ्ट शैल टर्टिल जलीय एवं थलीय क्षेत्रों के संगम स्थल पसन्द करते हैं। मादा कछुआ फरवरी–मई, अगस्त–अक्टूबर के मध्य पानी में बाहर आकर 30 से 150 मी0 चल कर एकल अथवा सामुदायिक नैस्टिंग स्थलों पर अण्डे देकर प्राकृतिक इक्यूवेशन हेतु छोड़ कर चले जाते हैं। हैचिंग के पश्चात बच्चे पानी में चले जाते हैं। इस प्रकार के कछुओं के लिये ऐसे स्थलों को चिन्हित कर उस क्षेत्र को जहां तक सम्भव होगा बाधा रहित क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जायेगा।
अन्य सरीसृप अजगर व पनिहा सापों, वाटर मौनीटर लिजार्ड के भी क्रान्तिक वास स्थल, जो जल क्षेत्र से संलग्न होते हैं, अधिक पसन्द होते हैं। परन्तु कभी–कभी यह आवश्यक नहीं होता है। इनके जलीय वास स्थल से पर्याप्त जानकारी का अभाव है, जिसके लिये अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसके वास स्थलों को चिन्हित कर संरक्षित करने के उपाय किये जायेंगे।

स. स्तनधारी– संरक्षित क्षेत्र में व आस–पास के क्षेत्रों में स्तनपायी वन्य जीव जैसे काला हिरन, नील गाय, लोमड़ी, सियार एवं खरगोश आदि पाये जाते हैं, जो विशिष्ट समय में संरक्षित क्षेत्र को चराई, पानी व शरण के लिये कभी–कभी प्रयोग करते हैं। परन्तु नियमित रूप से वास नहीं रहते हैं। क्षेत्र में वृक्षारोपण/झाड़ी रोपण करने तथा बड़ी घासों के बढ़ जाने पर ये नियमित रूप से इस क्षेत्र में वास करने लगेंगे। इस दिशा में आवश्यक उपाय पहले ही प्रस्तावित किये जा चुके हैं।

वृक्ष क्षेत्र (Woodland) प्रबन्धन– पक्षी विहार के संरक्षित क्षेत्र में पक्षियों के भोज्य एवं नीड़न के लिये बबूल, गूलर, जामुन, कदम्ब आदि के वृक्षों का संवर्धन एवं रोपण कराया जायेगा।

जलीय वनस्पति प्रबन्धन– इस संरक्षित क्षेत्र में मुख्य वन्य जीव पक्षी तथा जलीय जीव है। आहार श्रृंखला को पुष्टि करने हेतु जिन पर विभिन्न पक्षी निर्भर हैं, का चयन करते हुए उनका वैज्ञानिक रूप से संवर्धन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निम्न रणनीति अपनायी जायेंगीः–

1. संरक्षित क्षेत्र में पक्षियों के आहार क लिये उपयुक्त प्रजातियों का चयन कर आवश्यकतानुसार संवर्धन किया जायेगा।
2. पक्षियों के लिये अनुप्रयोगी प्रजातियों/वनस्पतियों का विदोहन किया जायेगा।
3. संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत उगने वाले समस्त वनस्पतियों का राजस्व प्राप्ति हेतु व्यवसायिक उपयोग निषिद्ध रहेगा।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन–

ऐसे विशेष एवं विशिष्ट प्राकृतवास स्थलों का चिन्हीकरण कर उनका अनुश्रवण किया जायेगा और प्रत्येक वर्ष ऐसे प्राकृतवास स्थालों को सत्यापित किया जायेगा, यदि उनके अस्तित्व परिवर्तन के संकेत मिलने पर उसके परिणाम का संगणन किया जायेगा।

6.4.4 पक्षियों के रोगों का पर्यावलोकन एवं पशुओं के प्रतिरोधक क्षमता विकास की योजना–

वन्य जीवों के स्वास्थय को अच्छे स्तर का बनाये रखने हेतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा के किमी0 घेरे के पालतू पशुओं का संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण कराया जायेगा। ऐसे मवेशियों के संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश पर पूर्ण सतर्कता के साथ रोक की जायेगी। संरक्षित क्षेत्र के घायल वन्य जीवों के इलाज हेतु पशुपालन/पशु चिकित्सा विभाग की सहायता ली जायेगी। आस–पास के क्षेत्रों के संक्रामक रोगों से अथवा विषाक्तता से मरने वाले पशुओं को माँस भोजी वन्य जीवों तथा पक्षियों को माँस खाने से बचाने हेतु उचित निस्तारण व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जायेगा। जलीय प्रदूषण की रोकथाम के उपाय किये जायेंगे। भोज्य पदार्थों की वृद्धि/पर्याप्त आपूर्ति हेतु प्राकृतवास क्षेत्र में छिटपुट रूप से धान, जंगली धान, चना, मटर आदि प्रजाति के बीजों की बुवाई करायी जायेगी। आस–पास बफर क्षेत्र व इको जोन में फलदार पौधों के रोपण को प्रोत्साहित किया जायेगा। पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिये संरक्षित क्षेत्र के परिधि के ग्रामों के पशुओं का टीकाकरण प्रतिवर्ष कराया जाता है। उपरोक्त कार्यों से क्षेत्रीय जनता का विश्वास अर्जित कर वन एवं वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जायेगी।

बर्ड–फ्लू के सम्बन्ध में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 5 किमी0 घेरे में स्थित ग्रामों में जागरूकता अभियान चलाया जायेगा तथा टीकाकरण एवं रोकथाम के उपाय सुनिश्चित किया जायेगा। अप्रवासी पक्षियों पर कड़ी नजर रखी जायेगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं पशु चिकित्सा अधिकारी की एक समिति बनाई जायेगी जो अप्रवासी पक्षियों के आने वाले रास्तों एवं पोल्ट्री फार्मों पर कड़ी नजर रखेगी। बर्ड–फ्लू मुख्यतः मुर्गियों का संक्रामक वायरस जनित रोग है। संक्रमित पक्षी के सम्पर्क में आने से यह संक्रमण मनुष्यों एवं अन्य प्रवासी व अप्रवासी पक्षियों में फैल सकता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 02 नवम्बर, 2005 जो वन पक्षियों के देखभाल में लगे व्यक्तियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में है तथा पत्र दिनांक 17 जनवरी, 2006 में जो प्रवासी एवं वन पक्षियों के बर्ड–फ्लू के खतरे के मद्देनजर के अनुश्रवण के सम्बन्ध में है, की प्रतियां परिशिष्ट में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 737/37–2–2006–30(93)/2005 दिनांक 21.02.2006 जो बर्ड–फ्लू की निगरानी एवं उससे निपटने

हेतु आवश्यक सावधानियां बरतने के सम्बन्ध में हैं, भी परिशिष्ट में संलग्न है। इस प्रकार पारिस्थितिकीय को संतुलित करने के साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीणों की वन्य पशुओं एवं पक्षियों की सुरक्षा हेतु उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु उनका विश्वास अर्जित किया जायेगा।

6.4.5 मानव संसाधन विकास की योजना–

पक्षी विहार क्षेत्र में वन्य जीवों के संरक्षण की महत्ता एवं आवश्यकता को रेखांकित करने के लिये त्रिस्तरीय मानव संसाधन विकास योजना लागू की जायेगी।

1. **क्षेत्रीय ग्रामीणों का प्रशिक्षण–** जन–जागरूकता अभियान के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीणों को वन्य जीवों के पर्यावरणीय महत्व समझाते हुए उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
2. **कर्मचारियों का प्रशिक्षण–** वन्य जीवों के सम्बन्ध में विस्तृत प्रशिक्षण जिसमें पारिस्थितिकीय तन्त्र में वन्य जीवों की भूमिका को रेखांकित करते हुए सम्पूर्ण प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें मानव वन्य जीव संघर्ष टालने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा।
3. **जन–जागरूकता कार्यक्रम–** पर्यटकों एवं स्थानीय ग्रामीणों को पक्षियों तथा वन एवं वन्य जीवों के संवर्धन की आवश्यकता के लिये शैक्षिक कार्यक्रम जिसमें सेमिनार, वर्कशाप, गोष्ठियां एवं विद्यार्थियों की प्रतियोगितायें सम्पादित करने हेतु निम्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगेः–

   अ– विश्व वेटलैण्ड दिवस (नम भूमि दिवस)
   ब– विश्व वानिकी दिवस
   स– विश्व पर्यावरण दिवस
   द– वन्य जीव सप्ताह
   य– विभिन्न नेचर कैम्प

अध्याय–7

पारिस्थितिकीय पर्यटन, व्याख्यान एवं संरक्षण शिक्षा

7.1 प्रस्तावना– समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली जनपद में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदि बड़े शहरों से सड़क मार्ग से सीधा जुड़ा होने के कारण यहां पर्यटन विकास हेतु पर्याप्त क्षमता व सम्भावनायें मौजूद हैं। जाड़े के मौसम में यहां लाखों प्रवासी पक्षी ठण्डे प्रदेशों, साइबेरिया, चीन, यूरोप, तिब्बत आदि से आते हैं और ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ होते ही आपने देशों को पुनः वापस चले जाते हैं। इसके साथ ही साथ स्थानीय पक्षी वर्ष भर अपना डेरा इस क्षेत्र में जमाये रहते हैं। दिसम्बर–जनवरी के माह में पक्षी विहार अपने सौन्दर्य के चरम पर रहता है। प्रवासी पक्षियों के आ जाने से यहां उत्सवी माहौल बन जाता है। इस अवधि में इन विदेशी मेहमानों का नजारा देखने योग्य होता है। इसी आकर्षण के कारण यहां पर्यटक बराबर आते रहते हैं।

7.1.1 लक्ष्य– पक्षी विहार के प्रबन्धन का मुख्य लक्ष्य ''क्षेत्र में पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देना एवं उचित प्रबन्धन करना ताकि पर्यटकों को विशिष्ट अनुभव की अनुभूति कराना तथा संरक्षण के लिये जनता का समर्थन प्राप्त करना।

7.2 उद्देश्य– समसपुर पक्षी विहार में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों के मनोरंजन के साथ–साथ उनका ज्ञानवर्धन करते हुये संरक्षण के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाना एवं पक्षी विहार की जैव–विविधता संरक्षण एवं प्रबन्धन को सुदृढ़ करना है। इस प्रकार इस पक्षी विहार में पारिस्थितिकीय पर्यटन के निम्न उद्देश्य रहेंगेः–

अ– पर्यटकों को पक्षी विहार के प्राकृतिक पर्यावरण का अनुभव कराना।

ब– पर्यटकों को संरक्षित क्षेत्र में उपस्थित वन्य जीवों एवं वनस्पतियों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराना।

स– पर्यटकों को प्रोत्साहित करते हुए जैव–विविधता संरक्षण कार्य में सहयोग प्राप्त करना।

द– पक्षी विहार क्षेत्र को प्राकृतिक मनोरंजन एवं शैक्षिक स्थल के रूप में विकसित करना, जिसमें पक्षी व्याख्या केन्द्र का सुदृढ़ीकरण, आधुनिक संचार संसाधनों का विस्तार, कलात्मक वॉच टावर, हाईड आउट्स आदि के साथ बर्ड कन्जरवेशन थीम पार्क एवं लॉनों आदि का निर्माण करना, जिससे पर्यटकों के माध्यम से संरक्षण के प्रति जनता को जागरूक बनाया जा सके।

य– उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं का उचित रख–रखाव किया जायेगा।

र– पक्षी विहार से सम्बन्धित प्रचार–प्रसार करना।

7.3 पर्यटन जोन– पर्यटन जोन, कोर जोन, प्रभाव जोन, प्रशासनिक जोन पर आच्छादित (Overlap) रहेगा। लोगों का पारिस्थितिकीय पर्यटन के प्रति रूझान बहुत ही कम है, जिसका मुख्य कारण संरक्षण के प्रति जागरूकता में कमी है। इस जोन के अन्तर्गत बीट जोन के चारों ओर बनाई गयी डाइकों, सड़कों, व्यशेडों, वॉच टावरों, लानों, नेचर ट्रेल, ब्रोशर, बायनाकुलर, सीटिंग बेंच, पेय जल सुविधा, चिल्ड्रेन पार्क, प्रकृति शिक्षा केन्द्र के स्थल आदि को सम्मिलित किया गया है। इस जोन के अन्तर्गत ग्राम ममुनी वन भूमि 58.887 हे0 क्षेत्र सम्मिलित किया जायेगा।

7.4 व्याख्यान कार्यक्रम– जैव विविधता संरक्षण की महत्ता, विभिन्न वन्य जीवों के सम्बन्ध में तथा संरक्षित क्षेत्र से सम्बन्धित जानकारी पर्यटकों को उपलब्ध कराते हुए एक आकर्षक प्रदर्शन/व्याख्या केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इस केन्द्र में पक्षी विहार में उपस्थित वन्य जीवों तथा वनस्पतियों से सम्बन्धित जानकारी आकर्षक, प्रभावी ढ़ंग से, चित्रों, चार्टों, मॉडलों तथा अन्य विभिन्न ढ़ंगों से प्रदर्शित की जायेंगी। वन्य जीवों से सम्बन्धित फिल्मों, सी0डी0, टी0वी0, साउण्ड सिस्टम, स्लाइडों आदि के प्रदर्शन की व्याख्या की जायेगी। इस तरह से इस केन्द्र को नवीनतम प्रचार–प्रसार उपकरणों से सुसज्जित कर प्रकृति व्याख्या/अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रकृति व्याख्या/अध्ययन केन्द्र हेतु जनरेटर की सुविधा भी रखी जायेगी।

7.5 संगठन एवं प्रबन्धन– समसपुर पक्षी विहार का प्रबन्धन वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ के अधीन किया जाता है, इस पक्षी विहार का प्रशासनिक ढ़ाँचा निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	पदनाम	कार्यरत	अतिरिक्त आवश्यकता	कुल योग
1.	क्षेत्रीय वन अधिकारी	1	–	1
2.	उप वन रेंजर/वन दरोगा	1	1	2
3.	वन रक्षक/वन्य जीव रक्षक	2	4	6
4.	चौकीदार/कम अटेन्डेट	0	4	4
5.	नाविक	1	1	2
6.	क्षेत्र सहायक	2	0	2

*** चौकीदार के अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति आउटसोर्सिंग द्वारा की जायेगी।**

<u>कर्मचारी/स्टाफ सुविधायें</u>– वन्य जीव संरक्षण में तैनात स्टाफ के लिये निम्नलिखित सुविधाओं की आवश्यकता हैः–

1. आवास
2. जीप/मोटर साइकिल एवं साइकिल
3. वर्दी
4. लाईफ जैकेट
5. जूते
6. फस्ट एड बॉक्स
7. टार्च
8. अस्त्र
9. मच्छरदानी

<u>योजना समायोजन</u>–

समसपुर पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र के लिये योजना समायोजन का विवरण निम्न प्रकार दिया जा रहा हैः–

1. वर्दी एवं फील्ड सामान
2. वाहन

<u>1– वर्दी एवं फील्ड सामान</u>–

नियमित वर्दी में खाकी वर्दी, ग्रेट कोट, रेनकोट/सूट, बेल्ट, जूता, टोपी, बैज आदि प्रत्येक स्टाफ के लिये आवश्यक है। क्षेत्रीय वन अधिकारी को नियमित वर्दी भत्ता दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त व्यूशेड/वॉच टावर पर बायनाकुलर, टेलिस्कोप आदि निम्न सामान सही अवस्था में होना चाहिये। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को छाता, टार्च, बरसाती जूते, मच्छरदानी आदि दिये जायेंगे।

<u>2– वाहन</u>– क्षेत्र में गतिशीलता/कुशल प्रबन्धन में क्षमता बढ़ाने हेतु निम्न प्रकार के वाहनों की आवश्यकता होगीः–

क्रमांक	वाहन का प्रकार	संख्या	टिप्पणी
1.	जीप	01	क्षेत्रीय वन अधिकारी
2.	मोटर साइकिल	03	उप वन रेंजर, वनविद/सहायक वन्य जीव प्रतिपालक के लिये

7.6 समस्याएं– पर्यटक के उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में निम्न समस्याएं हैः–

1. समसपुर पक्षी विहार में समुचित पर्यटन सुविधा का अभाव।
2. पक्षी विहार के पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रचार–प्रसार की कमी है।
3. स्थानीय लोगों की पर्यटन सम्बन्धी व्यवसाय में सहभागिता का न होना।
4. पर्यटन विकास से सम्बन्धित विभिन्न शासकय विभागों में आपसी समन्वय का न होना।
5. प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क अधिक होने से पर्यटकों के आगमन पर कमी।

7.7 वांछित पर्यटन की रणनीतियाँ एवं प्राप्ति हेतु उठाये गये कदम– समसपुर पक्षी विहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पक्षी विहार में जल क्षेत्र के किनारे–किनारे पर्यटन सुविधाओं का सुनियोजित ढंग से विकास किया जायेगा। पक्षी विहार को प्रदेश, देश एवं विश्व के पर्यटन मानचित्र में समुचित स्थान दिलाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कार्य किया जायेगा। पर्यटन विकास के स्थानीय लोगों की सहभागिता सनिश्चित करने के लिये, पर्यटन से जुड़े व्यवसायों जैसे गाइड, रेस्टोरन्ट, वाहन व्यवस्था, संचार व्यवस्था आदि विकसित करने में उन लोगों को प्रोत्साहित किया जायेगा। स्थानीय लोगों को गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इस पक्षी विहार में पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देने एवं व्याख्यात्मक, प्रदर्शनात्मक संरक्षण शिक्षा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित संसाधनों, सुविधाओं का विकास सनियोजित ढंग से किया जायेगाः–

1. उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का उचित रख–रखाव किया जायेगा।
2. पक्षी विहार में आवश्यकतानुसार प्रवेदश द्वारों का निर्माण।
3. उपयुक्त स्थानों पर वॉच टावरों, व्यूशेडों की स्थापना।
4. बोट हाउस, नाव घाट आदि का निर्माण।
5. पक्षी अवलोकन/दर्शन हेतु बायनाकुलर, दूरबीन, ब्रोशर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे।
6. पर्यटकों के बैठने एवं बच्चों के लिये लानों का निर्माण।
7. जैसे–जैसे पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी, आवश्यकतानुसार सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। भविष्य में आवश्यक सुविधाओं का आकलन करने हेतु आगन्तुक पंजिका की सहायता ली जायेगी।
8. विभिन्न पर्यटन एजेन्सियों के माध्यम से प्रायोजित भ्रमण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

9. लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी जाने वाले मार्गों के किनारे पथ–प्रदर्शक साइन बोर्ड तथा होर्डिंग लगाये जायेंगे।
10. पक्षी विहार के अन्तर्गत वटियाओं, सड़कों के किनारे वन्य जीवों पक्षियों से सम्बन्धित जानकारी देने वाले साइन बोर्ड लगाये जायेंगे।

7.7.1 पर्यटन गतिविधियों की विविधता– पक्षी विहार में कैम्पिंग हेतु पर्यटन स्थल के आस–पास क्षेत्र विकसित किये जायेंगे, ताकि पर्यटक इनमें टेण्ट आदि लगाकर प्राकृतिक वातावरण की अनुभूति प्राप्त कर सकें। संरक्षित क्षेत्र के अलावा समीपवर्ती क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को ऐसे स्थलों के भ्रमण हेतु सुविधा एवं जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

7.7.2 इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मानव संसाधन का विकास– इस पक्षी विहार में पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देने एवं व्याख्यात्मक, प्रदर्शनात्मक संरक्षण शिक्षा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित संसाधनों, सुविधाओं का विकास सुनियोजित ढंग से किया जायेगाः–

1. पक्षी विहार में आवश्यकतानुसार पक्के व कच्चे मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण।
2. पक्षी विहार में आवश्यकतानुसार प्रवेश द्वारों का निर्माण तथा उनके निकट आगन्तुक कक्ष का निर्माण।
3. पर्यटक आगमन स्थल पर यात्री–निवास, डार्मेटरी, जलपान गृह, प्रसाधन सुविधायें, गाइड केन्द्र आदि का निर्माण।
4. उपयुक्त स्थानों पर वॉच टावरों, व्यूशेडों की स्थापना।
5. बोट हाउस, नाव घाट आदिर का निर्माण।
6. पक्षी अवलोकन/दर्शन हेतु बायनाकुलर, दूरबीन, ब्रोशर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. पर्यटकों के बैठने एवं बच्चों के लिये लानों का निर्माण।
8. जैसे–जैसे पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी, आवश्यकतानुसार सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। भविष्य में आवश्यक सुविधाओं का आकलन करने हेतु आगन्तुक पंजिका की सहायता ली जायेगी।
9. विभिन्न पर्यटन एजेन्सियों के माध्यम से प्रायोजित भ्रमण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
10. लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी जाने वाले मार्गों के किनारे पथ–प्रदर्शक साइन बोर्ड तथा होर्डिंग लगाये जायेंगे।
11. पक्षी विहार के अन्तर्गत वटियाओं, सड़कों के किनारे वन्य जीवों पक्षियों से सम्बन्धित जानकारी देने वाले साइन बोर्ड लगाये जायेंगे।

<u>प्रदर्शन/व्याख्या केन्द्र</u>– जैव विविधता संरक्षण की महत्ता, विभिन्न वन्य जीवों के सम्बन्ध में तथा संरक्षित क्षेत्र से सम्बन्धित जानकारी पर्यटकों को उपलब्ध कराते हुए एक आकर्षक प्रदर्शन/व्याख्या केन्द्र की स्थापना पूर्व में की गई है। इस केन्द्र में पक्षी विहार में उपस्थित वन्य जीवों तथा वनस्पतियों से सम्बन्धित जानकारी आकर्षक, प्रभावी ढ़ंग से, चित्रों, चार्टों, मॉडलों तथा अन्य विभिन्न ढ़ंगों से प्रदर्शित की जायेंगी। वन्य जीवों से सम्बन्धित फिल्मों, सी0डी0, टी0वी0, साउण्ड सिस्टम, स्लाइडों आदि के प्रदर्शन की व्याख्या की जायेगी। इस तरह से इस केन्द्र को नवीनतम प्रचार–प्रसार उपकरणों से सुसज्जित कर प्रकृति व्याख्या/अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रकृति व्याख्या/अध्ययन केन्द्र हेतु जनरेटर की सुविधा भी रखी जायेगी।

<u>नेचर ट्रेल (प्रकृति पथ)</u>– समसपुर पक्षी विहार में जल क्षेत्र के किनारे–किनारे बन्ध का निर्माण कराया जायेगा, जिसका प्रयोग अन्य प्रयोजनों के साथ–साथ पक्षी अवलोकन हेतु भी किया जायेगा। इनके किनारे–किनारे उपयुक्त स्थानों पर पक्के प्लेटफार्म बनाकर व्यूशेडों का निर्माण भी कराया जायेगा, जिसमें बैठने हेतु बेंचें लगायी जायेंगी। इन व्यूशेडों पर बैठकर भू–दृश्य, वनस्पतियों एवं पक्षियों का अवलोकन/अध्ययन कर प्रकृति का आनन्द उठाया जा सकेगा।

7.7.3 सड़कों की व्यवस्था (Network) – पक्षी विहार लखनऊ–रायबरेली–इलाहाबाद मार्ग से जुड़ा हुआ है।

7.7.4 स्थानीय समुदाय की भागीदार– स्थानीय लोगों को जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित कर पक्षी विहार संरक्षण में सहयोग लिया जाता है। उन्हें पर्यटक गाईड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार के साधन भी उपलब्ध होगा। पक्षी विहार में कराये जाने वाले विकास कार्यों में स्थानीय लोगों की सहभागिता रहती है।

7.7.5 संरक्षण शिक्षा का कार्यक्रम– स्थानीय स्कूल/कालेज के छात्र/छात्राओं एवं स्थानीय निवासियों को नेचर कैम्प आयोजित करके वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है।

7.7.6 नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन– संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत वन्य जीवों एवं उनके वासस्थलों को संरक्षित/सुरक्षित रखने हेतु पर्यटकों के लिये नियम निर्धारित किये जाते हैं। इन नियमों को मुख्य द्वार एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर लिखवाया जायेगा, जिससे पर्यटक इसका अनुपालन करें।

<u>संरक्षित क्षेत्र में निम्न कार्य करें</u>:–

1. संरक्षित क्षेत्र में शान्ति बनाये रखें।
2. खाद्य पदार्थों का अवशेष जैसे छिलका, पत्तल, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं, पॉलीथीन पैकिंग आदि अपने साथ वापस ले जायें।
3. अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही रखें।
4. पक्षी वहार में पक्षी अवलोकन एवं भ्रमण का पूरा–पूरा आनन्द उठाने हेतु गाइड को साथ ले जायें।

<u>संरक्षित क्षेत्र में निम्न कार्य वर्जित है</u>:–

1. सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से पूर्व संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश।
2. वाहन के साथ प्रवेश।
3. आयुध के साथ प्रवेश।
4. भड़कीले वस्त्रों का उपयोग।
5. मद्यपान करना।
6. वन्य जीवों एवं वनस्पतियों आदि को क्षति पहुँचाना।
7. रेडियो एवं टेपरिकार्डर का बजाना।
8. आग जलाना।

पर्यटकों से सम्बन्धित सूचना आगन्तुक पंजिका में पर्यटकों द्वारा अंकित की जायेगी, जिसके आधार पर पर्यवेक्षण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन कर भविष्य में पर्यटन विकास कार्यक्रम लागू किये जा सकेंगे।

पर्यटन के कारण निकटवर्ती ग्रामीणों के सामाजिक–आर्थिक हुए लाभ का अनुश्रवण किया जायेगा। पारिस्थितिकीय पर्यटन के फलस्वरूप पर्यटकों को प्रकृति संरक्षण के सम्बन्ध में हुए ज्ञान अभिवृद्धि का भी अनुश्रवण किया जायेगा।

अध्याय–8

पारिस्थितिकीय विकास

8.1 प्रस्तावना– पारिस्थितिकीय विकास जैव विविधता को संरक्षित करने की एक रणनीति है, जिसमें क्षेत्रीय लोगों का संरक्षित क्षेत्र पर प्रभाव एवं संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रीय लोगों पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकीय विकास संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रकृति संरक्षण की स्थिति को सुधार करने के लिये पिछले दशक से एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

विश्व बैंक वानिकी योजना (1998–2002) के दौरान अनेकों संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय विकास एक रणनीति के रूप में अपनाया गया था, जिसमें यह पक्षी विहार भी सम्मिलित रहा है। पारिस्थितिकीय विकास गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य ईको ग्रामों के ग्रामीणों का समुचित विकास करना जो कि संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भर न रहें। इस योजना के तहत् निकटवर्ती ग्रामों में पारिस्थितिकीय विकास समितियों का गठन किया गया। जिसमें खड़न्जा एवं नाली का निर्माण, हैण्ड पम्पों की स्थापना, तालाबों का खुदान इत्यादि कार्य लिये गये थे।

पारिस्थितिकीय विकास समितियां नियमों के अन्तर्गत संचालित न हो सकी, जिसका मुख्य कारण क्षेत्रीय ग्रामीणों का रोजगार के लिये बड़े क्षेत्रों के लिय पलायन रहा है, जिसके कारण उनकी सक्रिय भागीदारी इस योजना के प्रति नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकीय विकास गतिविधियों को सहयोग करना उनके तात्कालिक आवश्यकताओं में नहीं रहा है। इस प्रकार यह कार्यक्रम अपने लक्ष्य के अनुरूप सफल नहीं रहा है। इसी पृष्ठभूमि में ईको विकास योजना को पुनः निर्मित कर निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रस्तावित किया जा रहा हैः–

8.1.1 उद्देश्य– पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न प्रकार हैः–

1. संरक्षित्र क्षेत्र के अन्तर्गत तथा उसके चारों आरे रहने वाले लोगों की आजीविका में समुचित विकल्प उपलब्ध कराते हुये, इस प्रकार हस्तक्षेप (मध्यस्थता) करना जिससे कि संरक्षित क्षेत्र के संसाधन सुरक्षित रह सकें।
2. जैव–विविधता संरक्षण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना।
3. वन्य जन्तुओं द्वारा मानव जीवन एवं सम्पत्ति की क्षति को कम करना।
4. संरक्षित क्षेत्र एवं मानव के आपसी संघर्ष को कम करना।
5. संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भरता एवं दबाव को कम करना।
6. चारागाह प्रबन्धन।
7. पशु टीकाकरण।
8. संरक्षित क्षेत्र की प्रबन्ध क्षमताओं में सुधार करना एवं संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों की सुरक्षा में वृद्धि करना।
9. पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों की, नियोजन एवं सतत् विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की क्षमताओं में विकास करना।
10. संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्यों के अनुरूप भूमि उपयोग पद्धतियों / प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना।

8.2 नीतियॉ एवं संस्थागत संरचना– चयनित ग्रामों में पारिस्थितिकी विकास समिति का गठन किया जायेगा। इससमिति में गांवों के पारिस्थितिकी विकास में सहभागिता के इच्छुक प्रत्येक परिवार का प्रतिनिधि केवल एक व्यक्ति सदस्य के रूप में नामित/पंजीकृत किया जायेगा, जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत महिलायें होंगी। गांव की पारिस्थितिकी विकास समिति द्वारा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम लागू करने हेत, पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव इन्हीं सदस्यों द्वारा कराया जायेगा। समिति के अध्यक्ष के अलावा दो पुरूष एवं दो महिला सदस्य होंगी। समिति के सदस्यों में एक सदस्य पिछड़ी जाति एवं एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होगा। इसके अतिरिक्त प्रबन्धक संदक्षित क्षेत्र द्वारा दो नामित सदस्य इस समिति में होंगे जिसमें एक वन दरोगा/वन्य जीव रक्षक, जो समिति का सचिव कम कोषाध्यक्ष होगा तथा दूसरा सदस्य स्वैच्छिक संगठन, पंजीकृतद्ध का प्रतिनिधि सदस्य होगा। कार्यकारिणी एवं ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के गठन की विज्ञप्ति प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र द्वारा की जायेगी।

8.3 वृहद रणनीतियाँ– पारिस्थितिकीय विकास कार्य, स्थानीय लोगों की सहभागिता से तैयार किया गया एक संरक्षणमुखी सीमित ग्राम्य विकास कार्यक्रम है, जिसकी सहायता से आस–पास के ग्रामीणों/निवासियों की संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भरता एवं पड़ रहे दबावों को कम किया जायेगा। इन दबावों, निर्भरता को कम करने के लिये उन्हें आजीविका के वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य किया जायेगा। जिससे भविष्य में वह लोग संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भर न रहें और अपना विकास स्वयं सतत् रूप से कर सकें। उक्त समस्त प्रबन्ध कार्यों का मुख्य ध्येय संरक्षित क्षेत्र की जैव–विविधता को संरक्षित एवं सम्वर्द्धित करना है।

समसपुर पक्षी विहार की परिधि के 10 कि0मी0 की सीमा के अन्तर्गत पड़ने वाले गॉवों को पारिस्थितिकी क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किये जायेंगे और इनकी सूची परिशिष्ट में संलग्न की गई है।

8.4 ग्राम स्तरीय स्थल विशेष की रणनीतियाँ एवं अतिरिकत जीनकोपार्जन, सृजन हेतु सूक्ष्म योजना बनाना– पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम हेतु ग्रामो का चयन पारिस्थितिकी विकास जोन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में से किया जायेगा। ग्रामों का चयन करते समय निम्न बातें ध्यान में रखी जायेंगीः–

जहाँ पर लोगों का संरक्षित क्षेत्र से सर्वाधिक सम्पर्क है।

जहाँ पर संरक्षित क्षेत्र पर निर्भरता का स्तर ऊँचा है।

जहाँ पर कार्यक्रम की सफलता की सम्भावनायें अधिक प्रबल हैं।

जहाँ पर मानव/पशुओं द्वारा संरक्षित क्षेत्र को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई जाती है।

जहाँ पर संरक्षित क्षेत्र के ऋणात्मक प्रभाव सर्वाधिक है।

उक्त समिति का पंजीकरण ''सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन'' एक्त 1860 के तहत् प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र द्वारा कराया जायेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक में समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के नाम संयुक्त खाता खुलवाया जायेगा।

ग्राम हेतु स्थल विशिष्ट योजना ग्रामवासियों द्वारा तैयार की जायेगी। इस कार्य में प्रेरक दल, जिसमें वन क्षेत्र अधिकारी, वनविद, उपराजिक तथा स्वयं सेवी संस्था के एक पुरूष एक महिला सदस्य होगी, पूर्ण सहयोग करेगी। प्रेरक दल गांव में बैठकें कर वहाँ की स्थिति एवं आधारभूत आँकड़े एकत्र करने हेतु ग्रामीण सहभागी सर्वेक्षण, अध्ययन कर ग्रामीणों से विचार–विमर्श कर उनके

सहयोग एवं सुझाव के आधार पर ग्राम के पारिस्थितिकी विकास हेतु एक सूक्ष्म योजना तैयार करायेगा। यह सूक्ष्म योजना ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की आम सभा में अंगीकार करने हेतु अनुमोतिद की जायेगी तथा समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रेरक दल के टीम लीडर के माध्यम से प्रबन्धक के पास अनुमोदनार्थ प्रेषित की जायेगी। प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र द्वारा इस सूक्ष्म योजना का अनुमोदन कर प्रतियां, वन संरक्षक एवं अन्य अधिकारियों को भेजी जायेगी तथा एक प्रति ग्रा0पा0वि0 समिति को तद्नुसार क्रियान्वयन हेतु वापस भेज दी जायेगी।

समिति के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा वार्षिक क्रियान्वयन प्लान तैयार कर प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र को भेजा जायेगा तथा तद्नुसार धनराशि समिति के खाते में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। सूक्ष्म योजना के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में वन संरक्षक एवं अध्यक्ष ग्रा0पा0वि0 समिति द्वारा एक समझौता पत्र तैयार कर हस्ताक्षरित किया जायेगा। प्रथम बार इसकी अवधि पांच वर्ष की होगी। भविष्य में दोनों पक्षों की सहमति से कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा। इन समितियों के क्रिया–कलाप पंजीकरण हेतु भेजी गयी नियमावली के तहत् तथा सुसंगत शासकीय आदेशों/निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

इस सूक्ष्म योजना के आधार पर पारिस्थितिकी विकास कार्य ग्रापा0वि0 समिति द्वारा सम्पन्न कराये जायेंगे। इसमें नियमानुसार लाभार्थियों का योगदान रहेगा तथा नियमानुसार लाभ का बंटवारा समिति द्वारा कराया जायेगा।

8.5 ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एकीकरण– पक्षी विहार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे पारिस्थितिकीय विकास, जल संरक्षण कार्यक्रम, मनरेगा एवं जिला योजना समिति के अनुमोदित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में तहत् कार्य सम्पादित कराये जाते हैं।

8.6 क्रियान्वयन रणनीतियाँ – चयनित ग्रामों में पारिस्थितिकी विकास समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में गांवों के पारिस्थितिकी विकास में सहभागिता के इच्छुक प्रत्येक परिवार का प्रतिनिधि केवल एक व्यक्ति सदस्य के रूप में नामित/पंजीकृत किया जायेगा, जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत महिलायें होंगी। गांव की पारिस्थितिकी विकास समिति द्वारा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम लागू करने हेतु पारिस्थतिकीय विकास समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव इन्हीं सदस्यों द्वारा कराया जायेगा, समिति के सदस्य के अलावा दो पुरूषों एवं दो महिला सदस्य होंगी। समिति के सदस्यों में एक सदस्य अन्य पिछड़ी जाति एवं एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होगा। इसके अतिरिक्त प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र द्वारा दो नामित सदस्य इस समिति में होंगे, जिसमें एक वन दरोगा/वन्य जीव रक्षक, जो समिति का सचिव कम कोषाध्यक्ष होगा तथा दूसरा सदस्य स्वैच्छिक संगठन पंजीकृतद्ध का प्रतिनिधि सदस्य होगा। कार्यकारिणी एवं ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के गठन की विज्ञप्ति प्रबन्धक संदक्षित क्षेत्र द्वारा की जायेगी। उक्त समिति का पंजीकरण ''सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन'' एक्त 1860 के तहत् प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र द्वारा कराया जायेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक में समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के नाम संयुक्त खाता खुलवाया जायेगा।

ग्राम हेतु स्थल विशिष्ट योजना ग्रामवासियों द्वारा तैयार की जायेगी। इस कार्य में प्रेरक दल, जिसमें वन क्षेत्र अधिकारी, वनविद, उपराजिक तथा स्वयं सेवी संस्था के एक पुरूष एक महिला सदस्य होगी, पूर्ण सहयोग करेगी। प्रेरक दल गांव में बैठकें कर वहाँ की स्थिति एवं आधारभूत

आँकड़े एकत्र करने हेतु ग्रामीण सहभागी सर्वेक्षण, अध्ययन कर ग्रामीणों से विचार–विमर्श कर उनके सहयोग एवं सुझाव के आधार पर ग्राम के पारिस्थितिकी विकास हेतु एक सूक्ष्म योजना तैयार करायेगा। यह सूक्ष्म योजना ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की आम सभा में अंगीकार करने हेतु अनुमोतिद की जायेगी तथा समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रेरक दल के टीम लीडर के माध्यम से प्रबन्धक के पास अनुमोदनार्थ प्रेषित की जायेगी। प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र द्वारा इस सूक्ष्म योजना का अनुमोदन कर प्रतियां, वन संरक्षक एवं अन्य अधिकारियों को भेजी जायेगी तथा एक प्रति ग्रा0पा0वि0 समिति को तद्नुसार क्रियान्वयन हेतु वापस भेज दी जायेगी।

समिति के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा वार्षिक क्रियान्वयन प्लान तैयार कर प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र को भेजा जायेगा तथा तद्नुसार धनराशि समिति के खाते में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। सूक्ष्म योजना के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में वन संरक्षक एवं अध्यक्ष ग्रा0पा0वि0 समिति द्वारा एक समझौता पत्र तैयार कर हस्ताक्षरित किया जायेगा। प्रथम बार इसकी अवधि पांच वर्ष की होगी। भविष्य में दोनों पक्षों की सहमति से कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा। इन समितियों के क्रिया–कलाप पंजीकरण हेतु भेजी गयी नियमावली के तहत् तथा सुसंगत शासकीय आदेशों/निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

इस सूक्ष्म योजना के आधार पर पारिस्थितिकी विकास कार्य ग्रापा0वि0 समिति द्वारा सम्पन्न कराये जायेंगे। इसमें नियमानुसार लाभार्थियों का योगदान रहेगा तथा नियमानुसार लाभ का बंटवारा समिति द्वारा कराया जायेगा।

8.7 कोष सृजन की रणनीतियाँ– पारिस्थितिकीय विकास के लिये ग्राम पारिस्थितिकीय विकास समिति कोष की व्यवस्था करेगी, जहाँ तक सम्भव होगा शासन एवं अशासकीय संसाधनों, जिसमें व्यक्ति तथा ग्राम सभा द्वारा प्राप्त दान सम्मिलित है, से कोष की व्यवस्था की जायेगी।

8.8 पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन– इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धक, ग्रा0पा0 समिति तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जायेगा। पर्यवेक्षक एवं मूल्यांकन निम्न दो श्रेणी में किया जायेगाः–

1. वार्षिक, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति का पर्यवेक्षण।
2. पारिस्थितिकी विकास का संरक्षित क्षेत्र पर प्रभाव का पर्यवेक्षण।

बिन्दु संख्या–1 हेतु सूक्ष्म योजना में प्रस्तावित कार्यों के अनुसार मौके पर कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

बिन्दु संख्या–2 हेतु मापदण्ड/मानक जैसे पक्षियों की संख्या एवं विविधता, अप्रवासी पक्षियों की स्थगन अवधि, झील क्षेत्र में खरपतवार की स्थिति, अवैध आखेट/वन उपज विदोहन सम्बन्धी अपराधों की संख्या आदि का आंकलन किया जायेगा। इसके लिये योजना प्रारम्भ होने से पूर्व बेंच मार्क अध्ययन आवश्यक है।

अध्याय–9

शोध, पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण

9.1 महत्व– नम भूमि (Wetlands) क्षेत्रों में शोध कार्य कभी प्राथमिकता में नहीं रहें, परन्तु विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण निकाय, नम भूमियों व जल पक्षियों के संरक्षण में रूचि ले रहे हैं।

इसी क्रम में बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा भारत में नम भूमियों (Wetlands) को सूचीबद्ध करने में सहयोग किया जा रहा है। पहली जनवरी, 1987 में ''नेशनल वाटर फाउल एण्ड वेटलैण्ड सर्वे'' इस सोसाइटी द्वारा किया गया और शीघ्र ही 1998 में दूसरा सर्वेक्षण किया गया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में वन विभाग द्वारा 15 वेटलैण्ड चिन्हित किये गये और उन्हें पक्षी अभ्यारण्यों के रूप में गठित किया गया। अब तक 12 पक्षी अभ्यारण्य गठित हो चुके हैं। नवाबगंज पक्षी विहार का गठन भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। वन्य जीव प्रबन्ध में शोध और अनुश्रवण बहुत कम क्षेत्र में हुआ, नाम मात्र की प्रगति इस दिशा में हुई, जिसका मुख्य कारण नीति, स्पष्ट उद्देश्यों, प्राथमिकताओं का अभाव तथा अपर्याप्त कोष सहायता। शोध कार्य केवल जैविक क्षेत्र में ही नहीं वरन सामाजिक तथा प्रबन्ध क्षेत्र में भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। शोध से बेहतर प्रबन्धन में सहयोग प्राप्त होगा।

इसके लिये आधारभूत आंकड़े एकत्र कर भविष्य में प्रबन्ध हेतु गाइड लाइन तैयार की जायेगी। क्षेत्र का संरक्षण होने के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिनका प्रभाव पक्षी वर्ग की संख्या तथा उनकी संख्या संरचना पर पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त वनस्पतियों के क्रम में भी परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में शोध कार्य एवं उसका मूल्यांकन आवश्यक है।

विषयः मत्स्य, सामाजिक–आर्थिक सर्वे, प्रवासी पक्षियों के आगमन तथा प्रस्थान का ट्रैंड, जल स्तर, जल की गुणवत्ता एवं अन्य घटकों पर शोध।

विधिक प्रशिक्षण।
अस्त्र–शस्त्र प्रशिक्षण।
वन्य जीव अपराध पकड़ने सम्बन्धी प्रशिक्षण।
पारिस्थितिकीय विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण।
स्थानीय पारिस्थितिकीय विकास समितियों के अध्यक्ष, सदस्य तथा स्थानीय ग्रामीणों का प्रशिक्षण।
अन्य पक्षी विहार/झीलों का भ्रमण प्रशिक्षण।
कर्मचारियों, ई0डी0सी0 के सदस्यों तथा स्थानीय ग्रामीणों का अध्ययन भ्रमण।

9.2 उद्देश्य–

1. शोध एवं अनुश्रवण कार्यक्रमों को इस उद्देश्य के साथ बढ़ावा देना कि विशिष्ट वैज्ञानिक ज्ञान को प्रबन्धकीय निर्णयों में समाहित किया जाए।
2. संरक्षित क्षेत्र के अन्दर एवं आस–पास के क्षेत्र में पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय शोध के अन्तर्गत पक्षियों के प्राकृतवास एवं संख्या के निर्धारण के अध्ययन को बढ़ावा दिया जायेगा।
3. नमभूमि योजना की शर्तों के अनुरूप निर्धारित किये गये बेंच मार्क का सर्वे करना।
4. वनस्पतियों, प्राणियों, झील के जल चक्र के अर्न्तसम्बन्धों का आंकलन करना।
5. प्राप्त आकड़ों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र के विकास हेतु प्रबन्ध योजना को पुनर्वालोकन के दौरान समुचित रणनीति का निर्धारण करना।
6. भविष्य में अन्य जल क्षेत्रों के पक्षी अभ्यारण्य में विकास हेतु संरक्षित क्षेत्र को प्रतिदर्श रूप में तैयार करना।
7. संरक्षित क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न वनस्पतियों और जीवों की सूची तैयार करना।
8. संरक्षित क्षेत्र के महत्वपूर्ण वनस्पतियों एवं जीवों के प्राकृत इतिहास का अध्ययन।
9. संरक्षित क्षेत्र में कुछ पक्षियों के प्रजनन सफलता, प्रजाति संरचना पर प्राकृतवास संरक्षण के प्रभाव का अध्ययन।

9.3 शोध की प्राथमिकता– शोध हेतु महत्वपूर्ण निम्न विषयों को अध्ययन में सम्मिलित किया जायेगाः–

अ. <u>पर्यावरण</u>–

1. जल विज्ञान
2. मौसम विज्ञान
3. जल के भौतिक, रासायनिक गुण

ब. <u>वनस्पति</u>–

I. प्लैक्टन

1. प्राथमिक उत्पादकता
2. जैव वनस्पति प्लैंक्टनों की जैव मात्रा व समुदाय में ऋत्विक तथा वार्षिक परिवर्तन।

II. जलीय वनस्पति

1. जलीय पौधों की जैव मात्रा में ऋत्विक और वार्षिक विभिन्नतायें।
2. जलीय वनस्पति की प्रजाति वैविध्य और परिवर्तन।
3. जलकुम्भी, पटेरा, मोथा, बेहया और कार्निया के उन्मूलन का पक्षी समष्टि पर प्रभाव।

स. स्थलीय जीव–

मत्स्य जीव

1. मछलियों की सघनता और उनके वार्षिक तथा ऋत्विक उतार–चढ़ाव का अनुश्रवण।
2. मछलियों में समष्टि को प्रभावित करने वाले कारक।
3. मत्स्य समष्टि के उतार उढ़ाव का मत्स्य भोजी पक्षियों पर प्रभाव।

सरीसृप

1. कछुओं की समष्टि सघनता।
2. संरक्षित क्षेत्र के निश्चित स्थानों पर पर्यटकों के आकर्षण हेतु अजगर का पुर्नवासन।

द. पक्षी वर्ग–

1. जलीय पक्षियों क समष्टि का अनुश्रवण।
2. कुछ स्थानीय पक्षियों को सफल करने वाले कारकों का पता लगाना।
3. उपनिवेशीय पक्षी प्रजातियों (स्पून विल, इगरेट, आइविस, स्टार्क, कार्मोरेन्ट इत्यादि) के उपनिवेशन की दर।
4. कुछ महत्वपूर्ण, बत्तख, स्टार्क और सारस प्रजातियों द्वारा प्राकृतवास का उपयोग।
5. शिकारी पक्षियों पलाश, फिलिस ईगल, ग्रेटर स्पाटेड ईगल और मार्श हैरियर का सामान्य पारिस्थितिक स्तर।

रिसर्च स्टाफ–

शोध कार्यों को संचालित करने हेतु तीन शोध वैज्ञानिकों की आवश्यकता होगी।

पक्षी वैज्ञानिक

सरोवर वैज्ञानिक

पादप पारिस्थितिकी वैज्ञानिक

शोध स्टाफ कुछ माह का प्रशिक्षण केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर तथा वन्य जीव संस्थान, देहरादून में प्राप्त करने के उपरान्त क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करेंगे।

उपकरण–

अ. प्रयोगशाला उपकरण–

भरतपुर में बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की एक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला है, जिसमें महत्वपूर्ण उपकरण जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रोटोम, हेमोजेनाइजर, सेन्ट्रीफ्यूग, मफिल फर्नेश, स्पेक्ट्रोमीटर, फ्लैमो फोटोमीटर, इनक्यूवेटर आदि मौजूद हैं। संरक्षित क्षेत्र में प्रयोगशाला हेतु दिन प्रतिदिन प्रतिदर्शों के विश्लेषण हेतु आधारभूत निम्न उपकरणों की आवश्यकता होगी–

क्रमांक	**मद / उपकरण**
1–	कम्पाउण्ड माइक्रोस्कोप
2–	इनवर्टेड माइक्रोस्कोप
3–	डिसेक्शन माइक्रोस्कोप
4–	कन्डक्टिविटी मीटर
5–	pH मीटर
6–	ऑक्सीजन एनालाइजर
7–	खालढाल एपेरेटस
8–	बी0ओ0डी0 इनक्यूवेटर
9–	रेफ्रिजरेटर
10–	ग्लासवेयर तथा केमिकल

ब. फील्ड उपकरण–

1– टेलिस्कोप

2– वाइनाकुलर

3– जूम व टेलिलेन्स सहित कैमरा

4– वीडियो कैमरा

भवन– संरक्षित क्षेत्र की झील के निकट एक शोध प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी।
वाहन– शोध अधिकारियों के लिये मोटर साइकिल तथा शोध सहायकों हेतु साइकिल तथा नावें उपलब्ध कराई जायेंगी।
प्रतिफल–
अन्तरिम रिपोर्ट– प्रत्येक छः माह में अन्तरिम रिपोर्ट वन विभाग को भेजी जायेगी।

अन्तिम रिपोर्ट– परियोजना के पूर्ण होने पर विस्तृत अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

पी0एच0डी0 थीसिस– अभ्यर्थियों की अभिरूचि के अनुसार संरक्षिण क्षेत्र के पारिस्थितिकी से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर पी0एच0डी0 हेतु अनुमति दी जायेगी, उनके द्वारा शोध पत्र की एक प्रति वन विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

9.4 अनुश्रवण– मानक निर्धारित कर शोध, प्रशिक्षण सम्बन्धी मूल्यांकन/अनुश्रवण सतत् रूप से किया जायेगा।

9.5 प्रशिक्षण– संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धित स्टाफ भली प्रकार प्रशिक्षित नहीं है। वर्तमान समय में तीन तरह के प्रशिक्षण कोर्स उपलब्ध हैः–

भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा आई0एफ0एस0 एवं पी0एफ0एस0 के लिये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स।
भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स–फारेस्ट रेंजर के लिये।
उ0प्र0 वन विभाग द्वारा वन दरोगा/वन्य जीव रक्षक/वन रक्षक के लिये ट्रेनिंग कोर्स।

संरक्षित क्षेत्र में तैनात अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी उपरोक्त कोर्स में प्रशिक्षित नहीं हैं, उनको प्रशिक्षित किया जायेगा।

सेवा के दौरान प्रशिक्षण–

सेवा के दौरान तैनात स्टाफ को समय–2 पर प्रशिक्षित करते रहना चाहिये, जिससे उन्हें अद्यतन जानकारी होती रही। ये प्रशिक्षण अल्पावधि, मध्यकालिक व अध्ययन भ्रमण के रूप में हो सकते हैंः–

क– **विधि एवं नियम तथा उनके क्रियान्वयन/लागू करने सम्बन्धी विषयों पर प्रशिक्षण**–
भारतीय वन अधिनियम–1927
वन संरक्षण अधिनियम–1980
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम–1972 (यथा संशोधित) 2003
वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976
भारतीय दण्ड संहिता (आई0पी0सी0)
दण्ड प्रक्रिया संहिता (सी0आर0पी0सी0)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण
पारिस्थितिकीय विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण

ख– विभिन्न अस्त्रों को चलाने एवं उनका रख–रखाव सम्बन्धी प्रशिक्षण।

ग– अपराध को दर्ज कर विवेचन, साक्ष्य एकत्रण और आरोप–पत्र प्रेषित कर पैरवी सम्बन्धी प्रशिक्षण।

घ– वन्य जीवों की गणना सम्बन्धी (पक्षी गणना सहित) प्रशिक्षण।

ड़– बिना अस्त के आत्मरक्षा करने सम्बन्धी प्रशिक्षण।

च– वन्य जीवों के ट्रैंकुलाइजिंग गन चलाने का प्रशिक्षण।

छ– वन्य जीवों के सामान्य प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण।

ज– वन्य जीवों के पोस्टमार्टम सम्बन्धी प्रशिक्षण।

औचरारिक प्रशिक्षण–

संरक्षित क्षेत्र में तैनात सभी अधिकारियों को वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा आयोजित किये जाने वाले औपचारिक फोर्स में बारी–बारी प्रशिक्षित किया जायेगा। अधीनस्थ स्टाफ को कालागढ़ में कार्बेट वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान भेजकर प्रशिक्षण कराया जा रहा है और आगे कराया जाता रहेगा।

अध्याय–10

संगठन एवं प्रशासन

10.1 संरचना एवं उत्तरदायित्व– समसपुर पक्षी विहार प्रबन्धन वन संरक्षक, लुप्तप्राय वन्य जीव परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ के अधीन है, इस पक्षी विहार का प्रशासनिक ढ़ाँचा निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	पदनाम	कार्यरत	अतिरिक्त आवश्यकता	कुल योग
1.	क्षेत्रीय वन अधिकारी	1	–	1
2.	वन दरोगा/सहायक वन्य जीव प्रतिपालक	–	1	1
3.	वन रक्षक/वन्य जीव रक्षक	2	2	4
4.	चौकीदार/कम अटेन्डेट	–	5	5
5.	नाविक	1	2	3
6.	क्षेत्र सहायक	2	–	2

*** चौकीदार के अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति आउटसोर्सिंग द्वारा की जायेगी।**

<u>कर्मचारी/स्टाफ सुविधायें</u>– वन्य जीव संरक्षण में तैनात स्टाफ के लिये निम्नलिखित सुविधाओं की आवश्यकता हैः–

10. आवास
11. जीप/मोटर साइकिल एवं साइकिल
12. वर्दी
13. लाईफ जैकेट
14. जूते
15. फस्ट एड बॉक्स
16. टार्च
17. अस्त्र
18. मच्छरदानी

<u>योजना समायोजन</u>–

समसपुर पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र के लिये योजना समायोजन का विवरण निम्न प्रकार दिया जा रहा हैः–

3. वर्दी एवं फील्ड सामान
4. वाहन

<u>1– वर्दी एवं फील्ड सामान</u>–

नियमित वर्दी में खाकी वर्दी, ग्रेट कोट, रेनकोट/सूट, बेल्ट, जूता, टोपी, बैज आदि प्रत्येक स्टाफ के लिये आवश्यक है। क्षेत्रीय वन अधिकारी को नियमित वर्दी भत्ता दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त व्यूशेड/वॉच टावर पर बायनाकुलर, टेलिस्कोप आदि निम्न सामान सही अवस्था में होना चाहिये। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को छाता, टार्च, बरसाती जूते, मच्छरदानी आदि दिये जायेंगे।

<u>2– वाहन</u>– क्षेत्र में गतिशीलता/कुशल प्रबन्धन में क्षमता बढ़ाने हेतु निम्न प्रकार के वाहनों की आवश्यकता होगीः–

क्रमांक	वाहन का प्रकार	संख्या	टिप्पणी
1.	जीप	01	क्षेत्रीय वन अधिकारी
2.	मोटर साइकिल	03	उप वन रेंजर, वनविद / सहायक वन्य जीव प्रतिपालक के लिये

<u>अन्य सुविधायें</u>–

1. संरक्षित क्षेत्र के स्टाफ के लिये वन क्षेत्र कार्यालय पर दवाओं सहित फर्स्ट एड बाक्स की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
2. पीने के पानी के लिये वाटर बॉटल, वाटर फिल्टर आदि सुविधायें।
3. कुशल गस्त हेतु बोट का क्रय।
4. बर्ड–फ्लू से सम्बन्धित किट की व्यवस्था भी की जायेगी।

10.2 संरक्षित क्षेत्र में कर्मचारियों की स्थिति एवं उपलब्ध सुविधायें– पक्षी विहार में वर्तमान में निम्न प्रकार से कर्मचारी कार्यरत हैः–

क्र0सं0	अधिकारियों / कर्मचारियों का स्तर	संख्या	वेतनमान
1.	क्षेत्रीय वन अधिकारी	1	पी0बी0–3 ग्रेड पे 4800
2.	वनविद	1	पी0बी0–1 ग्रेड पे 2800
3.	वन्य जीव रक्षक	2	1 एस ग्रेड पे 1900
4.	माली / चौकीदार	2	1 एस ग्रेड पे 1800
5.	न्यूनतम वेतन कर्मचारी	2	रू0 7,000 / –
6.	नाविक	1	1 एस ग्रेड पे 1800

1. आवासः– सभी अधिकारी / कर्मचारी के लिये राजकीय आवास की सुविधा उपलब्ध है।
2. पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।
3. आग्नेयास्त्र उपलब्ध कराये गये हैं।